# लोक-सभा वाद-विवाद

## संक्षिप्त अनूदित संस्करण

## SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

Preservation Unit
F. migrated
On 27.5.92
Parliament Library

[खंड 39 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. ~~XXXIX~~ 40 contains Nos. 21—30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price · One Rupee

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

## विषय-सूची

**अंक 27—सोमवार, 29 मार्च, 1965/8 चैत्र, 1887 (शक)**

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर


| *तारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 617 | चीन द्वारा परमाणु विस्फोट | 2509–12 |
| 618 | भारतीय विदेश सेवा | 2512–16 |
| 619 | मृत सैनिकों की पेंशन . . | 2516–19 |
| 620 | दिवाकर समिति का प्रतिवेदन . . | 2520–21 |
| 621 | भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के लिए विज्ञापन | 2521–23 |
| 622 | गोआ में नौसैनिक अड्डा | 2523–24 |
| 623 | नेताजी सुभाषचन्द्र बोस . | 2525–27 |
| 624 | खेतिहर मजदूरों के लिए न्युनतम मजूरी | 2527–29 |
| 625 | नेफा का प्रशासनिक ढांचा . | 2529–31 |
| 637 | शेख अब्दुल्ला द्वारा भारत विरोधी प्रचार | 2531–33 |


### प्रश्नों के लिखित उत्तर


| तारांकित प्रश्न संख्या | | |
|---|---|---|
| 626 | विमान परियोजनाओं का एकीकरण . | 2533–34 |
| 627 | अमरीका स्थित भारतीय राजदूत | 2534 |
| 628 | लोक-सहायक सेना . | 2535 |
| 629 | दक्षिण अफ्रीका से व्यापार . . | 2535–36 |
| 630 | अफ्रीकी एशियाई देशों की आर्थिक विकास योजना | 2536 |
| 631 | लोक सहायक सेना . . | 2536–37 |
| 632 | प्रयोगात्मक चलचित्रों के लिए निधि | 2537 |
| 633 | संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर का मामला | 2538 |
| 634 | राष्ट्रीय रक्षा कोष . . . | 2538–39 |
| 635 | पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन | 2539 |
| 636 | तस्कर परियोजना . . . . | 2540 |
| 638 | पाकिस्तानी सेना द्वारा काश्मीर में अमरीकी हथियारों का प्रयोग . | 2540 |


*किसी नाम पर अंकित यह + यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव म पूछा था।

## CONTENTS

*No. 27—Monday, March 29, 1965/Chaitra 8, 1887 (Saka)*

### ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| *Starred Q. Nos. | Subject | PAGES |
|---|---|---|
| 617 | Nuclear Explosion by China | 2509—12 |
| 618 | Indian Foreign Service | 2512—16 |
| 619 | Pensions of Deceased Soldiers | 2516—19 |
| 620 | Diwakar Committee Report | 2520—21 |
| 621 | Advertisements for language papers | 2521—23 |
| 622 | Goa as Naval Base | 2523—24 |
| 623 | Netaji Subhas Chandra Bose | 2525—27 |
| 624 | Minimum Wages for Agricultural Labour | 2527—29 |
| 625 | Administrative set-up of NEFA | 2529—31 |
| 637 | Anti-Indian Propaganda by Sheikh Abdullah | 2531—33 |


### WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS


| *Starred Q. Nos. | | |
|---|---|---|
| 626 | Integration of Aircraft Projects | 2533—34 |
| 627 | India's Ambassador to U.S.A. | 2534 |
| 628 | Lok Sahayak Sena | 2535 |
| 629 | Trade with South Africa | 2535—36 |
| 630 | Economic Development Plan of Afro-Asian Countries | 2536 |
| 631 | Lok Sahayak Sena | 2536—37 |
| 632 | Fund for Experimental Films | 2537 |
| 633 | Kashmir Case in U.N.O. | 2538 |
| 634 | National Defence Fund | 2538—39 |
| 635 | Violation of Cease-fire Line by Pakistan | 2539 |
| 636 | Tuskar Project | 2540 |
| 638 | Use of U.S. Arms by Pakistani Troops in Kashmir | 2540 |


*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by the Member.

| अतारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1648 | पंचायत समिति कार्यालयों में टेलीफोन . | 2540–41 |
| 1649 | उड़ीसा में अधिसूचित पद . . . . | 2542 |
| 1650 | उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार . . . | 2542 |
| 1651 | राजस्थान में बेरोजगारी . | 2543 |
| 1652 | राजस्थान में बेरोजगार शिल्पिक व्यक्ति | 2543 |
| 1653 | राजस्थान में रोजगार कार्यालय | 2544 |
| 1654 | राजस्थान में डाकिये | 2544–45 |
| 1655 | निर्वाह मूल्य देशनांक | 2545 |
| 1656 | राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण . | 2545 |
| 1657 | प्रतिरक्षा संबंधी अनुसंधान कार्य का प्रशिक्षण | 2545–46 |
| 1658 | सैनिक स्कूल, बीजापुर . . | 2546 |
| 1659 | लंका से वापिस आये व्यक्तियों को बसाना . | 2546 |
| 1660 | स्कूल शिक्षा में इलैक्ट्रोनिक भौतिकी विज्ञान | 2546–47 |
| 1661 | रक्षित सैनिकों को बच्चों का भत्ता | 2547 |
| 1662 | विदेशों में भारतीय दूतावासों के प्रमुख . | 2547–48 |
| 1663 | नेपाल की परियोजनायें . . | 2548–49 |
| 1664 | महात्मा गांधी के जीवन के संबंध में चलचित्र | 2549 |
| 1665 | विदेश सेवा नियम | 2549 |
| 1666 | स्मृति टिकट . . | 2550 |
| 1667 | इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड | 2550 |
| 1668 | प्रतिरक्षा संस्थानों के कैंटीन कर्मचारी . | 2550–51 |
| 1669 | डाक तथा तार प्रशासन में कर्मचारियों का सहयोग | 2551 |
| 1670 | सैना मुख्यालय के अपर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति . | 2552–53 |
| 1671 | चीनियों द्वारा तिब्बतवासियों का तंग किया जाना . | 3553–54 |
| 1672 | सैनिक स्कूल . . . . | 2554 |
| 1673 | विडेशों में भेजे गये प्रतिनिधि मंडल . | 2554 |
| 1674 | बर्मा से आये हुए गोदी कर्मचारी . . | 2555 |
| 1675 | पाकिस्तान के विदेश मंत्री का निमंत्रण | 2555 |
| 1676 | तार जांच कार्यालय, कलकत्ता | 2555–56 |
| 1677 | नागालैंड के लिए ट्रांसमीटर | 2556 |
| 1678 | विदेशी दूतों के विरुद्ध शिकायतें . | 2556–57 |
| 1679 | कोयला खानों में काम का बन्द किया जाना . . | 3557 |
| 1680 | नेताजी सुभाषचन्द्र बोस पर आरोप . . | 2557 |
| 1681 | सरकारी काम में हिन्दी का प्रयोग | 2557–58 |
| 1682 | औद्योगिक संबंधों संबंधी गोष्ठी . . . | 2558 |
| 1683 | गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य पर क्यूबा की आपत्ति | 2558 |
| 1684 | किसान संघ के पदाधिकारियों द्वारा प्रसारण . | 2559 |

| *Unstarred Q. Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 1648 | Telephones in Panchayat Samiti Offices | 2540-41 |
| 1649 | Vacancies notified in Orissa | 2542 |
| 1650 | S.C. and S.T. Candidates in Orissa | 2542 |
| 1651 | Unemployment in Rajasthan | 2543 |
| 1652 | Unemployed Technical Persons in Rajasthan | 2543 |
| 1653 | Employment Offices in Rajasthan | 2543 |
| 1654 | Postmen in Rajasthan | 2544-45 |
| 1655 | Cost of Living Index | 2545 |
| 1656 | National Sample Surveys | 2545 |
| 1657 | Training in Defence Research | 2545-46 |
| 1658 | Sainik School, Bijapur | 2546 |
| 1659 | Rehabilitation of Ceylon Repatriates | 2546 |
| 1660 | Electronic Physics in School Education | 2546-47 |
| 1661 | Children Allowance to Reservists | 2547 |
| 1662 | Heads of Indian Missions Abroad | 2547-48 |
| 1663 | Projects in Nepal | 2548-49 |
| 1664 | Film on Mahatma Gandhi's Life | 2549 |
| 1665 | Foreign Service Rules | 2549 |
| 1666 | Commemoration Stamp | 2550 |
| 1667 | Wage Board for Engineering Industries | 2550 |
| 1668 | Canteen Workers of Defence Establishments | 2550-51 |
| 1669 | Employees participation in P. & T. Administration | 2551 |
| 1670 | U.D.C.'s of Armed Forces Hqs. | 2552-53 |
| 1671 | Persecution of Tibetans by Chinese | 2553-54 |
| 1672 | Sainik Schools | 2554 |
| 1673 | Delegation sent abroad | 2554 |
| 1674 | Dock Workers from Burma | 2555 |
| 1675 | Pakistan's Foreign Minister's Invitation | 2555 |
| 1676 | Telegraph Check Office, Calcutta | 2555-56 |
| 1677 | Transmitter for Nagaland | 2556 |
| 1678 | Complaints against Foreign Envoys | 2556-57 |
| 1679 | Stoppage of Work in Collieries | 2557 |
| 1680 | Charges against Netaji Subhash Chandra Bose | 2557 |
| 1681 | Use of Hindi in Official Work | 2557-58 |
| 1682 | Seminar on Industrial Relations | 2558 |
| 1683 | Cuban Objection to Home Minister's Statement | 2558 |
| 1684 | Broadcasts by office bearers of farmers association | 2559 |

**अतारांकित**


| प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1685 | प्रधान मंत्री की केरल यात्रा | 2559 |
| 1686 | भूमि अर्जन . . . | 2559-60 |
| 1687 | सुरक्षा कार्यों के लिए भूमि अर्जन . . . | 2560 |
| 1688 | जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के प्रमुख का काहिरा में स्वागत | 2560-61 |
| 1689 | भोजपुरी में आकाशवाणी कार्यक्रम | 2561 |
| 1690 | मद्रास के पास अणु शक्ति संयंत्र | 2561 |
| 1691 | खान श्रमिकों के लिए सुरक्षा हैट | 2561-62 |
| 1692 | लंदन में अगौर व्यक्ति . . . | 2562 |
| 1693 | पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोली चलाया जाना | 2563 |
| 1694 | लिस्बन में गोआ के राजनीतिक बन्दी . . . | 2563 |
| 1695 | कांगो विद्रोहियों द्वारा भारतीय फोटोग्राफर को फांसी दिया जाना . | 2563 |
| 1696 | कोयला खान श्रम कल्याण निधि . . | 2564 |
| 1697 | शिशिक्षु अधिनियम . . . . | 2564 |
| 1698 | भारतीय वायु सेना विमान दुर्घटना . . | 2564 |

**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—**

पश्चिम बंगाल सीमा पर पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोला-बारी . 2565

श्री यशपाल सहिं . . . . . 2565

श्री स्वर्ण सिंह . . . . . 2565

**अल्प सूचना प्रश्न के बारे में (प्रश्न)** . . . . 2565

**सभा पटल पर रखे गये पत्र** . . . . . 2565-66

**अनुदानों की मांगें** . . . . . 2566—99

**सामाजिक सुरक्षा विभाग** . . . . . 2566—99

श्री वारियर . . . . . 2566—68

श्री उइके . . . . . 2569

श्री बसुमतारी . . . . . 2569-70

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा . . . . . 2570-71

श्री मं० रं० कृष्ण . . . . . 2571

श्रीमती सुभद्रा जोशी . . . . . 2571-72

श्री युद्धवीर सिंह . . . . . 2576—78

श्री इलयापेरुमाल . . . . . 2578-79

श्री जगन्नाथ राव . . . . . 2579—82

श्री दीनेन भट्टाचार्य . . . . . 2582-83

श्री प० ला० बारूपाल . . . . . 2583-84

श्री मौर्य . . . . . 2584-85

| *Unstarred Q. Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 1685 | Prime Minister's Visit to Kerala | 2559 |
| 1686 | Acquisition of Land | 2559-60 |
| 1687 | Acquisition of Land for Defence Purposes | 2560 |
| 1688 | Reception to Head of German Democratic Republic at Cairo | 2560-61 |
| 1689 | A.I.R. Programme in Bhojpuri | 2561 |
| 1690 | Atomic Energy Plant near Madras | 2561 |
| 1691 | Safety Hats for Mine Workers | 2561-62 |
| 1692 | Coloured immigrants in London | 2562 |
| 1693 | Firings by Pakistani Rifles | 2563 |
| 1694 | Detention of Goan political prisoners in Lisbon | 2563 |
| 1695 | Hanging of an Indian photographer by Congolese rebels | 2563 |
| 1696 | Coal Mines Labour Welfare Fund | 2564 |
| 1697 | Apprentices Act | 2564 |
| 1698 | I.A.F. Plane crash | 2564 |

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

Pakistan Rifles firing on West Bengal Border . . . 2565

Shri Yashpal Singh . . . 2565

Shri Swaran Singh . . . 2565

Re : Short Notice Question (Query) . . . 2565

Papers laid on the Table . . . 2565

Demands for Grants . . . 2566—99

Ministry of Social Security . . . 2566—99

Shri Warior . . . 2566—68

Shri Uikey . . . 2569

Shri Basumatari . . . 2569-70

Shri Narendra Singh Mahida . . . 2570-71

Shri M. R. Krishna . . . 2571

Shrimati Subhadra Joshi . . . 2571-72

Shri Yudhvir Singh . . . 2576—78

Shri Elayaperumal . . . 2578-79

Shri Jaganatha Rao . . . 2579—82

Shri Dinen Bhattacharya . . . 2582-83

Shri P. L. Barupal . . . 2583-84

Shri Maurya . . . 2584-85

| सामाजिक सुरक्षा विभाग—जारी | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| श्रीमती चन्द्रशेखर | . . . . . | 2586-87 |
| श्री उटिया | . . . . . | 2587-88 |
| श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा | . . . . . | 2588 |
| श्री कृष्णपाल सिंह | . . . . | 2589 |
| श्री रामचन्द्र मलिक | . . . . . | 2589-90 |
| श्री शिवशंकरन | . . . . . | 2590-91 |
| श्री सुबोध हंसदा | . . . . . | 2591-92 |
| डा० मा० श्री अणे | . . . . . | 2592-93 |
| श्री सुब्बर मन | . . . . . | 2593-94 |
| श्रीमती सावित्री निगम | . . . . . | 2594-95 |
| श्री बासप्पा | . . . . . | 2595-96 |
| श्री दे० शि० पाटिल | . . . . . | 2596 |
| श्री काशीनाथ पांडे | . . . . . | 2596-97 |
| श्री अ० कु० सेन | . . . . . | 2597-99 |
| **प्रतिरक्षा मंत्रालय** | . . . . | 2599—2604 |
| श्री लहरी सिंह | . . . . | 2600-02 |
| श्री जोकीम आल्वा | . . . . | 2602-04 |

Ministry of Social Security—*Contd.* *Subject* PAGES

Shrimati Chandrasekhar . . . . . . 2586–87
Shri Utiya . . . . . . . . 2587–88
Shrimati Lakshmikanthamma . . . . . 2588
Shri Krishnapal Singh . . . . . . 2589
Shri Rama Chandra Mallick . . . . . 2589–90
Shri Sivasankaran . . . . . . . . 2590–91
Shri Subodh Hansda . . . . . . . 2591–92
Dr. M. S. Aney . . . . . . . . 2592·93
Shri Subbaraman . . . . . . . . 2593–94
Shrimati Savitri Nigam . . . . . . 2594–95
Shri Basappa . . . . . . . . 2595–96
Shri D. S. Patil . . . . . . . . 2596
Shri K. N. Pande . . . . . . 2596–97
Shri A. K. Sen . . . . . . . . 2597–99

Ministry of Defence . . . . . . . . 2599–2604
Shri Lahri Singh . . . . . . . . 2600–02
Shri Joachim Alva . . . . . . . 2602–04

# लोक-सभा

# LOK SABHA

**सोमवार, २६ मार्च 1965 /8 चैत्र, 1887 (शक)**

*Monday March 29, 1965/Chaitra 18, 1887 (Saka)*

---

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)
(MR. SPEAKER *in the Chair*)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**चीन द्वारा परमाणु विस्फोट**

+

*617. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
**श्री जसवन्त मेहता :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :**
**श्री हिम्मतसिंह :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा अधिकारियों ने इस बात का पता लगाया है कि चीन द्वारा परमाणु हथियारों के निर्माण का हमारी सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) :** दिनांक 21 दिसम्बर, 1964 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1658 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। मामले का लगातार पुनर्विलोकन किया जाता है। प्रधान मंत्री ने भी इस मामले के प्रति सरकारी रवैये को सदन में स्पष्ट किया है।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** माननीय मंत्री जिस प्रश्न का उल्लेख कर रहे हैं उसमें केवल आधे प्रश्न का उत्तर मिलता है। उसके उत्तर में कहा गया था कि सेना के तीनों अंगों के अध्यक्ष चीन के परमाणु विस्फोट के प्रभाव का पता लगायें और इस सम्बन्ध में उन्होंने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट

दे दी है। प्रतिरक्षा मंत्री ने पहले जो कहा था था उसकी ओर उसका ध्यान दिलाते हुए मैं जानना चाहता हूं कि चीन के पास वे कौन कौन से परमाणु हथियार हैं जिन्हें ब्रिटेन और अमरीका भी बहुत खतरनाक मानते हैं एवं उनके बारे में हमारी सेना की प्रतिक्रिया क्या है ? देश और सेना का मनोबल बनाए रखने तथा शक्तिशाली शत्रु के सामने पहिले की भान्ति मैदान छोड़ कर भागने की स्थिति को दूर रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :** श्रीमान्, सेना अध्यक्षों ने चीन की परमाणु शक्ति संबंधी योग्यताओं का जो प्राथमिक मूल्यांकन किया है उसमें उन्होंने विशेषरूप से तत्काल खतरे पर ध्यान दिया है। उनके मतानुसार इस समय और वास्तविक खतरा सामान्य सैनिक है। परमाणु विस्फोट से काफी समय के लिए सैनिक खतरा बढ़ गया है परन्तु हमारी जानकारी के अनुसार चीन के पास अभी तुरन्त प्रयोग किये जा सकने वाले सामरिक परमाणु हथियार नहीं हैं।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने रक्षा के बारे में एक पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की है। अतः मेरा विचार है कि सरकार वर्तमान खतरे के साथ साथ भावी खतरे का मुकाबला करने के लिए हमारी वर्तमान योजना पर भी ध्यान दे रही है। इस प्रसंग में मैं जानना चाहता हूं कि इस खतरे का सामना करने के लिए उनकी क्या तैयारी है और वे प्रधान मंत्री द्वारा उल्लिखित परमाणु संरक्षण पर, जिसका ब्रिटेन सरकार अब अनुसरण कर रही है, कहां तक निर्भर हैं ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** मैं समझता हूं कि मैंने इस उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक परमाणु अस्तरों के बारे में सरकार की नीति का संबंध है, इस बारे में प्रधान मंत्री ने सदन में स्पष्ट रूप से बता दिया है। अब मुझे कुछ और नहीं कहना है। पंचवर्षीय योजना के बारे में मुझे कहना है कि हमें वर्तमान खतरे तथा अधिक समय तक बने रहने वाले खतरे की ओर ध्यान देना है। यह काम चलता रहेगा। हमारी सीमाओं पर जो खतरा है उसका हमें मुकाबला करना है।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** श्रीमान क्या आप मन्त्री महोदय के उत्तर से सन्तुष्ट हैं ? मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर ही नहीं दिया गया। उनकी दीर्घकालीन योजना क्या है ? क्या उन्होंने दूर तक मार करने वाले हथियारों पर ध्यान दिया है या नहीं और वे प्रतिरक्षा सेनाओं के लिए परिमाणु संरक्षण पर कितना निर्भर रहना चाहते हैं ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** प्रतिरक्षा सेनायें राजनैतिक विषयों पर निर्णय नहीं कर सकतीं। इस विषय पर सरकार ने निर्णय पहले ही कर लिया है और प्रधान मंत्री इस सदन में उसकी घोषणा कर चुके हैं। मैं कह चुका हूं कि हमने वर्तमान खतरे के प्रारम्भिक प्रश्नों का ध्यान रखा है और उस के बारे में मैंने उत्तर भी दिया है।

**Shri Yashpal Singh :** Government wanted to face Chinese atom bomb by creating world opinion against her but has failed in it. If China uses atom bomb and hydrogen bomb againt us today, what are the means with Government to face them ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** श्रीमान यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। वह तो सेना के अध्यक्षों द्वारा किये गये स्थिति अध्ययन के बारे में है।

**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** यदि हम भारत सरकार के इस निर्णय को ध्यान में रखें कि हमें अणु बम नहीं बनाना है तो हम चीन के साथ कहां तक तक्नीकी समानता प्राप्त कर सकेंगे ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : यदि माननीय मंत्री का इरादा सरकार की इस बारे में नीति पर चर्चा करने का है तो वह अलग बात है। इस समय मैं इस विषय को नहीं लेना चाहता। परन्तु सरकार ने इस बारें में अपनी नीति पूर्णतया स्पष्ट कर दी है।

**श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : यदि चीन परमाणु हथियारों से आक्रमण करे तो उस के परिणामों से बचने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप इस का उत्तर देना चाहेंगे।

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : नहीं, श्रीमान।

**अध्यक्ष महोदय** : यह एक महिला सदस्य का प्रश्न है, अतः उत्तर दिया जाना चाहिए।

**श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या सरकार को विनाशकारी परमाणु हथियारों को रखने के अतिरिक्त ऐसे कोई उपाय मालूम हैं जिनसे परमाणु हथियारों के आक्रमण से बचाव किया जा सके ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : जसा कि मैं ने कहा कि इस समय हम वर्तमान खतरे की ओर ध्यान दे रहे हैं। मैं प्रश्न को टालना नहीं चाहता। प्रतिरक्षा मंत्रालय का ध्यान आजकल वर्तमान खतरे पर केन्द्रित है। सेनाओं के अध्यक्षों को भी इसी की चिन्ता है। उनका विचार है कि आज कल हमारे सामने सामान्य सैनिक खतरा है। हमें ऐसे खतरे के बारे में ही तैयारी करनी होगी नहीं तो हमारी स्थिति कमजोर हो जायगी।

**श्री प्र० चं० बरुआ** : चीन के परमाणु विस्फोट को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ऐसे हथियारों को बनाना देश की सुरक्षा के लिए तथा हिमालय के देशों और अन्य अफ्रीकी एशियाई देशों में यह विश्वास उत्पन्न करने के लिए आवश्यक समझती है कि हममें चीन का मुकाबला करने की योग्यता है ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मैं कहा चुका हूं कि परमाणु हथियारों के बारे में सरकारकी नीति राजनैतिक निर्णय के अनुसार ही रहेगी यह निर्णय पहले ही हो चुका है और मैंने यह स्पष्ट कर दिया है।

**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार की जानकारी में विश्व के वैज्ञानिकों की यह राय आयी हैकि आगामी चार पांच वर्षों में चीन एक बड़ा परमाणु शक्ति वाला देश ही नहीं बन जायेगा बल्कि ऐसे बमों को दूर तक के लक्ष्यों पर ,चाहे वे अमरीका तथा ब्रिटेन में हों, पहुंचाने में भी सफल हो जायगा; यदि हां, तो सरकार ने इस समस्या व स्थिति की गम्भीरता को समझा है और इस खतरे का मुकाबला करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : हां, श्रीमान्, चीन की परमाणु क्षमता का निरंतर ध्यान रखा जायगा। मैंने कहा था इसका निरन्तर पुनर्विलोकन किया जायेगा, परन्तु इसका उत्तर सरकार की राजनैतिक नीति से खोजना होगा।

**श्री हेम बरुआ** : श्रीमान्, मैं जानना चाहता था कि क्या सरकार ने वैज्ञानिकों के मत को ध्यान में रखते हुए कोई दीर्घकालीन कदम उठाये हैं ? इन्होंने वर्तमान खतरे की ही बात की है। मैं भविष्य के खतरे के बारे में भी जानना चाहता हूं ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मैंने कहा है मेरा ध्यान इस समय वर्तमान खतरे की ओर है। उसका उत्तर भी मैंने दे दिया है। दीर्घकालीन खतरे के बारे में अवश्य ही सरकार के राजनैतिक निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी जो स्पष्ट कर दिया गया है।

**Shri Vibhuti Mishra :** The hon. Minister has said that preparation for conventional war is essential. Japan had all the conventional weapons and she was so much prepared that neither U.S.A. nor Britain could face her but it had to surrender when two atom bombs were used there. What arrangements have been made by Defence Minister to inculcate a sense of confidence in the mind of people of India and its neighbours, Nepal, Bhutan and Sikkim ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : इस विषय में प्रतिरक्षा मंत्री सरकार की सामान्य नीतियों के अनुसार ही कार्य करेंगे ।

### भारतीय विदेश सेवा

+

*618. **श्री प्रभात कार :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री मोहन स्वरूप :**
**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
**श्री श्यामलाल सर्राफ :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री द्वा० ना० तिवारी :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री कपूर सिंह :**
**श्री प्र० के० देव :**
**श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री रा० स० तिवारी :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री ज० ब० सिंह :**
**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश सेवा का पुनर्गठन करने तथा पद-संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री प्रभात कार** : विदेश सेवा का ठीक उपयोग नहीं किया जा रहा है । यह सेवा देश की विदेश नीति और दृष्टिकोण को अन्य देश में ठीक प्रकार प्रस्तुत करने में असफल रही है । इसके

फलस्वरूप हम अपने मित्र देशों को खोते जा रहे हैं। इस संदर्भ में सरकार द्वारा विदेश सेवा के पुनर्गठन न करने के क्या कारण हैं ?

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : क्योंकि इस समय सरकार पुनर्गठन के प्रश्न को आवश्यक नहीं समझती है।

**श्री कपूर सिंह** : क्या विदेश सेवा में भर्ती होने तथा उसमें आगे बढ़ने के लिए सुन्दर पत्नी का होना अवश्य है ? यह नीति स्वर्गीय प्रधान मन्त्री ने घोषित की थी।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री कपूर सिंह और मैं इस सेवा में नहीं जा सकेंगे।

**श्री कपूर सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या विदेश सेवा में जाने के लिए यह अभी भी एक शर्त है।

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह कभी नहीं थी।

**अध्यक्ष महोदय** : स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने यह कहा था।

**श्री कपूर सिंह** : क्या वह स्वर्गीय प्रधान मंत्री की बात का खंडन कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र इस सेवा में जाये, अतः मैं यह जानकारी चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : अवश्य ही उसकी पत्नी सुन्दर होगी। अतः वह बाहर नहीं किया जा सकता।

**श्री अल्वारेस** : क्या यह सच नहीं है कि पतियों के लिए उनकी पत्नियां सुन्दर होती हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का निर्णय करना वैदेशिक कार्य मंत्रालय का कार्य नहीं है।

**श्री सं० मो० बनर्जी** : क्या विदेश सेवा में चुने जाने के लिए यह एक शर्त है कि उम्मीदवार के 1-8-1956 को तीन से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। यह शर्त क्यों लगायी लगाई थी। कार्यकुशल और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को सेवा में आने से क्यों रोका जाता है जब कि उनके तीन से अधिक बच्चे हों।

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा विदेश सेवा की संयुक्त परीक्षा तथा इन्टरव्यू के आधार पर भर्ती की जाती है। यह नियम भारतीय विदेश सेवा—बी० को आरम्भ करते समय लागू किया गया था। जब एक अधिकारी विदेश में नियुक्त किया जाता है तो उस समय सरकार को उस के बच्चों के लिए विभिन्न भत्त देने होते हैं। इसलिए यह शर्त लगायी गई थी। क्योंकि भत्ते का भुगतान सरकार की जिम्मेदारी है।

**अध्यक्ष महोदय** : सरकार कह सकती है कि केवल तीन बच्चे ही भत्ते के अधिकारी होंगे। यह शर्त नहीं होनी चाहिए।

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या भारतीय विदेश सेवा के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार के पास आया है और उसने शिकायत की है कि निवृत्ति प्राप्त आई० सी० एस० अधिकारियों तथा राजनीतिज्ञों को इस सेवा में क्यों लिया जा रहा है ? यदि हां, तो उनके अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिसमें सार्वजनिक लोगों के विदेश सेवा में लिए जाने का विरोध किया गया हो ।

**श्री श्यामलाल सर्राफ** : जैसा कि कहा गया है, इस समय इस सेवा का पुनर्गठन करने का कोई विचार नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं । ताकि कूटनीति सेवा करने वाले व्यक्ति वर्तमान परिस्थितियों में ठीक प्रकार कार्य कर सकें ।

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इस सेवा की भर्ती और प्रशिक्षण इसी आधार पर होता है ।

**श्री नाथ पाई** : क्या यह सच है कि कुछ समय से वैदेशिक कार्य मंत्रालय में अनुशासन ठीक नहीं है और सरकार के द्वारा जारी किये गये आदेशों को ठीक प्रकार माना नहीं जाता और क्या सरकार का ध्यान इस गड़बड़ वाली रिपोर्ट की ओर गया है कि जिसमें एक कार्यदूत तथा एक सार्वजनिक सम्पर्क अधिकारी ने आदेशों का उल्लंघन किया था । एक ने स्थानान्तरण के बारे में और दूसरे ने दिल्ली बुलाये जाने के बारे में ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप ने वह प्रश्न पहले भी किया है । यह प्रश्न तो सेवा के पुनर्गठन के बारे में है ।

**श्री नाथ पाई** : किस बात के लिए पुनर्गठन । अनुशासन सुनिश्चित करने तथा सेवा का स्तर ऊंचा करने के लिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार तो यह इसको बहुत दूर ले जाने वाली बात है ।

**श्री नाथ पाई** : इस प्रकार तो इसको बहुत संकीर्ण करना होगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न आप ने पहले भी किया है ।

**श्री नाथ पाई** : मैंने कहा है कि एसी रिपोर्ट मिली है । यह ठीक भी हो सकती है और गलत भी ।

**श्री स्वर्ण सिंह** : जहां तक व्यक्तिगत अधिकारियों का प्रश्न है मैं उत्तर नहीं दे सकता । जब तक कि मैं ब्यौरे को न देखूं । मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि अनुशासनहीनता नहीं है । कोई एक मामला हो सकता है जिसे हम पसन्द नहीं करते । परन्तु ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए । कि वहां अनुशासन नहीं है या वहां पर अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति है ।

**श्री हेम बरुआ** : व्यक्तिगत मामले सेवा पर प्रभाव डालते हैं । (अन्तर्बाधायें)

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री हेम बरुआ को नहीं बुलाया ।

**श्री बासप्पा** : ऐतिहासिक कारणों से हमारे लंदन का दूतावास यूरोप में हमारे अन्य दूतावासों से बड़ा है । क्या अब हम अन्य देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस तथा इटली आदि में अपने दूतावासों में सुधार करने के बारे में सोच रहे हैं और क्या वहां के दूतावासों से लोगों को वापस बुला रहे हैं और अच्छे लोग वहां भेज रहे हैं ।

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह ठीक है कि ऐतिहासिक कारणों से हमारा लंदन का दूतावास बहुत से अन्य दूतावासों से बड़ा है । यदि माननीय सदस्य यहां पर पहले दिये गये एक उत्तर को देखें तो पता चलेगा कि वहां की संख्या उत्तरोत्तर कम की जा रही है ।

**श्रीमती सावित्री निगम** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सूचना अधिकारी बहुत अधिक संख्या में आई० ए० एस० तथा आई० एफ० एस० में चुने जाते हैं जिसके फलस्वरूप सूचना सेवा का स्तर गिरता जा रहा है, सूचना सेवा का पुनर्गठन करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**अध्यक्ष महोदय** : सूचना सेवा के पुनर्गठन का कोई विचार नहीं है ।

**श्रीमती सावित्री निगम** : यह विदेश सेवा के पुनर्गठन के बारे में है । लोग उस सेवा से चुने जाते हैं । इसीलिए मैं ने यह प्रश्न किया है ।

**श्री कपूर सिंह** : स्तर बहुत नीचा है ।

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह विचार ठीक नहीं है ।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि हमारे दूतावासों का वर्गीकरण इस प्रकार हुआ है कि वरिष्ठ अधिकारी केवल ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पूरा आराम होता है और वे इंडोनेशिया तथा बर्मा जैसे स्थानों पर नहीं जाते । इसका परिणाम यह होता है कि वहां पर ये पद लम्बे समय के लिए रिक्त पड़े रहते हैं । क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है कि दूतावासों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाय कि देश के हितों को ध्यान में रखा जाय और अधिकारियों के व्यक्तिगत सुख को नहीं ।

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह ठीक नहीं है । इस समय इंडोनेशिया में हमारा एक वरिष्ठ अधिकारी है और यह पद लम्बे समय से खाली नहीं है ।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह सच नहीं है कि हमारे विदेशों में दूतावास

**श्री नाथ पाई** : अध्यक्ष महोदय सामान्यतः आप का संरक्षण हमारे लिये होना चाहिये और सरकार के लिए नहीं । यह उनका कर्त्तव्य है कि सरकार के हितों की रक्षा करें परन्तु देश के हितों का महत्व और भी अधिक है और उनकी रक्षा और भी आवश्यक है । क्या यह सच नहीं कि कोई भी रंगून, कोलम्बो आदि स्थानों पर नहीं जाना चाहता क्योंकि स्तर का निर्णय नहीं हुआ है ।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हमारे विदेशों में दूतावास वर्गीकृत हैं । एक 'ए' वर्ग है जहां सभी प्रकार के आराम उपलब्ध हैं । फिर वर्ग 'बी' और 'सी' आते हैं । कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनको वर्ग 'सी' में रखा गया है । वरिष्ठ अधिकारी वहां जाना नहीं चाहते । क्या यह सच नहीं है । इस का उत्तर नहीं दिया गया । क्या हम अपने दूतावासों का पुनर्गठन कर रहे हैं ताकि अधिकारियों के व्यवितगत आराम की ओर ध्यान न देकर देश के हितों की रक्षा हो सके ।

**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं इस प्रश्न का तात्पर्य समझ गया हूं और उस से सहमत हूं । देश के हितों की ओर ध्यान पहले दिया जाना चाहिये । यह ठीक है कि स्थानों का वर्गीकरण किया गया है । यह इस बात को ध्यान में रख कर किया गया है कि उनका स्थानान्तरण किया जा सके । ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है एक व्यक्ति चाहेगा कि वहां जाये जहां कष्ट सेवा की कठिनाइयां न हों । परन्तु मैं इस से सहमत हूं कि इन पदों को भरते समय देश के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । इस को ध्यान में रखा जायगा ।

**श्री शिंकरे** : क्या सरकार का भारतीय विदेश सेवा का पुनर्गठन करने से पहले वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन करने का विचार है ?

**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य प्रश्न भारतीय विदेश सेवा के पुनर्गठन के बारे में है ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि हमारे अच्छे व्यक्ति उन देशों में जाना पसन्द नहीं करते कि जहां परिस्थितियां अनुकूल न हों और उन देशों के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हो सकते हैं । क्या सरकार को इस बारे में मालूम है कि हमारे राजदूतों की इस अनिच्छा के कारण क्या हैं । यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ।

**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं यह बात नहीं मानता कि हमारे अच्छे राजदूत ऐसे देशों में नहीं जाना चाहते कि जहां आराम नहीं है । उस राजदूत को अच्छा नहीं समझा जाता कि जो देश के हितों की प्राथमिकता के अनुसार नियत किये गये स्थान पर न जाये क्योंकि उस स्थान पर पूरा आराम नहीं है । अतः ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं । मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं ।

**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या इस वर्गीकरण के कारण बहुत से दूतावास जैसे कोलम्बो में बहुत अधिक समय तक रिक्त पड़े रहे हैं ? इस का विशेष कारण क्या है ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : यह ठीक नहीं है । कोलम्बो के बारे में मैंने प्रश्नों के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी है । कोलम्बो में नियुक्ति के बारे में कोई ऐसी आम बात नहीं ।

**Shri Yashpal Singh :** What action is being taken to curb the indiscipline in forign service. The diplomats, when they are sent abroad, lose chance of promotion and thus there is dissatisfaction. What action is being taken to remove this dissatisfaction ?

**Shri Swaran Singh :** There is neither indiscipline nor dissatisfaction. The hon. Member has got those things in his heart and they should be removed now after my answer.

+ **मृत सैनिकों की पेंशन**

*619. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री राम सहाय पांडेय :**
**श्री उइके :**
**श्री राधेलाल व्यास :** }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले चीन के आक्रमण में मारे गये सैनिक कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी अनेक मामलों में अब तक कोई निश्चय नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं ;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें मृत कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों का भुगतान करने के प्रश्न पर अभी तक निर्णय नहीं किया गया है ; और

(घ) देरी के क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) :** (क) तथा (ख) : जी नहीं। इस प्रकार के मामलों की संख्या कम है। 3000 मामलों में से केवल 271 बाकी हैं। इन मामलों में भी 'पेंडिंग इन्क्वायरी अवार्ड' पहले ही दे दिया गया है, जो साधारणतौर पर मिलने वाली पारिवारिक पेंशन तथा संतान भत्ता के बराबर है। तीन मामलों में कुछ नहीं किया गया है, क्योंकि पारिवारिक पेंशन देने के लिए जिन वारिसों का नामांकन किया गया था वे पाकिस्तान चले गये हैं।

(ग) 73 मामले ।

(घ) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा गया है।

**विवरण**

बाकी पेंशन के मामलों का निर्णय करने में देर होने का कारण यह है कि सिविल प्राधिकारियों से आवश्यक छान-बीन के बाद यह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकी है कि दावेदार पारिवारिक पेंशन देने की शर्तों को पूरा करते हैं नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार की छान-बीन आवश्यक है, किन्तु चूंकि इसके कारण पेंशन के मामलों में अन्तिम निर्णय लेने में देर हुई है, सरकार ने हाल ही में इस कार्य-विधि में कुछ संशोधन किये हैं। संशोधित कार्य-विधि के अनुसार सिविल छान-बीन आवश्यक नहीं है और योग्य वारिसों द्वारा दावे के फार्मों को भरने तथा किन्हीं स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उनको प्रमाणित करने के आधार पर पेंशन की मंजूरी दे दी जायगी। यह संशोधित कार्य-विधि उन मामलों में भी बरती जायगी जो छान-बीन के लिए पहले से ही सिविल प्राधिकारियों के पास भेज दिये गये हैं, किन्तु प्राधिकारियों की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके फलस्वरूप, वे मामले जो सिविल प्राधिकारियों की रिपोर्ट न प्राप्त होने के कारण पड़े थे, आशा की जाती है कि उनका निपटारा शीघ्र ही हो जायगा।

अधिकतर मामलों में वेतन तथा भत्ता की बकाया राशि का भुगतान होने में देर होने का कारण यह है कि लाभ पाने वाले व्यक्ति नेपाल में रहते हैं जहां पोस्ट आफिस की सुविधाओं की कमी तथा कठिन भू-प्रदेश के कारण बुलाने वाले नोटिसें सम्बंधित व्यक्तियों तक पहुंचाना सम्भव नहीं होता। हाल ही में और फालतू क्लर्कों तथा चपरासियों की नियुक्ति भारतीय दूतावास नेपाल में करके यह काम हाथ में लिया गया है।

**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या मृत सैनिकों जो लड़ाई में मरे हों के परिवारों को कोई इकमुश्त राशि दी जाती है और सरकार द्वारा उन के बीमा करने का कोई प्रस्ताव है।

**डा० द० स० राजू :** मृत सैनिकों के परिवारों को विशेष पेंशन मिलती है और इस के अतिरिक्त विधवाओं को उपदान भी मिलता है। सैकन्ड लेफटिनेन्ट को 1335 रुपये उपदान मिलता है और विभिन्न अधिकारियों के लिये इसके दर विभिन्न हैं। एक जेनरल को 16,000 रुपये मिलते हैं। परिवार पेंशन के अतिरिक्त यह उपदान मिल सकता है।

**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच है कि उन के उत्तराधिकारियों को भविष्य निधि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं? और इस सम्बन्ध में इस प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिये प्रतिरक्षा लेखा सेवा में संवर्धन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

**डा० द० स० राजू :** लगभग सभी अवशिष्ट मामलों को निपटाया जा चुका है, केवल कुछ बाकी हैं जिन के बारे में जांच हो रही है।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या इन के परिवारों को पेंशन के साथ साथ, भूमि भी दी गई है ?

**डा० द० स० राजू** : यह इस वर्ग में नहीं आता है । यह अन्य वर्गों का कार्य है । भूमि बांटने के बारे में राज्यों तथा जिलों के सैनिक तथा नाविक कल्याण बोर्ड कार्य करते हैं ।

**श्री मं० रं० कृष्ण** : सैनिकों तथा विमान चालकों को दी जाने वाली परिवार पेंशन कब निश्चित की गई थी और क्या इन लोगों की परिवार पेंशन का पुनरीक्षण का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के सन्मुख है ?

**डा० द० स० राजू** : इसे 1961 में पुनरीक्षित किया गया था ।

**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : चीन के आक्रमण की धमकी और अन्य संघर्षों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का इन पेंशनों का पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव है ?

**डा० द० स० राजू** : जी नहीं ।

**Shri Gulshan :** Had the Government assured that those were killed or were disabled in the border war would be allotted land ? Had the Rajasthan Government or any other state Government made such promise, if so, when it will be fulfilled ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : पंजाब और राजस्थान में स्थिति के बारे में मुझे जानकारी नहीं है और मैं पूर्व सूचना चाहूंगा । हां उन्होंने इस बारे में कुछ योजनायें बनायी हैं कि भूतपूर्व सैनिकों को पुन: स्थापित किया जाये और भूमि उपलब्ध की जाये । परन्तु इस प्रश्न में तो नेफा में मरे व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं ।

**Shri Vishwa Nath Pandey :** The statement which has been placed on the table says :

> "ऐसे मामले जो सिविल प्राधिकारियों की जांच के कारण रुके हुए थे पर अब शीघ्र निर्णय हो जायेगा ।"

I want to know that early date when it will be decided.

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मेरे विचार में प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ कठिनाइयां थीं । अब उनको सरल कर दिया गया है । जनवरी में विशेष आदेश जारी किये गये थे । यह अब दो महीनों में मिल जाना चाहिये ।

**श्री सुबोध हंसदा** : बकाया भुगतान में विलम्ब का एक कारण यह है कि कुछ लोग नेपाल में रह रहे हैं और वहां संचार व्यवस्था ठीक न होने के कारण उनको सूचना नहीं पहुंच सकी । ऐसे मामलों की संख्या क्या है ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : नेपाल में लगभग 350 मामले हैं । हमें उनका पता मालूम नहीं हो सका । अब उन का पता मालूम करने के लिये विशेष कार्यवाही की जा रही है ।

**Shri Yudhvir Singh :** The statement shows the figures about the persons in whose case a decision is pending. I want to know whether apart from that are there more soldiers who were injured and are not entitled for pension ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मेरे विचार में और नहीं है । हमने ठीक आंकड़े दिये हैं ।

**श्री नाथ पाई :** स्वयं प्रतिरक्षा मंत्री के पेंशन सम्बन्धी प्रश्न के उत्तर के अनुसार क्या यह सच है कि जिन सैनिकों ने दोनों युद्धों में भाग लिया था उन को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सेवा की कुल अवधि दस साल थी जबकि नियमाधीन यह अवधि कम से कम 15 साल है। और क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत कम संख्या में हैं, क्या सरकार उन्हें कुछ राहत देने के बारे में सोच रही है ।

**अध्यक्ष महोदय:** यह एक दूसरा प्रश्न है ।

**श्री नाथ पाई :** यह प्रश्न पेंशनों के सामान्य मामलों से उत्पन्न होता है । और इसका उत्तर वह पहले दे चुके हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री कपूर सिंह ।

**श्री कपूर सिंह :** क्या सभी लापता व्यक्तियों को मृत समझ लिया जाता है । यदि हां, तो क्या ऐसे व्यक्ति जो संभवत: चीन में सेवा कर रहे हों को भी पेंशन मिलेगी ।

**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** इस समय चीन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है ।

**श्री कपूर सिंह :** क्या आप को ऐसा विश्वास है ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** जी हां ।

**श्री हेमबरुआ :** माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने अभी नेफा में मरे व्यक्तियों के बारे में सभा को बताया । क्या मैं. . .

**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** और लद्दाख में भी ।

**श्री हेम बरुआ :** क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान स्वर्गीय प्रधान मंत्री के ब्रिगेडियर होशियार सिंह के बारे में मुझे लिखे गये पत्र की ओर दिलाऊं :

> "किसी को मालूम नहीं कि ब्रिगेडियर होशियार सिंह की कहां और कैसे मृत्यु हुई । हम इन बातों के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे । चीन वालों ने कहा है कि उन्होंने उनको दफ़न कर दिया है और उनकी कबर पर उनके नाम का निशान लगा दिया है ।"

क्या ब्रिगेडियर होशियार सिंह की मृत्यु के बारे में कोई जांच की गई है । उसको मानपूर्वक दफ़नाये जाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** हां, उनकी मृत्यु के बारे में कुछ तथ्य मिले हैं । वे मेरे पास इस समय नहीं ताकि मैं माननीय सदस्य को दे सकूं ।

**Shri Sarjoo Pandey :** The hon. Minister has said that the civil authorities take long time in submitting report and that is why many restrictions have been removed. I want to know whether a report will be called for from civil authorities about killed soldiers; if not, the procedure for sanctioning pensions to them ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** जैसा मैंने एक उत्तर में कहा है कि उनके वारिसों के तथ्यों को जानने की प्रक्रिया सरल कर दी गई है । सरपंच का या निकट के लोगों का प्रमाण पत्र भी मान्य होगा । मेरे विचार में इस से मामलों को जल्दी निपटाया जा सकेगा ।

## दिवाकर समिति का प्रतिवेदन

\+

*620. श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री राधेलाल व्यास :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री उ० मू० त्रिवदी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री छोटे समाचार पत्रों की स्थिति सम्बन्धी दिवाकर समिति के प्रतिवेदन के बारे में 30 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 272 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कथित प्रतिवेदन इस बीच सरकार को दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री च० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

**Shri Yashpal Singh :** This work has been entrusted for long. When should we expect it to be completed ? Can there be a definite date ?

**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : छः महीने की अवधि थी। इस में वे समाप्त नहीं कर सके। काम अधिक है, अतः समय बढ़ा दिया गया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : कोई निश्चित तिथि बतायी जा सकती है। वह यह जानना चाहते हैं ।

**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : हम इसे शीघ्रता से कर रहे हैं ।

**Shri Yashpal Singh :** What decision has been taken till the receipt of report in regard to Hindi papers and other language papers ? They are put to hardship regarding quota and advertisments. What action has been taken by the Government ?

**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : समय 11 अगस्त 1965 तक बढ़ाया गया है। वे तो और समय बढ़ाना चाहते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई अन्तरिम निर्णय किया गया है ।

**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : जी नहीं ।

**Shri Siddheswar Prasad :** I want to know the reasons of asking for extension of time by the sub-Committee ? Are there some difficulties being experienced by it or Government has increasd its terms of reference ? What are reasons for extending the time ?

**Shrimati Indira Gandhi :** They touring the country to contact such papers and that is why there is delay.

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या इस समिति ने सरकार के इस निर्णय, कि जिस के अनुसार विज्ञापन की मान्यता प्राप्त मात्रा में कमी कर दी गई है, के विरुद्ध शिकायत की है ?

**श्री च० रा० पट्टाभिरामन** : यह हो सकता है कि दो तीन दिन पहले हुआ हो । परन्तु इस की हमारे पास जानकारी नहीं है ।

**Shri K. N. Tiwary :** The hon. Minister has said very soon. The report is expected very soon. It is an official answer. I want to know how long time it will take — 2 months, 4 months, 6 months—what is the time limit for it ?

**Shrimati Indira Gandhi :** Later on he said that extension has been given upto 11 August.

ADVERTISEMENTS FOR LANGUAGE PAPERS

+

*621. { **Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Jagdev Singh Siddhanti :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(*a*) the broad outlines of the instructions issued for giving advertisements to Indian languages newspapers ;

(*b*) whether Government have received some memoranda in this connection; and

(*c*) if so, Government's reaction thereto ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi)** :(*a*) No specific instructions governing the release of advertisements to Indian language newspapers have been issued.

(*b*) Yes, Sir,

(*c*) It has been Government's aim to make progressively increasing use of newspapers in Indian lanugages for advertisements.

**Shri Prakash Vir Shastri :** Have the Government been charged for giving advertisements only to those papers which support Government's policy and for not giving advertisements to those papers which support the public in these memoranda received by Government ?

**Shrimati Indira Gandhi :** No, Sir.

**Shri Prakash Vir Shastri :** Did the Ministry of Finance consult the Ministry of Information regarding the critical situation that has arisen for the newspapers by the policy laid down by the Ministry of Finance regarding the advertisments two or three days back ?

**Shrimati Indira Gandhi :** No, Sir.

**श्री जयपाल सिंह** : क्या ये विज्ञापन समाचार पत्र की प्रतियों के आधार पर दिये जाते हैं अथवा इसके लिये कोई और कसौटी अपनाई जाती है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : समाचारपत्र की प्रतियों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। परन्तु मैं सभा को सूचित कर दूं कि चालू वर्ष में, अप्रैल, 1964 से फरवरी 1965 तक की अवधि में भारतीय भाषाओं के 882 समाचारपत्रों को विज्ञापन दिये गये जबकि 1954–55 में 291 समाचारपत्रों को विज्ञापन दिये गये थे। अनुपात बढ़ा है। हम अन्य बहुत सी बातों पर भी विचार कर रहे हैं।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या सरकार को इसकी सूचना है कि वित्त मंत्री के विज्ञापन पर कुछ शुल्क लगाने के प्रस्ताव का व्यापक रूप से विरोध किया गया है और यदि हां, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस संबंध में क्या कर रहा है ? क्या वह समाचारपत्रों के इस मामले को वित्त मंत्रालय के सामने रखेगा अथवा इस मामले पर उसका क्या रवैया है ?

**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : माननीय सदस्य शायद कुछ ऐसे नियमों का जिक्र कर रहे हैं जो अभी हाल ही में जारी किये गये हैं। जो भी नई बातें हो रही हैं हम उनकी जानकारी रख रहे हैं।

**श्री कंडप्पन** : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि अन्य बातों के साथ साथ समाचारपत्रों की कितनी प्रतियां निकलती हैं इसका भी ध्यान रखा जाता है। अन्य बातें क्या हैं, और कम से कम किसी समाचारपत्र की कितनी प्रतियां निकलनी चाहियें ?

**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : समाचारपत्रों की प्रतियों के निकलने के बारे में कोई सीमा नहीं है। परन्तु, मैं 5 या 6 श्रेणियों दे सकता हूं : प्रथम, प्रभावशाली परिचालन ; दूसरे, निर्यमित प्रकाशन ; तीसरे, पाठकवर्ग ; चौथे पत्रकारिता नीति शास्त्र के मान्य स्तर का पालन करना ; पांचवें अन्य बातें जैसे कि उत्पादन स्तर, भाषा तथा क्षेत्र।

**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार को तार द्वारा छोटे समाचारपत्रों और भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें आयकर तृतीय संशोधन नियम, 1965 द्वारा विज्ञापनों पर खर्च कम करने के बुरे परिणामों का उल्लेख किया गया है और यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि हम इससे अवगत हैं और उचित समय पर हम संबंधित मंत्रालय से इस पर बातचीत करेंगे।

**Shri Kishan Patnaik :** Just now the Minister said that the Finance Minister had not consulted the Ministry of Information before taking a decision to impose restrictions on small papers. May I know whether the Minister has raised any objection nor taking unilateral decisions like this ?

**Shrimati Indira Gandhi :** No, Sir.

**श्री सं० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि अंग्रेजी के समाचारपत्रों की विज्ञापन की दरें भिन्न हैं और छोटे समाचारपत्रों सहित भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों की दरें भी भिन्न हैं ?

**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं आंकड़े दे सकता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाये।

**श्रीमती सावित्री निगम** : यह कहना कहां तक सच है कि सरकार ने कुछ ऐसे समाचारपत्रों और साप्ताहिक पत्रों को भी विज्ञापन दिये हैं जो संसनी फैलाने वाले समाचार छापते हैं ।

**श्री चे0 रा0 पट्टाभिरामन** : निश्चय ही हम ऐसे पत्रों को विज्ञापन नहीं देते जो ऐसी बातें छापते हैं जिनसे देश की अखण्डता को खतरा हो और जो अश्लील बातें लिखते हैं ।

**गोआ में नौसैनिक अड्डा**

+

*622. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**महाराजकुमार विजय आनन्द :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री क० ना० तिवारी :**
**श्री सोलंकी :**
**श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
**श्री मं० रं० कृष्ण :**
**श्री हुक्म चन्द कछवाय :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री बड़े :**
**श्री दे० द० पुरी :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री राम सहाय पाण्डय :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री ल० ना० भंजदेव :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ बन्दरगाह का एक बड़े नौ-सैनिक अड्डे के रूप में विकास करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) काम कब आरम्भ होगा और परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

**रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) गोआ को एक नौसैनिक अड्डे के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) तथा (ग). गोआ के सारे बन्दरगाह का विकास करने के लिए सरकार ने एक परामर्शदात्री फर्म को नियुक्त किया है । उसकी सिफारिशों के मिलने और सरकार द्वारा उन पर विचार कर ले के बाद विस्तृत योजना अमल में लाई जायगी । इस समय स्थान के बारे में छानबीन हो रही है

**Shri Yashpal Singh :** Will the Commercial facilities, now availablei Goa, continue after the construction of this naval base ?

**डा० व० स० राजू** : जी हां ; इन व्यापारिक सुविधाओं पर भी विचार किया जायेगा ।

**Shri Yashpal Singh :** Do the Government propose to establish submarines also there ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :** यह एक सामान्य मामला है । इस समय प्रश्न पनडुब्बी का नहीं है ।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार उस पोत प्रांगण का विस्तार करना चाहती है जिसे कि पुर्तगाली, जब वे गोआ से गये, तो खराब हालत में छोड़ गये थे ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : इस पत्तन पर भी विचार किया जायेगा ।...... (अन्तर्बाधा) उस समय जब कि सारे प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

**श्री शिंकरे** : प्रश्न । यह एक पोतप्रांगण नहीं है ; गोआ एक पत्तन नहीं है ।

**Shri K. N. Tiwary :** May I know whether Indian firms will work in this Port Development Scheme or whether help of foreign experts will be taken ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मूल प्रश्न में कहा गया है कि ब्रिटिश परामर्शदाताओं की एक फर्म को नियुक्त किया गया था । वे भारतीय फर्मों की सहायता भी ले सकती हैं ।

**श्री शिंकरे** : क्या सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है कि वर्तमान मरमागोआ पत्तन के साथ गोआ में नौसैनिक अड्डे के विकास के साथ साथ वह वर्तमान पत्तन को अधिक गुंजान आबाद न होने देने के लिये कदम उठायेगी और इसको दूसरा कलकत्ता पत्तन नहीं बनायेगी ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : परामर्शदाताओं का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात सारा मामला स्पष्ट हो जायेगा ।

**श्री कपूर सिंह** : क्या इस मामले पर निर्णय किया गया था कि जब इस प्रस्तावित नौसैनिक अड्डे को चुन लिया जायेगा तो इस वर्तमान पत्तन से काफी फासले पर रखा जायेगा ताकि अधिक भीड़-भाड़ न होने पाये ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : स्वभावत: भीड़-भाड़ के इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा । मैं समझता हूं कि परामर्शदाताओं को इसका निर्देश दिया गया है ?

**श्री मं० रं० कृष्ण** : नौसैनिक अड्डे के लिये जिन मुख्य उपकरणों की आवश्यकता है क्या उन्हें किसी एक ही देश से प्राप्त किया जायेगा अथवा कई देशों से और क्या समय सीमा का ख्याल रखा जायेगा ?

**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मेरे पास अभी ब्योरे नहीं हैं । जहां तक परामर्शदाताओं का संबंध है, मैं समझता हूं कि उन्हें निश्चित समय के भीतर ही काम करना पड़ेगा ।

## नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

+
*623. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री सूर्य प्रसाद :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 27 दिसम्बर, 1964 को वाराणसी में अपने दौरे के दौरान पत्रकारों से कहा था कि सरकार पश्चिम बंगाल सरकार से इस बात की जांच करने के लिए कहेगी कि क्या नेताजी जीवित हैं तथा शौलमारी आश्रम का सन्यासी नेताजी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

**प्रधान मंत्री के सभा सचिव श्री ललित सेन :** (क) 27 दिसम्बर, 1964 को वाराणसी में पत्रकारों से हुई अपनी अनौपचारिक बातचीत के दौरान प्रधान मंत्री ने कहा कि शौलमारी आश्रम के सन्यासी ने कई बार स्वयं घोषित किया है कि वे नेताजी सुभाषचन्द्र बोस नहीं हैं। प्रधान मंत्री ने आगे चल कर कहा कि वे, फिर भी, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से इस बारे में सम्पर्क करेंगे।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले में पूछताछ की है और यह मालूम किया है कि शौलमारी आश्रम का सन्यासी नेताजी सुभाषचन्द्र बोस नहीं है।

**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान नेहरू जी के दिवस पर वृत चित्र संख्या 816-बी की ओर दिलाया गया है जिसमें यह साफ-साफ दिखाया गया है कि एक व्यक्ति जो नेता जी से शत प्रतिशत मिलता है मौजूद था ?

**श्री कपूर सिंह** : 80 प्रतिशत ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : यदि हां तो यह पता लगाने के लिये कि वह व्यक्ति कौन था सरकार ने क्या कदम उठाये हैं। मेरे पास फोटो ग्राफ है और यदि आप मुझ आज्ञा दें तो मैं इसे सभापटल पर रख दूंगा ।

**प्रधान मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैंने फोटोग्राफ नहीं देखा है। इसको देख कर ही मैं कुछ कह सकता हूं ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जिन्होंने शौलमारी आश्रम के इस साधू की ओर से सरकार से दृढ़तापूर्वक घोषणा करने के लिये प्रार्थना की है कि यदि नेता जी भारत आ जायें तो उन्हें कोई गैर नहीं समझा जायेगा अपितु इस देश का एक आदर्णीय प्रतिनिधि समझा जायेगा (**अन्तर्बाधाएं**) और यद्यपि अन्य देश उन्हें युद्ध अपराधी समझें, भारत इस देश में उनकी रक्षा करेगा ?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे खेद है कि मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि यदि नेता जी प्रकट हो जायें तो क्या भारत एक आदर्णीय नागरिक और देशभक्त के रूप में सदैव उनका स्वागत करेगा ?

**श्री स० मो० बनर्जी** अनेक लोगों को यह भय है कि जो अब भी यह समझते हैं कि नेताजी जीवित हैं, कि अंग्रेज अब भी उनको युद्ध अपराधी समझते हैं । इस सम्बन्ध में वे सरकार से स्पष्ट घोषणा चाहते हैं ।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वह इतिहास की बातें कर रहे हैं जब कि यहां पर अंग्रेजों की सरकार थी । भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता है, वास्तव में यहां पर उनके लिये जो भी संभव है हमने करने का प्रयत्न किया है । हमने उनका आदर किया है और हमने उनकी सहायता करने और उन्हें बसाने का भी प्रयत्न किया है । जहां तक नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का संबंध है, इस देश में किसी भी व्यक्ति को इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि एक सबसे बड़े अभिनेता के रूप में उनका यहां पर अभिनन्दन किया जायेगा ।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि शौलमारी के इस सन्यासी ने बार बार यह दोहराया है कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । और न्यायालय में जाने की धमकी दी है और कहा है कि यदि दोबारा यह सुझाव दिया गया कि वह नेताजी हैं तो वह प्रधान मंत्री को भी क्षमा नहीं करेंगे ?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह बिल्कुल सच है कि उन्होंने इससे साफ इन्कार कर दिया है, और मुझे खेद है कि इस मामले को बार बार दोहराया जाता है और इस सभा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं ।

**Shri K. N. Tiwary :** The Central Government have conducted investigations regarding Netaji Subhash Chander Bose several times and it has been reported that he had died in air crash and when this Sanyasi of Shaulmari has completely denied that he is not Subhash Bose. In view of this what are the reasons which led Prime Minister to decide for holding another investigation and for asking the Chief Minister of that place to conduct an investigation ?

**Shri Lal Bahadur Shastri :** When the people insist time and again we had only to say to the Chief Minister of West Bengal to reaffirm his views, to reiterate them that the Sanyasi of Shaulimari Ashram is not Subhash Bose and this is what the Chif Minister of West Bengal in a Press Conference did.

**Shri Vishwa Nath Pandey :** Have the Government ever made enquiries with the family members of Subhash Babu in view of the idea nourished by some newspapers and many people that the Sanyasi of Shaulimari Ashram is Netaji Subhash Bose ?

**Shri Lal Bahadur Shastri:** No, Sir, enough investigation has been conducted in this regard and it has been reported that he has nothing to do with Subhash Bose.

**Shri Sarjoo Pandey :** Why do the Government not investigate as to which place this Sadhu belongs in view of the wide publicity being given by the supporters of Subhash Babu that the Sadhu of Shaulmari Ashram is Subhash Babu ?

**Mr. Speaker :** That Sadhu himself says that he is not Subhash.

**श्री हेम बरुआ** : इस दृष्टि से कि काफी लोगों का विश्वास है कि उक्त सन्यासी नेताजी हैं और इसका राजनीतिक प्रभाव पड़ रहा है, केन्द्रीय सरकार ने स्वयं इसकी जांच करने के बजाये इस कार्य को राज्य सरकार पर क्यों छोड़ दिया है ।

**अध्यक्ष महोदय :** यह बात स्पष्ट की जा चुकी है **(अन्तर्बाधा)**

**Shri Maurya :** The fact of Netaji Subhash Chander Bose's death had already been established by the investigations carried out by a special Committee appointed to find out whether Netaji died in an air crash. In view of this why some journalists and people are creating doubts in the country and claim that Netaji is alive ? Do the Government propose to take any action against them in the future.

**Shri Lal Bahadur Shastri :** So far as we think the whole of the country generally agrees with what Government has said in this regard. Now if some of the people have doubts or others want to give publicity to it, we need not take any action against them.

## खेतिहर मजदूरों के लिए न्यनतम मजूरी

+

*624. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री राम हरख यादव :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अप्रैल, 1965 से खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 लागू करने का निश्चय किया है ;

(ख) कितने राज्यों ने यह अधिनियम लागू करने की कार्यवाही की है; और

(ग) क्या संघ सरकार ने राज्य सरकारों को अधिनियम के उपबंधों का पालन कराने के लिए विशेष तौर से सलाह दी है ?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) :** (क) कृषि में न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 लागू करने के लिए प्रवर्तन मशीनरी आंध्र प्रदेश में पहले ही विद्यमान है । लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल, 1965 से केवल कृषि रोजगार में इस अधिनियम को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए श्रम विभाग के नियंत्रण में एक अलग मशीनरी बनाने का फैसला किया है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार, सभी राज्य सरकारों और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा के संघ क्षेत्रों ने इस अधिनियम को कृषि रोजगार में लागू करने के लिए प्रवर्तन मशीनरी पहले ही

स्थापित कर दी है । बिहार, मध्य प्रदेश, महराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों ने राजस्व और कृषि विभागों के विशिष्ट अधिकारियों को केवल कृषि रोजगार में इस अधिनियम को लागू करने के लिए निरीक्षक नियुक्त किया है ।

(ग) राज्य सरकारों से पहले ही प्रार्थना कर दी गई है कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों को कृषि रोजगार में प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए प्रर्वतंन मशीनरी को मजबूत करें ।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार ने समुदाय के इस महत्वपूर्ण भाग का कोई समूचा सर्वेक्षण किया है और यह सुनिश्चित किया है कि आपातकालीन उपाय के रूप में कहां तक शीघ्र कदम उठाने चाहियें जिससे कि लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो कि सरकार उनकी वर्तमान स्थिति से अवगत है ?

**श्री संजीवैय्या** : खेतीहर मजदूरों के संबंध में दो बार पहले जांच कराई जा चुकी है, और सरकार शीघ्र ही एंक अखिल भारतीय गोष्ठि आयोजित कराने का विचार रखती है ।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार को अमरीका के एक प्राध्यापक द्वारा टेलको में किये जा रहे अनुसन्धान की जानकारी है जिनका कि कहना है कि 70 प्रतिशत ऋण-ग्रस्त हैं और इन खेतीहरों की हालत और भी अधिक खराब है; यदि हां, तो उनकी हालत सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**श्री संजीवैय्या** : माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित प्रतिवेदन पर हम विचार करेंगे, और इसके अतिरिक्त जब हम गोष्ठि का आयोजन करेंगे तो खेतीहर मजदूरों से संबंधित हम सभी कदम निश्चय ही उठायेंगे ।

**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार ने भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की मजूरी के ढांचे का कोई सर्वेक्षण किया है; यदि हां, तो किस राज्य में खेतीहर मजदूरों की औसत आय निम्नतम है ?

**श्री संजीवैय्या** : जहां तक खेतीहर मजदूरों की आय का बंसंध है, हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं, परतु उनकी दरें समय समय पर निर्धारित की गई हैं ।

मेरे पास वे आंकड़े हैं । महाराष्ट्र में निम्मतम दर है जहां कि यह केवल 62 पैसे है ।

**श्रीमती सावित्री निगम** : विभन्न राज्यों में खेतीहर मजदूरों की निम्नतम आय भिन्न क्यों है? क्या माननीय मंत्री को यह भी पता है कि कुछ राज्यों में इस अधिनियम के होते हुए भी मजदूरों का बड़ा शोषण किया जाता है और खेतीहर मजदूरों में बेगार अब भी चालू है ?

**श्री संजीवैय्या** : ये निम्नतम मजूरियां विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती हैं । स्वभावत: राज्य सरकारें अपने अपने राज्य की हालत पर विचार करेंगी । उदाहरणार्थ, आन्ध्रप्रदेश में जब निम्नतम मजूरियां निर्धारित की गई थीं तो मैं वहां पर श्रम मंत्री के रूप में उपस्थित था । हम ने राज्य को तीन खण्डों में बांट दिया और 3 विभिन्न भाव निर्धारित कर दिये ।

**Shri Ram Harakh Yadav** : Are there some States where the minimum wage is 40 and 50 paise ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri B. K. Malviya)** : This is not known. However, as the hon. minister just now said there is one state where the rate is 62 paise.

**श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या सरकार राज्य सरकारों से न्यूनतम मजूरी अधिनियम के पुनरीक्षण के लिए कहेगी और देश की वर्तमान आर्थिक दशा को देखते हुए इन खेतीहर मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि करने के लिए कहेगी ?

**श्री संजीवैय्या** : जी हां, हमने सभी राज्य सरकारों को लिखा है; वास्तव में 21-4-65 मैं ने सभी मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा है ।

**श्री प्रभात कार** : यह देखते हुए कि खेतीहर मजदूर अच्छी तरह से गठित नहीं हैं और व्यक्तिगत काश्तकारों द्वारा नौकरी पर रखे जाते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनको न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मजूरी दी जाये सरकार ने क्या क्रिया अपनाई है?

**श्री संजीवैय्या** : यह बिल्कुल सच है कि कृषि क्षेत्र में मजदूर सुगठित नहीं हैं। इसलिये हम राज्य सरकारों से लागू करने की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अनुरोध करते रहे हैं ।

**श्री काशीनाथ पांडे** : यह देखते हुए कि मजदूरी स्तर में समानता लाने के लिए सरकार प्रत्येक उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड नियुक्त कर रही है, क्या सरकार के लिए केन्द्र से कुछ कदम उठाना संभव होगा ताकि समस्त देश में खेतिहर मजदूरों की मंजूरियों में समानता लाई जा सके ?

**श्री संजीवैय्या** : समानता लाना शायद संभव न हो सके । जैसा कि मैं ने पहले बताया हम एक राज्य में भी समान दरें न ला सके ।

**श्री रेड्डियार** : क्या सरकार ने प्रत्येक मजदूर द्वारा किये जाने वाले काम की मात्रा तथा किस्म निधारित करने का कोई तरीका निकाला है ?

**श्री संजीवैय्या** : ऐसा करना कुछ कठिन है ।

## Administrative set-up of NEFA

\+

*625. **Shri Sidheshwar Prasad :**
**Shri P. C. Borooah :**
**Shri Hem Raj :**
**Shri Inderjit Gupta :**
**Shri Daji :**
**Shri Ram Harakh Yadav :**
**Shri Kolla Venkaiah :**
**Shri D. J. Naik :**
**Shri J. B. S. Bist :**
**Shri Yashpal Singh :**
**Shri Balmiki :**
**Shrimati Renuka Barkataki :**

Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Ering Committee has submitted its report regarding the re-organisation of administrative set-up of NEFA;

(b) if so, the main recommendations thereof; and

(c) the steps so far taken to implement them ?

**The Minister of State in the Ministry of External Affiars (Shrimati Lakshmi N. Menon)** (a) Yes, Sir.

(b) the main recommendations of the Committee are:-

(i) Formation of the following bodies at the village circle and district levels in NEFA—

(1) Village -Gram Panchayat

(2) Circle-Anchal Samiti

(3) District-Zila Parishad

(ii) At the agency level, the Committee has suggested the formation of an Agency Advisory Council. the Council should meet once or twice a year. It would discuss in detail the Five-Year Plans of the Agency as well as the Annual Budget proposal and allocation of funds to the districts.

(c) The various recommendations of the Committee are now under examination.

**Shri Sidheshwar Prasad** : I want to know the reason for taking a decision on the report of the Ering Committee ?

**श्रीमती लक्ष्मी एन0 मेनन** : वे विचाराधीन हैं और मंत्रालय उनका अध्ययम कर रहा है ।

**Shri Sidhe hwar Prasad** : The Ering Committee gave its recommendations regarding political set up. I want to know whether it went into the question of imporoving economic condition also.

**श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन** : इसका संबंध इन सारी बातों से है अर्थात् विकास अथवा राजनीतिक प्रश्नों से ।

**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि नेफा का निर्माण केवल थोड़े काल के लिए था कि वहां विकास के कार्य हों और जो जो क्षेत्र विकसित होते जावें वे आसपास के राज्यों में मिला दिये जावें। परन्तु इस समिति ने उसे अब स्थाई बना दिया है । तो क्या यह पहले जो ध्यय था कि बराबर के राज्यों में इस क्षेत्र को मिला दिया जावे उसके विरुद्ध कार्यवाही न होगी ?

**श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन** : इसका उस समस्या से बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है । इसका सम्बन्ध तो केवल यह है कि नेफा में जनतन्त्री ढ़ांचा स्थापित हो सके ।

**श्री ज० ब० सिं० बिष्ट** (अल्मोड़ा): यह प्रतिवेदन जनवरी में सरकार को दे दिया गया था। क्या यह वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में पहुंच गया है । यदि हां, तो यह मंत्रालय इस पर अपना निर्णय कितने समय तक ले लेगा?

**श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन** : मैंने पहले ही बता दिया है कि यह प्रतिवेदन वैदेशिक कार्य मंत्रालय में है और उस पर जांच हो रही है ।

**Shri Ram Harakh Yadav** : What is obstacle in the Government's way that NEFA should be under the Government of Assam ?

**श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन** : यह तो भिन्न प्रश्न है ।

**श्री जोकीम आल्वा** : यह केवल प्रशासनिक समस्या नहीं है । वहां एक अच्छा प्रशासन होना चाहिये । वहां काफी क्षेत्र ऐसा है जहां कोई आबादी नहीं है और उसपर चीनियों ने अपनी निगाह जमा रखी है । सरकार इस दिशा म क्या कार्य कर रही है ?

**श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन :** यह इस प्रश्न से नहीं उठता है।

**Shri Yashpal Singh :** How much of this problem is dealt with by the External Affairs Ministry and how mich by the Home Affairs Ministry.

**श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन :** इसका संबंध केवल वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से है।

**श्री हेम बरुआ :** वहां के लोगों को भी लोकतन्त्र के सुःख दुःखों का आभास हो, मैं यह जानना चाहता हूं कि नेफा को सरकार दूसरे राज्यों में मिलाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है जिस से यह कार्य शीघ्र हो सके ?

**श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन :** इस प्रश्न का उत्तर मैं ने पहले दे दिया है।

**शेख अब्दुला द्वारा भारत विरोधी प्रचार**

*637. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री हेम बरुआ :**
**श्री हुक्म चन्द कछवाय :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख :**
**श्री हेमराज :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री गुलशन :**
**श्री बाल्मीकी :**
**श्री प० ह० भील :**
**श्री तन सिंह :**
**श्री म० प० स्वामी :**
**श्री अब्दुल गनी गोनी :**
**श्री राधेलाल व्यास :**
**श्री शिव नारायण :**
**श्री पन्ना लाल :**
**श्री बृजबिहारी महरोत्रा :**
**श्री शिवमूर्ति स्वामी :**
**श्री नवल प्रभाकर :**
**श्री दाजी :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री दे० जी० नायक :**
**श्री छोटू भाई पटेल :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काश्मीर के नेता, शेख अब्दुला द्वारा काहिरा (संयुक्त अरब गणराज्य) इंग्लैंड तथा अन्य देशों की अपनी हाल की विदेश यात्रा में किये भारत-विरोधी प्रचार के प्रतिकूल प्रभावों पर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रचार का निराकरण करने के लिए क्या कार्यावाही की जा रही है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन)** : (क) शेख अब्दुला ने संयुक्त अरब गणराज्य और ब्रिटेन में जो बयान दिये हैं,, उन्हें सरकार ने देखा है । इनमें से अधिकांश में उन्होंने अपने उन बयानों का खण्डन किया है जो कि उन्होंने पहले विलय, पाकिस्तानी आक्रमण आदि के बारे में दिए थे ।

(ख) हमने अपने मिशनों को निर्देश दे दिया है कि शेख अबदुल्ला भारत के विरोध में जो भी प्रचार करे उसका वे प्रतिकार करे । काहिरा और लंदन जैसे कुछ मिशनों ने शेख अब्दुल्ला के ही वे बयान जारी किये हैं जिममें उन्होंने विलय को अंतिम और अटल कहा है, कश्मीर और शेष भारत के अटूट बंधन पर बल दिया है तथा पाकिस्तान के आक्रमण का पर्दा फाश किया है जिसमें पाकिस्तानी आक्रमणकारियों द्वारा जम्मू और कश्मीर के भोले-भाले लोगों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं । यह सामग्री अरबी और अंग्रेज़ी भाषाओं में जारी की गई है ।

**Shri Prakash Vir Shastri** :Whether it is a fact that in his application for issue of passport to him, Sheikh Abdullah has written about himself in the application not as an Indian national but as a Kashimir Muslim and even then the decision to grant passport to him was taken by Prime Minister,the External Affairs Minister and such other high level. If so, the reasons therefor ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : पारपत्र तो उन्हें कुछ महीने पूर्व यानी पिछले वर्ष मई, जून में दे दिया था जब वह पाकिस्तान गये थे । अब तो केवल उस पारपत्र को अवधि ही बढ़ानी थी । यह सत्य है कि उसने अपने आपको वहां जम्मू तथा काश्मीर का नागरिक लिखा था । परन्तु जम्मू तथा काश्मोर भारत का अंग हैं और उसने पारपत्र एक भारतीय नागरिक के नाते स्वीकार किया है । इस प्रकार हम और स्पष्ट हैं कि ऐसा करके हमने अपने हितों को दुविधा में नहीं डाला है ।

**श्री कपूर सिंह** : इन प्रश्न को टाला जा रहा है । प्रश्न यह नहीं है कि वह कहां का नागरिक है । अपितु यह कि क्या उसने अपने आपको भारत का नागरिक लिखा या नहीं । यदि नहीं लिखा तो उसे पारपत्र क्यों दिया गया ।

**श्री स्वर्ण सिंह** : उसने पारपत्र को स्वीकार कर लिया है और वहां भारतीय नागरिक लिखा होता है । हमारे लिये यह काफी है ।

**अध्यक्ष महोदय** : काश्मीरी मुस्लिम कोई नागरिकता नहीं है । जब यह वैदेशिक कार्य मंत्रालय के सम्मुख गया तो उन्होंने यह देखा कि सारा विवरण ठीक प्रकार दिया है अथवा नहीं । "नागरिकता" के खाने में तो नागरिकता हो लिखी थी अथवा नहीं ।

**श्री स्वर्ण सिंह** : यह पारपत्र मेरे पद ग्रहण करने से पहले ही दे दिया गया था । मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जो बातें यहां उठी हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारा विचार यह है कि आगे के लिये कठोर निर्देश जारी किये जायेंगे कि किसी भी व्यक्ति को पारपत्र तब तक न दिया जावे जब तक वह अपने आपको स्पष्ट रूप से भारतीय नागरिक न लिखे ।

**श्री अ० प्र० जैन** : क्या यह समाचार पढ़ा है कि शेख अब्दुल्ला को चीन ने आमंत्रित किया है ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह बिल्कुल भिन्न प्रश्न है।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मंत्री महोदय ने कहा है असावधानी के कारण शेख अब्दुल्लाह को पारपत्र दे दिया गया यद्यपि उसने अपने आपको भारतीय राष्ट्रिक लिखने की बजाय काश्मीरी मुस्लिम लिखा था। क्या सरकार को इतना भी ज्ञान नहीं था कि इस प्रकार की गलतियों का लोग अनुचित लाभ उठावेंगे। इस दिशा में क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैंने "असावधानी" शब्द का प्रयोग नहीं किया है। और शेख अब्दुल्लाह ने भी इस प्रश्न का तो लाभ नहीं उठाया है और न ही यह कहा है कि उनके पास भारतीय पारपत्र है यद्यपि उसने अपने आपको भारत का राष्ट्रिक नहीं लिखा था। इसलिये यह तो प्रश्न ही नहीं उठता।

**अध्यक्ष महोदय** : अब हमें आगे इस प्रश्न को नहीं बढ़ाना चाहिये। वैसे मैं मंत्री महोदय को एक सुझाव दूं कि यदि मंत्रालय के किसी अधिकारी ने असावधानी के कारण यह गलती कर दी हो तो इसकी जांच की जावे। यदि यह उच्च स्तर पर हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

**Shri Prakash Vir Shastri** : There has been a special sanction of Foreign exchange to him to the time of Rs. 35,000.

**श्री स० मो० बनर्जी** : इसकी जांच की जावे।

---

# प्रश्नों के उत्तर

## विमान परियोजनाओं का एकीकरण

*626. **श्री स० चं० सामन्त** :
**श्री म० ला० द्विवेदी** :
**श्री सुबोध हंसदा** :
**श्री ब० कु० दास** :
**श्री स० मो० बनर्जी** :
**श्री यशपाल सिंह** :
**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** :
**श्री हिम्मतसिंहका** :
**श्री रामेश्वर टांटिया** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब मंत्रालय के अधीन विभिन्न विमान उत्पादन परियोजनाओं का प्रशासन करने के लिये एक अकेला एकीकृत निगम स्थापित करने के बारे में ब्यौरा तैयार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह कब कार्य करना आरम्भ करेगा ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय म प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्रीह अ० म० थामस)** : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). विमान निर्माण सम्बन्धी विभिन्न यूनिटों का प्रबन्ध करने के लिए सब को मिला कर एक संयुक्त कम्पनी की स्थापना 1 अक्तूबर, 1964 से की गई है। इसमें पुरानी हिन्दुस्तान एअर क्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर, एअर क्राफ्ट मैनुफैक्चरिंग डिपो, कानपुर तथा मिग उत्पादन करने के लिए नासिक, कोरापुट और हैदराबाद में खड़ी की जाने वाली तीनों फैक्टरियां सम्मिलित हैं। बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स से उनके अधिकारों का डेलीगेशन प्राप्त करने का नियम बनाया गया है, ये जिससे कि पांचों प्रभाग व्यवसाय-संस्थानों की भांति कार्य कर सकें।

## अमरीका स्थित भारतीय राजदूत

*627. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राज्य अमरीका में भारत के राजदूत श्री बी० के० नेहरू के वाशिंगटन में 'अमरीकन बिजनेस प्रेस' के सामने दिये गये इस भाषण की ओर गया है कि सभी अणुशक्ति वाले वर्तमान देशों को मिल कर सामूहिक रूप से गैर अणुशक्ति वाले देशों को आणविक आक्रमण के विरुद्ध गारन्टी देनी चाहिए ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान राजदूत के भाषण के इस वाक्य की ओर भी गया है :

"भारत के प्रधान मंत्री ने यह प्रश्न अणुशक्ति वाले देशो के सामने रखा है और हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा में हैं ;"

(ग) क्या सरकार ने राजदूत को ये वक्तव्य देने का अधिकार दिया था ; और

(घ) क्या श्री नेहरू से ये वक्तव्य देने के लिए जवाब मांगा गया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां। लेकिन यह बात किसी पूर्व निश्चित भाषण में नहीं कही गई थी बल्कि रात्रि के एक भोज के बाद सवालों का जवाब देते हुए कही थी जिसका आयोजन अमेरिकन बिजनेस प्रेस ने किया था।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). विभिन्न सभा-सम्मेलनों में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर बयान देना हमारे राजदूतों का सामान्य व्यवहार है। ऐसे अवसरों पर बयान देने के लिये उन्हें सरकार से विशेष रूप से आज्ञा नहीं लेनी होती।

जैसा कि सभी जानते हैं, हमारे प्रधान मंत्री ने अणु अस्त्रों के संवर्धन को रोकने तथा अणु अस्त्रों के संवर्धन और आणविक आक्रमण के खतरे से अणु अस्त्रहीन राष्ट्रों की रक्षा करने के अणु अस्त्रधारी राष्ट्रों के दायित्व का आम सवाल उठाया है। राजदूत महोदय इसी सवाल के परिप्रेक्ष्य में अपने व्यक्तिगत विचार प्रकटकर रहे थे। सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती।

## Lok Sahayak Sena

*628. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Gauri Shankar Kakkar :
Shri U. M. Trivedi :
Shri Bade :
Shri Sinhasan Singh :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Madhu Limaye :
Shri Sheo Narain :
Shri D. D. Mantri :
Shri D. S. Patil :
Shri P. H. Bheel :
Shri Sham Lal Saraf :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Y. D. Singh :
Shri Lahri Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recruitment to the Lok Sahayak Sena was made under the Army Act;

(b) Whether it is also a fact that at the time of the Chinese aggression, the Lok Sahayak Sena personnel were ordered to go to border areas along with the regular army; and

(c) if so, the reasons for discharging them and not extending to them the facilities admissible under the Army Act?

**The Minister of Defence (Shri Yashwantrao D. Chavan)** : (a) Recruitment of civilians was not made to the Lok Sahayak Sena under the Army Act. A number of ex-Servicemen were, however, enrolled for service on the instructional staff of the Lok Sahayak Sena teams. For the purpose of discipline they were governed by the relevant provisions of the Army Act.

(b) A special order was issued enabling army authorities to employ members of the instructional staff with the regular Army. But in actual practice this enabling provision was not availed of.

(c) As the Lok Sahayak Sena teams have been disbanded, it has become necessary to discharge the instructional staff. This staff was governed by the Army Act only for purposes of discipline. Terms and conditions of service of this staff were governed by other regulations. The question of extending facilities to them under the Army Act does not therefore, arise.

## Trade with South Africa

*629. Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Ram Sevak Yadav :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether Government's attention has been drawn to the fact that the volume of South Africa's trade with East European countries and China is increasing; and

(b) if so, whether with a view to make India's policy regarding racial discrimination in South Africa a success, Government have requested friendly countries such as East Germany not only to reduce but to sever their trade relations with South Africa ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh)** : (a) & (b). Government have seen reports to the effect that South Africa's trade with certain countries, including China, has increased of late. In pursuance to Government's declared policy we have given full support to the United Nations and the efforts of Afro-Asian countries in effecting a diplomatic and trade boycott of South Africa.

**अफ्रीकी एशियाई देशों की आर्थिक विकास योजना**

*630. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री प्र० चं० बरूआ :**
**श्री क० ना० तिवारी :**
**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
**श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
**डा० रानेन सेन :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के विकासशील देशों की आवश्यकताओं का पता लगाने तथा इन देशों के साथ भारत का तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये नियुक्त की गई अन्तर मंत्रालय समिति के बारे में 21 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 589 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समिति के विचाराधीन विभिन्न प्रस्तावों पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). अन्तर-मंत्रालय समन्वयन समिति चलती रहने वाली समिति है और इसकी सिफारिशों पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है और अमल किया जा रहा है ।

**लोक सहायक सेना**

**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री महेश्वर नायक :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री गौरी शंकर कक्कड़ :**

*631. श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री बड़े :
श्री माते :
श्री सिंहासन सिंह :
श्री जसवंत मेहता :
श्री मधु लिमये :
श्री शिव नारायण :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री प० हृ० भील :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री यु० द० सिंह :
श्री लहरी सिंह :

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या लोक सहायक सेना समाप्त करने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) जी हां ।

(ख) राज्यों में जो विभिन्न संगठन चलाये गये हैं, वे लोक सहायक सेना के उद्देश्य की पूर्ति न केवल अच्छे प्रकार से बल्कि और अधिक प्रभावपूर्वक कर रहे हैं । देश के नागरिकों का बहुत बड़ा भाग इन संगठनों की ओर आकृष्ट हुआ है । इसके फलस्वरूप अधिकांश राज्यों में इस योजन के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह गया है ।

### प्रयोगात्मक चलचित्रों के लिए निधि

*632. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार प्रयोगात्मक चलचित्र बनाने को प्रोत्साहन देने के लिए ब्रिटेन के नमूने पर एक निधि बनाने का है ;

(ख) क्या मनोरंजन-कर की प्राप्त राशि से बनाई गई निधि का प्रशासन करने के लिये एक भारतीय चलचित्र संस्था स्थापित करने की कोई योजना है ; और

(ग) क्या सरकार ने विज्ञ व्यक्तियों का एक स्थायी समारोह निदेशालय बनाने के प्रश्न की जांच की है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) इसकी जांच हो रही है ।

## संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर का मामला

*633. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री गुलशन :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने हाल में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अधिवेशन में काश्मीर का मामला फिर उठाया था ;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तानी प्रतिनिधि द्वारा क्या क्या बातें उठाई गई ; और

(ग) भारतीय प्रतिनिधि ने उठाई गई बातों का क्या उत्तर दिया ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) पाकिस्तानी प्रतिनिधि-मंडल के नेता ने महासभा की आम बहस में अपना बयान देते समय काश्मीर की स्थिति की चर्चा की थी ।

(ख) पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने वही सामान्य झूठी दलीलें पेश कीं जिनसे यह सदन खूब परिचित है ।

(ग) पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने जिन तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर और गलत ढंग से पेश किया था उनका भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने खंडन किया ।

## National Defence Fund

634. { **Shri Prakash Vir Shastri** :
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :
**Shri D. S. Patil** :
**Shri Bade** :
**Shri Mate** :
**Shri Sheo Narain** :
**Shri Jaswant Mehta** :
**Shri U. M. Trivadi** :
**Shri P. H. Bheel** :
**Shri S. M. Banerjee** :
**Shri Madhu Limaye** :
**Shri Jagdev Singh Siddhanti** :
**Shri Y.D. Singh** :
**Shri Gauri Shankar Kakkar** :
**Shri Rameshwar Tantia** :
**Shri Himatsingka** :

Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 145 on the 23rd November, 1964 and state:

(a) the final decision taken by the Executive Committee of the National Defence Fund regarding the missing or outstanding receipt books issued through the Mayor's Council of Delhi; and

(b) whether Government has ascertained the number of receipt books still outstanding with them and the approximate amount of money involved therein?

**The Prime Minister (Shri Lal Bahadur Shastri)** : (a) & (b). A statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

The matter was considered by the Executive Committee on the National Defence Fund at its meeting held on the 2nd March, 1965 and it was decided that in view of the fact that all possible efforts had been made to trace the missing and outstanding receipt books, the recommendation of the General House of the Mayor's Council for National Defence should be accepted and the matter treated as closed. However, if any, further information is received subsequently regarding any collections having been made on any of the missing receipt books, suitable action would be taken.

The total number of receipt books finally missing or outstanding is 107 out of 2610 receipt books issued by the Council. The total amount collected for the National Defence Fund on the receipt books returned to the Council is Rs. 7,67,646·43. In spite of advertisements issued, no intimation has been received about any donations having been made against the missing receipt books.

**पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन**

*635. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
**दलजीत सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने 6 मार्च, 1965 को युद्ध विराम रेखा के नौशेहरा मेन्धार और पूंछ क्षेत्रों में युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया और भारतीय सेना के कुछ सैनिक मार डाले ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कोई विरोध पत्र भेजा गया है ?

**रक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: (क) तथा (ख). 6 मार्च, 1965 को पाकिस्तानी सेना ने युद्ध बन्दी रेखा का नौशेरा क्षेत्र में सात बार, मेंढ़ार क्षेत्र में दो बार, अखनूर क्षेत्र में दो बार और ऊरी क्षेत्र में एक बार अतिक्रमण किया। उस दिन पूंछ क्षेत्र में कोई घटना नहीं हुई। इन सारी घटनाओं में पाकिस्तानियों ने हमारी चौकियों तथा पिकेटों पर हल्की मशीनगनों, मझोली मशीनगनों, मारटरों इत्यादि से फायर किया। जितना आवश्यक समझा गया उस मात्रा में जवाबी फायर किया गया। इन घटनाओं में एक भारतीय सिपाही मारा गया तथा एक घायल हुआ।

(ग) इन सभी मामलों में संयुक्त राष्ट्र के सैनिक पर्यवेक्षक के पास युद्ध विराम अतिक्रमण सम्बन्धी शिकायतें की गई थीं।

### टस्कर परियोजना

*636. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री टस्कर परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में 30 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 265 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस तीसरे मामले के बारे में अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को दे दिया गया है जिसकी जांच विशेष पुलिस विभाग ने की थी; और

(ख) यदि हां, तो इन तीनों मामलों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

**रक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी हां।

(ख) तीनों मामलों में सम्बन्धित अफसरों तथा उन के तथाकथित सहअपराधियों के ऊपर अदालत में मुकदमा चलाने का फैसला किया गया है। दो मामलों में तो अदालत में अभियोगपत्र दाखिल किया जा चुका है और बाकी तीसरे मामले में शीघ्र ही अदालत में अभियोग पत्र दाखिल करने की सम्भावना है।

### पाकिस्तानी सेना द्वारा काश्मीर में अमरीकी हथियारों का प्रयोग

*637. **श्री रामेश्वर टांटिया** :
**श्री यशपाल सिंह** :
**श्री दी० चं० शर्मा** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 21 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 601 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार से पाकिस्तानी सेना द्वारा काश्मीर में अमरीकी हथियारों के प्रयोग के विरुद्ध किये विरोध पर उसकी प्रतिक्रिया इस बीच प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर मिला है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). इस मामले पर संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ बात चीत चल रही है।

### पंचायत समिति कार्यालयों में टेलीफोन

1648 **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में अब तक राजस्थान में कितने तथा किन किन पंचायत समिति कार्यालयों में टेलीफोन की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) अगले तीन वर्षों में इस प्रयोजन के लिए कितनी रकम रखी गई है ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

| **क्रम संख्या** | **पंचायत समिति कार्यालय का नाम** |
|---|---|
| 1. | श्री कोलायत जी |
| 2. | श्री डूंगरगढ़ |
| 3. | मण्डावर |
| 4. | देसुरी |
| 5. | शाहपुरा |
| 6. | युन्ता रामगढ़ |
| 7. | सांभोर |
| 8. | ओसियन |
| 9. | देगाना |
| 10. | जैल |
| 11. | हिंडोली |
| 12. | अलु |
| 13. | मंडल |
| 14. | जहाजपुर |
| 15. | कोटरी |
| 16. | असिंड |
| 17. | राश्मी |
| 18. | असपुर |
| 19. | लंकाटनसार |
| 20. | सपेट्रा |
| 21. | बेन्ली |
| 22. | खन्डेला |
| 23. | देवली |
| 24. | साम |
| 25. | रेवदार |
| 26. | केशेराइपारन |
| 27. | चिपा बरोड़ |
| 28. | छाबरा |
| 29. | सादरी |
| 30. | भोपाल सागर |
| 31. | देवगढ़ |
| 32. | भीम |

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में लगभग दस और सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का विचार है । व्यय अनुमानत: 4 लाख रुपये होगा ।

**उड़ीसा में अधिसूचित पद**

1649. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री रामचन्द्र मलिक :**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सितम्बर, 1964 से 31 दिसम्बर, 1964 तक सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थानों में कुल कितने रिक्त पद अधिसूचित किये गये ; और

(ख) उक्त अवधि में विभिन्न रोजगार दफ्तरों के माध्यम से उन संस्थानों में कितने रिक्त पद भरे गये ?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया)** : (क) और (ख).

| क्षेत्र | अधिसूचित रिक्त पद | भरे गये रिक्त पद |
|---|---|---|
| सरकारी | 12,892 | 7,019 |
| निजी | 1,005 | 448 |

**उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार**

1650. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को उड़ीसा के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में दर्ज अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) कैलेन्डर वर्ष 1964 में उनमें से कितने उम्मीदवारों को रोजगार दिलाया गया ?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया)** : (क) और (ख).

| वर्ग | दिसम्बर, 1964 के अन्त में चालू रजिस्टर पर संख्या | 1964 में रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या |
|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | 6,009 | 1,195 |
| अनुसूचित कबीले (आदिम जाति) | 8,031 | 1,694 |

## राजस्थान में बरोजगारी

1651. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :** }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को राजस्थान के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में दर्ज महिला उम्मीदवारों (स्नातक तथा गैर-स्नातक) की संख्या कितनी थी; और

(ख) 31 दिसम्बर, 1964 को समाप्त हुए वर्ष में उनमें से कितने उम्मीदवारों को रोजगार दिलाया गया ?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया)** : (क) और (ख).

| वर्ग | दिसम्बर, 1964 के अन्त में चालू रजिस्टर पर संख्या | 1964 में रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या |
|---|---|---|
| ग्रेजुएट्स (पोस्ट ग्रेजुएट्स सहित) | 157 | 46 |
| मैट्रिक तथा हायर सेकेन्डरी पास (इन्टरमीडिएट्स सहित) | 1,235 | 507 |
| मैट्रिक पास से कम (अशिक्षितों सहित) | 2,771 | 643 |
| कुल योग | 4,163 | 1,196 |

## राजस्थान में बेरोजगार शिल्पिक व्यक्ति

1652. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :** }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को राजस्थान में विभिन्न रोजगार दफ्तरों में दर्ज शिल्पिक व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) 31 दिसम्बर, 1964 को समाप्त हुए बर्ष में उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया)** : (क) 1781.

(ख) 1964 में 1288 टेक्नीकल व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ।

### राजस्थान में रोजगार कार्यालय

1653. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कितने रोजगार कार्यालय हैं ; और

(ख) वे कहां कहां हैं ?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया)** : (क) 18 रोजगार कार्यालय और 1 विश्व-विद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्ग दर्शन ब्यूरो ।

(ख) 1. अजमेर
2. अलवर
3. बांसवाड़ा
4. भरतपुर
5. भीलवाड़ा
6. बीकानेर
7. चित्तौड़गढ़
8. जयपुर
9. झुंझनू
10. जोधपुर
11. कोटा
12. नागोर
13. पाली
14. सीकर
15. सिरोही
16. श्री गंगानगर
17. सवाईमाधोपुर
18. उदयपुर

जयपुर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्ग दर्शन ब्यूरो, जयपुर ।

### राजस्थान में डाकिये

1654. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विभिन्न डाकखानों में इस समय कितने डाकिये काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को मकान किराया भत्ता मिल रहा है ; और

(ग) तीसरी योजना अवधि में अब तक उन्हें कुल कितना मकान किराया भत्ता दिया गया ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) 1143 ।

(ख) 460 ।

(ग) 1,43,569 रुपये ।

## निर्वाह मूल्य देशनांक

1655. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 मार्च, 1964 का निर्वाह मूल्य देशनांक 1 मार्च, 1963 तथा 1962 के निर्वाह मूल्य देशनांक की तुलना में कम है या अधिक ?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया)** : अखिल भारतीय (अन्तरिम) श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1949-100) 1 मार्च, 1964 को 143 था। यह सूचकांक 1 मार्च, 1963 को 130 और 1 मार्च, 1962 को 127 था।

## राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

1656. **श्री मलाइछामी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने 1964-65 में मद्रास राज्य में कोई सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति खेती पर निर्भर रहते हैं; और

(ग) उनमें से कितने व्यक्ति भूमिहीन श्रमिक, काश्तकार तथा कृषक-स्वामी हैं ?

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, हां। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण प्राय: एक वर्षीय दौर के रूप में किए जाते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 19वां दौर 1 जुलाई, 1964 को आरम्भ हुआ और आशा है कि 30 जून, 1965 तक पूर्ण हो जाएगा ।

(ख) व (ग) . 19वें दौर का कार्य पूरा हो जाने तथा संकलित आंकड़ों का सारणीकरण हो जाने पर ही अपेक्षित जानकारी उपलब्ध हो जाएगी ।

## प्रतिरक्षा संबंधी अनुसन्धान कार्य का प्रशिक्षण

1657. **श्री राम हरख यादव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के एक दल को प्रतिरक्षा संबंधी अनुसंधान कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन भेजने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दल के सदस्यों का व्यौरा क्या है ; और

(ग) यह दल संभवत: कब तक ब्रिटेन के लिए रवाना हो जायगा और वहां कब तक रहेगा?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) तथा (ख) रक्षा विज्ञान सेवा तथा रक्षा विज्ञान में सेवा में लगे सेना के अफसरों में से 13 अफसर यूनाइटेड किंगडम में प्रशिक्षण के लिए डेपुटेशन पर भेजे गये हैं। सेना के अफसर मेजर से ले कर कर्नल पदों तक के हैं और वैज्ञानिक कर्मचारी फोरमैन से लेकर सीनियर वैज्ञानिक अफसर प्रथम श्रेणी पद तक के हैं। वे ब्रिटेन में विभिन्न सिब्बन्दियों में लगाये गये हैं ।

(ग) ये अफसर 22 मार्च, 1965 को विमान द्वारा ब्रिटेन के लिए रवाना हुए। 7 अफसर 6 महीने के प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और बाकी अफसर 1 वर्ष प्रशिक्षण लेंगे।

**सैनिक स्कूल, बीजापुर**

1658. **श्री सिद्दय्या** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूल, बीजापुर (मैसूर राज्य) में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं ;

(ख) क्या उन्हें कोई अन्य रियायत भी दी जाती है ; और

(ग) 1963–64 तथा 1964–65 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कितने छात्र दाखिल किये गये ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) जी, नहीं।

(ख) अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के दाखिले में इस प्रकार विशेष ध्यान रखा जाता है कि वे यदि अर्हक अंक प्राप्त कर लें तो योग्यता सूची में प्राप्त स्थान का ध्यान रखे बिना ही उन्हें भरती कर लिया जाता है।

(ग) दो ; 1963 में एक और 1965 में एक।

**लंका से वापिस आये व्यक्तियों को बसाना**

1659. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हैदराबाद में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकार किये गये उस संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें सरकार से भारत-लंका करार के अन्तर्गत लंका से वापिस आए व्यक्तियों को बसाने के लिए देश में नए बागान क्षेत्र बनाने की मांग की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

**वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने श्री लंका से वापस आने वाले भारतीयों के पुनर्वास के बारे में वह प्रस्ताव देख लिया है जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने दिसम्बर, 1964 में अपने हैदराबाद के अधिवेशन में पास किया था। उसमें जो सुझाव दिए गए हैं, उनका श्रीलंका से आने वाले लोगों के पुनर्वास के प्रबन्ध को अन्तिम रूप देते समय ध्यान रखा जायेगा।

**स्कूल शिक्षा में इलैक्ट्रोनिक भौतिकी विज्ञान**

1660. **श्री यशपाल सिंह** :
**श्री स० मो० बनर्जी** :
**श्री भागवत झा आजाद**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अणु शक्ति संस्थान, बम्बई के भौतिकी डिवीजन के अध्यक्ष ने स्कूल पाठ्यक्रम में इलैक्ट्रोनिक भौतिकी विज्ञान शामिल करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या उन स्कूलों को कोई वित्तीय सहायता दी जायेगी जिनमें ये पाठ्यक्रम आरम्भ होंगे ?

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जी नहीं। परमाणु ऊर्जा संस्थान, ट्राम्बे के भौतिकी वर्ग के निदेशक ने जो सुझाव दिया था वह यह था। "कि जहां तक सम्भव हो सके विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को इलैक्ट्रोनिक-शील बनाना चाहिए ताकि जब वह जुगतों (gadgets) का डिजायन बनाने का विचार करें तो इसमें जहां सम्भव हो इलक्ट्रोनिक प्रणालियों का प्रयोग किया जाय"।

(ख) तथा (ग) शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा साहित्य पर केन्द्रीय समिति ने सामान्य विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान पर पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने के लिए पैनल बनाए है। जब कि इलक्ट्रोनिक भौतिकी विज्ञान को अलग विषय अथवा विषय के एक भाग के रूप में स्कूल स्तर पर आरम्भ करने की कोई योजना नहीं है, फिर भी यह आशा की जाती है कि सामान्य विज्ञान की पाठ्य-पुस्तक में रेडियो संचार से सम्बन्ध इलैक्ट्रोनिक सिद्धान्तों के बारे में बुनियादी जानकारी होगी। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान की पाठ्-पुस्तक में इलैक्ट्रानिक भौतिकी विज्ञान के प्रारम्भिक सिद्धान्तों का निरूपण सम्मिलित करने का विचार है।

**रक्षित सैनिकों को बच्चों का भता**

1661. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री प्र० चं० बरूआ :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें रक्षित सैनिक होने के कारण गत चीनी आक्रमण के समय सेना में बला लिया गया था ; बच्चों की शिक्षा संबंधी भत्ता अभी तक नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और ऐसे कितने व्यक्ति हैं ; और

(ग) इन भत्तों का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और वह यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायगी।

**विदेशों में भारतीय दूतावासों के प्रमुख**

1662. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री प्र० चं० बरूआ :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों म विदेशों में किन किन भारतीय दूतावासों के प्रमुखों के पद भरे गये हैं ।

(ख) कितने पद अभी भी खाली हैं ; और

(ग) क्या कुछ व्यक्तियों ने जिन्हें ऐसे पदों के लिये नामोद्दिष्ट किया गया था, उन पदों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :**

(क) 1. अल्जियर्स
2. बुअनोस आइरेस
3. बेरूत
4. जेद्दा
5. तेहरान
6. बोन्न
7. मोगाडिशो
8. बर्न
9. जकार्ता
10. काठमांडू
11. टोकियो

(ख)

1. पीकिंग
2. सान्ति यागो
3. लियोपोल्डबिल
4. तेनेनेरिव
5. कोलम्बो
6. वेलिंगटन
7. दार-एस्सलाम

पीकिंग का पद स्पष्ट कारणों से रिक्त पड़ा है । सान्तियागो, कोलम्बो और वेलिंगटन के मिशन प्रमुखों को नामजद कर दिया गया है, और आशा है कि वे जल्दी ही अपना पदभार संभाल लेंगे ।

(ग) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में जिन जगहों का उल्लेख किया गया है उन्हें भरने से किसी ने इन्कार नहीं किया है ।

## Projects in Nepal

1663. **Shri Hukum Chand Kachhavaiya :**
**Shri Onkar lal Berwa :**
**Shri Bibhuti Misra :**
**Maharajkumar Vijaya Ananda :**
**Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Government of India have spent Rs. 6 crores to complete some major projects in Nepal; and

(*b*) if so, the details of the projects and the extent to which this execution is proceeding according to the respective schedules ?

The Minister of **External Affairs** (**Sardar Swaran Singh**) : (a) India spent Rs. 7·20 crores (approximately) during the three years 1961-64 on the execution of certain projects in Nepal under India's economic aid to that country.

(b) A statement showing expenditure on various India-aided schemes and projects in Nepal is placed on the Table of the House. [**Placed in the Library** See **No. L T.-4085/65**] The execution of the projects is proceeding according to schedule.

**महात्मा गांधी के जीवन के संबंध म चलचित्र**

1664. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
**श्री प० ला० बारूपाल :**
**श्री सूर्य प्रसाद :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि महात्मा गांधी के जीवन के संबंध में चलचित्र बनाने के लिये लंदन में इंडिया-ब्रिटिश फिल्म्स लिमिटेड नामक एक नया चल-चित्र समवाय स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस चलचित्र समवाय के प्रायोजकों ने भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित किया था और इस के लिये उन से पूर्व अनुमति ले ली थी ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) और (ख): जी, हां। महात्मा गांधी के जीवन पर फ़िल्म बनाने के लिए मई, 1963 में रिचमांड ग्रीन, सरे, इंगलैण्ड का इंडो-ब्रिटिश फ़िल्मस लिमिटेड ने सरकार को लिखा था । सरकार ने अपनी अनुमति दे दी है ।

**विदेश सेवा नियम**

1665. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
**श्री विद्याचरण शुक्ल :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी नागरिकों से विवाह करने सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने के कारण गत पांच वर्षों में हमारी विदेश सेवा के कितने अधिकारियों को सेवा से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया ?

**वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : एक । भारतीय. विदेश सेवा नियमों के अंतर्गत उक्त सेवा के सदस्य को किसी विदेशी के साथ शादी करने की इज़ाजत की प्रार्थना के साथ-साथ अपना त्याग-पत्र भी भेजना पड़ता है । त्याग-पत्र को स्वीकार करने का निर्णय सरकार करती है । इस मामले में, सरकार ने अधिकारी के त्याग-पत्र को स्वीकार करने का निर्णय किया ।

## स्मृति टिकट

1666. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी के प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय मैथली शरण गुप्त के सम्मान में संस्मरण टिकट जारी करने के बारे में अनेक संगठनों से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए मंजूरी बोर्ड

1667. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री 14 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 161 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग उद्योग संबंधी मजूरी बोर्ड ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न मजदूर संघों ने साक्ष्य दी है ?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया)** : (क) जी हां । बोर्ड ने अपनी पहली बैठक कलकत्ता में 8 फरवरी, 1965 में की ।

(ख) अभी तक नहीं ।

## प्रतिरक्षा संस्थानों में कैंटीन कर्मचारी

1668. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा संस्थानों के कैंटीन कर्मचारियों को अन्य असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बराबर लाने के लिये अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं , तो इस के क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राय चह्वाण):** (क) जी नहीं। मामला अब भी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) यह एक सामान्य प्रश्न है, जिससे बहुत बड़ी धन-राशि तथा प्रशासनिक मामले जुड़े हुये हैं। तथापि, इस मामले का शीघ्र ही फैसला करने की दिशा में आवश्यक प्रयत्न हो रहा है।

## डाक तथा तार प्रशासन में कर्मचारीयों का सहयोग

1669. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री सुधांशु दास :**
**श्री प्र० चं० बरूआ :**
**श्री बालकृष्ण वासनिक :**
**श्री प्र० के० देव :**
**श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री कोया :**
**श्री रामपुरे :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डाक तथा तार प्रशासन में कर्मचारियों के भाग लेने के सम्बन्ध में एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में कौन-कौन से विशिष्ट खण्ड शामिल किये गये हैं; और

(ग) योजना के कब लागू किये जाने की सम्भावना है?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती):** (क) तथा (ख): —डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के लिए अलग से ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई है किन्तु केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सम्मिलत परामर्श तथा अनिवार्य विवाचन की सुविधा देने की एक योजना विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में 20 नवम्बर, 1963 को श्री उमानाथ तथा अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 68 के सम्बन्ध में गृह-मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उक्त योजना की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर भी रखी गई थी।

(ग) 24 फरवरी, 1965 को श्री प्रभातकार तथा अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 118 के सम्बन्ध में में गृह-मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिस में योजना को कार्यान्वित करने में हुए बिलम्ब के कारणों तथा सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न संस्थाओं से परामर्श कर के उक्त योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने की दिशा में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में बताया गया था।

**सेना मुख्यालय के अपर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति**

1670. **श्री हेडा :**
**श्री मं० रं० कृष्ण :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963 और 1964 में सेना मुख्यालय में कितने अपर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति करके असिस्टेंट बनाया गया तथा उन्होंने अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर औसतन कितने समय तक काम किया ;

(ख) इस अवधि में सेना आयुध कोर में कितने अपर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति कर के द्वितीय श्रेणी के मुख्य क्लर्क बनाया गया तथा उन्होंने अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर औसतन कितने समय तक काम किया ; और

(ग) इन दोनों संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों तथा वेतन-क्रमों में क्लर्की के पदों पर कुल कितने सैनिक कर्मचारी हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)**: (क) 1963–64 के अन्तर्गत सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय में 666 अपर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति असिस्टेंट पदों पर की गई थी । उन्होंने अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर औसतन 10 वर्ष तक काम किया था ।

(ख) 1963–64 के अन्तर्गत 19 अपर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति द्वितीय श्रेणी के मुख्य क्लर्कों के पदों पर की गई थी। अपर डिवीजन क्लर्कों के पद पर उन्होंने औसतन 19 वर्ष तक काम किया था ।

(ग) सिविलियन क्लर्क कर्मचारियों की कछ संख्या इस प्रकार ह :–

(1) **सशस्त्र सेनाओं का मुख्यालय तथा अन्तर्सेवा संगठन**

| श्रेणी | संख्या | वेतन मान |
|---|---|---|
| असिस्टैण्ट . . | 1281 | रु० 210–10–270––15–300–द० रो०–15–4–450––द० रो० –– 20–530 |
| अपर डिवीजन क्लर्क | 1627 | रु० 130–5–160––8–200– द० रो०––8–256––द० रो०––8–280 |
| कोषाध्यक्ष . | 12 | रु० 130–5–160––8–200––द०रो० ––8–256––द०रो० 8–280–– 15 रु० से लेकर 40 रुपये और "विशेष वेतन" के रूप में जो वितरित की जाने वाली कुल राशि पर निर्भर होगा । |

| श्रेणी | संख्या | वेतनमान |
|---|---|---|
| लोग्रर डिवीजन क्लर्क | 2676 | रु० 110–3–131—4–155—द० रो०—4–175–5–180 |
| स्टेनो टाइपिस्ट | 220 | रु० 110–3–131—4–155—ब० रो०—4–175—5–180 20 रुपये और "विशेष वेतन" के रूप में। |

(2) आर्मी आर्डनेन्स कौर

| | | |
|---|---|---|
| कोषाध्यक्ष | 12 | रु० 130–5–160—8–200–द० रो० 8–256—द० रो० —8–280—10–300 30 रूपये और "विशेष वेतन" के रूप में। |
| सहकारी कोषाध्यक्ष | 21 | रु० 130–5–160—8–200—ब० रो०—8–256 द० रो०—8—280–10–300 |
| मुख्य क्लर्क, प्रथम श्रेणी | 18 | रु० 335—15—425 |
| मुख्य क्लक, द्वितीय श्रेंणी | 257 | रु० 210–10–290—15—320 द० रो० —15—380 |
| अपर डिवीजन क्लर्क | 1105 | रु० 130–5–160—200 —द० रो०—8—256 द० रो०—8–280—10—300 |
| लोग्रर डिवीजन क्लर्क (सलेक्शन ग्रेड) | 410 | रु० 150–5–170—6–205 द० रो०—7–240 |
| लोग्रर डिवीजन क्लर्क (साधारण ग्रेड) | 4009 | रु० 110–3–131—4–155—द० रो०—4–175—180 |

---

## चीनियों द्वारा तिब्बत वासियों का तंग किया जाना

1671. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान तिब्बत में चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्त वासियों के तंग किये जाने के समाचारों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) जी हां ।

(ख) तिब्बत के लोगों पर चीनी अधिकारियों के अत्याचार की भारत सरकार निन्दा करती है । चीन सरकार द्वारा तिब्बत के लोगों को मूलभूत मानव अधिकार से वंचित करने और तिब्बत की परंपरागत स्वायत्तता का दमन करने के खिलाफ़ सरकार ने अपनी राय ज़ाहिर की है ।

## सैनिक स्कूल

1672. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में अब तक कितने सैनिक स्कूल खोले गये हैं और किन किन स्थानों पर खोले गये हैं ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में अन्य राज्यों में इस प्रकार के कितने स्कूल खोलने का विचार है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)**: (क) कोई नहीं ।

(ख) इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

## विदेशों में भेजे गए प्रतिनिधि मंडल

1673. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में कितने प्रतिनिधि मण्डल विदेशों को भेजे गये ; और

(ख) उन्होंने किन देशों की तथा किस उद्देश्य से यात्रा की ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) 35 (इस में वे अफसर सम्मिलित नहीं हैं, जो प्रशिक्षण के लिए विदेशों में डेपूटेशन पर भेजे गये थे )।

(ख) निम्न देशों की यात्रायें की गईं :—

आस्ट्रेलिया
कनाडा
चैकोस्लोवाकिया
फ्रान्स
हालैण्ड
इराक
आयर लैण्ड
इटली
मलयेशिया
नार्वे
फिलिपाइन्स
स्पेन
स्विटज़रलैंड
यूनाइटड अरब रिपब्लिक
यूनाइटेड किंगडम
संयुक्त राज्य अमरीका
सोवियत संघ
पश्चिमी जर्मनी
यूगोस्लाविया

ये यात्रायें भंडार सामग्री, साज सामान तथा जानवरों का क्रय/अधिग्रहण/निर्माण करने, तकनीकी बहस करने तथा औपचारिक दूतावास के सदस्यों की हैसियत में सौहार्द बनाने और सम्मेलन/सेमीनार में भाग लेने के सिलसिले में की गई थीं ।

## बर्मा से आये हुए गोदी कर्मचारी

1674. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा से उजाड़े गये 16,000 अनुभवी गोदी कर्मचारियों को फिर से बसाने के लिए कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) बर्मा से आने वाले लोगों में जो गोदी कर्मचारी हैं उन्हें रोजगार देने के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए श्रम तथा रोजगार मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय द्वारा निर्देश दिए जा चुके हैं।

(ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कोचीन, मद्रास और विशाखापट्टनम के गोदी श्रम निकायों (डाक लेबर बोर्ड) से कहा है कि वे, स्थायीकरण योजनाओं (डिकेज्वेलाइजेशन स्कीम) के अन्तर्गत, बर्मा से आने वाले लोगों में उन गोदी कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें जिन्होंने अपने आपको रोजगार दफ्तरों (एम्प्लायमेंट एक्सचेंज) में रजिस्टर करा रखा है और जिनके नाम उन्होंने खाली जगहों के लिए भेज रखे हैं। परिवहन मंत्रालय ने भी कोचीन, मद्रास और विशाखापट्टनम के पोर्ट अधिकारियों को वैसे ही आदेश जारी कर दिए हैं।

## पाकिस्तान के विदेश मंत्री का निमंत्रण

1675. **श्री यशपाल सिंह** :
**श्री प्र० चं० बरूआ** :
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
**श्री मानसिंह प० पटेल** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा कुछ समय पूर्व दिये गये निमंत्रण पर निकट भविष्य में उनके पाकिस्तान जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक की कार्यावलि क्या होगी ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) कुछ समय हुआ मुझे पाकिस्तान के विदेश मंत्री से निमंत्रण मिला था। मैंने निमंत्रण को स्वीकार करते हुए उत्तर दे दिया है। परिस्थितियां अनुकूल होने पर मैं भविष्य में किसी समय पाकिस्तान जा सकता हूं।

(ख) यह सद्भावना यात्रा होगी जिसमें भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के कुछ मामलों पर बातचीत की जा सकती है।

## तार जांच कार्यालय, कलकत्ता

1676. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
**श्री दाजी** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार जांच कार्यालय कलकत्ता का पुनर्गठन करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इसे कब अमल में लाया जायेगा ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) मौजूदा प्रणाली के अन्तर्गत प्रेषण के बाद की कार्रवाई तथा जांच करने और रिकार्ड में रखने आदि के लिए 7000 से भी अधिक तारघरों द्वारा तार-पड़ताल कार्यालय, कलकत्ता को प्रतिवर्ष तार सन्देशों को लगभग 14 करोड़ प्रतिलिपियां भेजी जाती हैं, जिनमें बुक किए गए तार, मध्यवर्ती तारघरों द्वारा भेजे गए तार तथा वितरित किए गए तार शामिल रहते हैं। इस समय रिकार्ड रखने और तार सन्देशों के मसौदों का निपटान करने के काम का विकेन्द्रीकरण करने की योजना विचाराधीन है जिससे कि कुछ थोड़े से मसौदों को छोड़कर, जिन्हें बिल बनाने और अन्तर्राष्ट्रीय लेखों के सम्बन्ध में तार-पड़ताल कार्यालय, कलकत्ता को भेजना पड़ता है जहां तक उन्हें रख लिया जाता है, और सभी मसौदों को सम्बन्धित तरारघरों में कुछ निर्धारित अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाएगा और उसके बाद नष्ट कर दिया जाएगा । इस योजना को डाक-तार लेखा महा अध्यक्ष के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

## नागालैंड के लिए ट्रांसमीटर

1677. **श्री रामचन्द्र :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 7 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1030 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नागालैंड राज्य में एक शक्तिशाली रेडियो ट्रांसमीटर लगाने के सम्बन्ध में नागालैंड प्रशासन की प्रार्थना पर इस बीच विचार कर लिया है ! और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) और (ख). जी, हां । राज्य में एक शक्तिशाली मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने का विचार है । उपयुक्त स्थान की पड़ताल हो रही है ।

## विदेशी दूतों के विरुद्ध शिकायतें

1678. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने विदेशी दूतों का ध्यान निजी मकानों के बारे में उनके कर्मचारियों द्वारा किये गये पट्टा करारों के उल्लंघन के बारे में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शिकायतों की ओर दिलाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विदेशी दूतों की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय ने राजनयिक दूतावासों से यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि उनकी कारों के ड्राइवर स्थानीय यातायात विनियमों का पालन करें ?

**वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) कुछ मिशनों ने परिपत्र की पावती स्वीकार कर ली गई है और यह आशा की जाती है कि वे सभी भविष्य में सावधानी बरतेंगे । बहरहाल, इस मंत्रालय में नई-नई शिकायतें अब भी आ रही हैं ।

(ग) जी हां ।

**कोयला खानों में काम का बन्द किया जाना**

1679. **श्री प्रभात कार :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**डा० ड० मिश्र :**
**डा० रानेन सेन :**
**श्री मुहम्मद इलियास :**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1963 और 1964 में भारत में कोयला खानों में कितनी बार काम और उत्पादन बन्द हुआ ;

(ख) किन-किन कोलया खानों में काम बन्द हुआ ; और

(ग) काम बन्द होने के क्या कारण थे और कितनी अवधि तक काम बन्द रहा ?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया)** :

| | | |
|---|---|---|
| (क) | 1963 . . | 59 |
| | 1964 . . . | 84 (कच्चे) |

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना परिशिष्ट में दी गई है ।

**Charges against Netaji Subash Chandra Bose**

1680. **Shri Bibhuti Misra :** will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether there are any charges against Netaji Subash Chandra Bose under the International Law for waging a war against the British Government; and

(b) whether he is also a war criminal ?

**The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh** : (*a*) The Government of India are not aware of any charges against Netaji Subash Chandra Bose under International Law for waging a war against the British Government.

(b) No, Sir.

**सरकारी काम में हिन्दी का प्रयोग**

1681. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी के प्रयोग के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जनवरी, 1965 के अन्त में जारी किये गए एक परिपत्र का पालन रोक दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)**: (क) और (ख). सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग के बारे में इस मंत्रालय ने दिसम्बर, 1964 में एक परिपत्र जारी किया था। जनवरी, 1965 के अन्त में इसका पालन रोक दिया गया क्योंकि इस विषय में गृह-मंत्रालय से हिदायतें जारी होन वाली हैं।

**औद्योगिक संबंधों सम्बन्धी गोष्ठी**

1682. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में हाल में औद्योगिक सम्बन्धों सम्बन्धी एक गोष्ठी हुई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ विदेशी प्रतिनिधियों ने गोष्ठी में भाग लिया था ; और

(ग) गोष्ठी में क्या-क्या सुझाव दिये गये ?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया)** : (क) जी, हां। श्री राम औद्योगिक सम्बन्ध केन्द्र द्वारा नई दिल्ली में 27 फरवरी, से 3 मार्च, 1965 तक 'विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में औद्योगिक सम्बन्ध' के बारे में एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

(ख) मालूम हुआ है कि कुछ विदेशी प्रतिनिधियों ने इस सेमिनार में भाग लिया।

(ग) मालूम हुआ है कि सेमिनार की रिपोर्ट श्री राम औद्योगिक सम्बन्ध केन्द्र द्वारा तैयार की जा रही है। यह सरकारी संस्था नहीं है।

**Cuban Objection to Home Ministers Statement**

1683. **Shri Madhu Limaye :**
**Dr. Ram Manohar Lohia :**
**Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government of Cuba have taken objection against the reference regarding Cuban Communist leader Ernesto Che Guevara made by the Minister of Home Affairs in his statement regarding the arrests of Communists in India; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of **External Affairs (Sardar Swaran Singh)** : (a) No protest as such has been made by the Government of Cuba. The charge d' Affiairs of the Embassy of Cuba pointed out certain portions of the statement which had been made by the Minister of Home Aaffiairs.

(b) It was explained to the Charge'd Affairas that it was only a narration of facts, and there was no suggestion that either the Government of Cuba or the persons mentioned in the statement were directly or indirectly involved in the activities of the leftist Communists. There is no change in our friendly relations with Cuba.

## किसान संघ के पदाधिकारियों द्वारा प्रसारण

1684. **श्री पु० र० पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या किसान संघों के किन्हीं पदाधिकारियों को आकाशवाणी के ग्रामीण कार्यक्रमों में विशेषत: अधिक कृषि-उत्पादन सम्बन्धी विषयों पर वार्ता प्रसारित करने के लिये आमंत्रित किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जा रहा है ।

## प्रधान मंत्री की केरल यात्रा

1685. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1965 के प्रथम सप्ताह में केरल में कोई ऐसा राजकीय समारोह हुआ था जिस में प्रधान मंत्री ने भी भाग लिया था ;

(ख) उन्होंने कितनी चुनाव सभाओं में भाषण दिये ; और

(ग) क्या यात्रा व्यय सरकार ने उठाया था ?

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). प्रधान मंत्री जनवरी, 1965 के प्रथम सप्ताह में केरल नहीं गये। उन्होंने बाद में 31 जनवरी से 3 फरवरी तक केरल की यात्रा की । उनकी यात्रा गैर-सरकारी थी और उनके दौरे का व्यय सरकार ने वहन नहीं किया ।

## भूमि अर्जन

1686. **डा० पं० श० देशमुख** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग के भूमि अर्जन अधिकारी ने 5,000 कृषकों को नोटिस दिये थे कि वे प्रतिरक्षा कार्यों के लिये 12 मार्च, 1965 तक 5,000 एकड़ कृषि योग्य भूमि अधिकारियों को दे दें ;

(ख) क्या इन कृषकों को दूसरी उपयुक्त भूमि दी जायेगी ;

(ग) उन्हें कितना प्रतिकर दिया जायेगा ; और

(घ) क्या भूमि मालिकों को कोई अन्तरिम सहायता दी गई है अथवा देने का विचार है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) दार्जिलिंग जिले के बाद डोजगरा मौजे में प्राय: 4546 एकड़ जमीन अधिगृहीत की जा रही है, जिसमें 1929 एकड़ धान उगाने वाली जमीन भी शामिल है । इससे प्रभावित होने वाले कृषकों की वास्तविक संख्या नहीं मालूम है ।

(ख) विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्स्थापन का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है ।

(ग) हर्जाने की धन-राशि का मूल्यांकन भूमि अधिग्रहण अधिकारी करेगा ।

(घ) यदि हर्जाने की रकम का मूल्यांकन करने में देर हो तो सक्षम प्राधिकारी अर्थात् कलक्टर सम्भावित मूल्य का 80 प्रतिशत हर्जाने के हिसाब में दे सकता है ।

**सुरक्षा कार्यों के लिए भमि अर्जन**

1687. **डा० पं० श० देशमुख :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले मैं सिलीगुड़ी सब-डिवीजन में प्रतिरक्षा कार्यों के लिए 3,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के परिणाम स्वरूप कितने परिवारों की कृषि योग्य भूमि दी गई है ;

(ग) क्या अब तक कोई प्रतिकर दिया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो प्रतिकर कब तक दिया जायेगा ; और

(ङ) प्रति एकड़ प्रतिकर का हिसाब किस दर से लगाया गया है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** (क) जी हां । प्रायः 2,930 एकड़ जमीन अधिगृहीत की जा चुकी है । इसमें से 700 एकड़ के लगभग खेती वाली जमीन है ।

(ख) इससे प्रभावित होने वाली परिवारों की वास्तविक संख्या नहीं मालूम है । अनुमान किया जाता है कि वह 150 के लगभग होगी ।

(ग) जी हां । दार्जिलिंग के कलक्टर द्वारा अन्तिम हर्जानों की राशि का फैसला करने के पूर्व अब तक 87,447 रुपये इस हिसाब में दिये जा चुके हैं ।

(घ) सिविल अधिकारियों द्वारा हर्जाने की राशि का फैसला हो जाने पर बाकी राशि दे दी जाएगी ।

(ङ) कलक्टर द्वारा मूल्यांकन कर लेने के बाद प्रति एकड़ की दर मालूम हो सकेगी ।

**जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के प्रमुख का काहिरा में स्वागत**

1688. **श्री महम्मद इलियास :**
**डा० रानेन सेन :**
**श्री ही० ना० मुकर्जी :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काहिरा रेलवे स्टेशन पर जब राष्ट्रपति नासिर ने जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के प्रमुख श्री वाल्टर उल्ब्रिख का स्वागत किया तब काहिरा स्थित भारतीय राजदूत अथवा उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्वागत समारोह में भारतीय प्रतिनिधि की अनुपस्थिति का क्या कारण है जिसमें काफी राजनयिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और जिनमें उन देशों के प्रतिनिधि भी शामिल थे जिनके जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं ?

**वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) काहिरा में हमारे राजदूत, जो साथ-साथ लिबिया में भी नियुक्त हैं, उस समय अपने विश्वास-पत्र प्रस्तुत करने के लिए लिबिया गए हुए थे । हमारे कार्यदूत को संयुक्त अरब गणराज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई सूचना भी नहीं मिली ।

## A.I.R. Programme in Bhojpuri

1689. **Dr. Mahadeva Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether programmes in Bhojpuri language are also broadcast from the A.I.R. and

(b) if so, the details thereof ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi** : (a) Yes, Sir.

(b) The programmes in Bhojpuri are braodcast from Patna Station for a duration of 340 minutes per month and from Lucknow-Allahbad Stations (which relay each other's programmes) for a duration of 310 minutes per month. These consist of folk music, folk lore, interviews, dialogues, discussions, plays, features and poetry recitals.

## मद्रास क पास अणु शक्ति संयंत्र

1690. **श्री मुथिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास के समीप कलपाक्कम में अणु शक्ति संयंत्र स्थापित करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) यह कब स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) क्या इसे चौथी योजना म सम्मिलित किया जायेगा ?

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). मद्रास के समीप कलपाक्कम म परमाणु विद्युत् स्टेशन स्थापित करने की योजना पर सरकार द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है । इसके दौरान, कुछ प्रारम्भिक कार्य, जैसे कि रिएक्टेरों के लिये उपयुक्त स्थान के चुनाव, सहायक सुविधाओं तथा रिहायशी बस्ती के लिये जलमान चित्रण तथा समुद्री सर्वेक्षण कार्य इत्यादि, प्रगति पर हैं ।

## खान श्रमिकों के लिए सुरक्षा हैट

1691. **श्री रामपुरे** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान समिति ने खान श्रमिकों को सुरक्षा हैट दिये जाने के बारे में सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सुझाव किस तारीख से कार्यान्वित किया जायेगा ; और

(ग) यह सुझाव किस श्रेणी के खान श्रमिकों पर लागू किया जायेगा ?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया)**: (क) कोयला खान सम्बन्धी समिति के नवें अधिवेशन में, जोकि 10–11 अगस्त, 1964 को हुआ, यह स्वीकार किया गया कि कोयल-खान श्रमिकों को सुरक्षा हैट मुफ्त तथा बिना ज़मानत-धन के दिए जाने चाहिये और यदि कोई ज़मानत-धन पहले प्राप्त हुआ हो तो उसे वापिस कर देना चाहिये। इसी प्रकार का एक समझौता गैर कोयल सम्बन्धी औद्योगिक समिति के चौथे अधिवेशन में, जोकि 20–21 अगस्त 1965 को हुआ, गैर-कोयला खानों के श्रमिकों के बारे में हुआ ।

(ख) कोयल खान सम्बन्धी औद्योगिक समिति का फैसला मुख्य खान-निरीक्षक द्वारा कोयला खानों के प्रबन्धकों को नवम्बर, 1965 में अनुपालन के लिए भेजा गया और गैर कोयला खान सम्बन्धी औद्योगिक समिति का फैसला उनके द्वारा गैर-कोयला खानों को भेजा जा रहा है ।

(ग) कामगरों की निम्न श्रेणियों को मज़दूर सुरक्षा हैट दिए जाने चाहिए :—

(1) डेपलेयरिंग क्षेत्रों में नियुक्त व्यक्ति ।

(2) टिम्बरमैन

(3) पर्यवेक्षक कर्मचारी

(4) सिंकिंग शैफ्ट्स में नियुक्त व्यक्ति ।

(5) आनसैटर्स ।

(6) ड्रिलिंग, कटिंग और लोडिंग मशीनों और लोकोमोटिस आदि के आप्रेटर ।

(7) शूट गाड़ियां भरने, स्थानान्तरण स्थानों आदि पर नियुक्त व्यक्ति ।

**लंदन में अगौर व्यक्ति**

1692. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन में एक स्वतंत्र समिति द्वारा प्रकाशित समाचार के अनुसार लन्दन में रहने वाले अगौर व्यक्तियों का मकान खरीदते अथवा किराये पर लेते समय प्रायः शोषण किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) सर मिलर हालैंड की अध्यक्षता में समिति की रिपोर्ट के संबंध में सरकार को पता है ।

(ख) इस मामले पर यूनाइटेड किंगडम सरकार विचार कर सकती है । बहरहाल, जहां तक इसका प्रभाव हमारे राष्ट्रिकों पर पड़ सकता है, हमारा हाई कमीशन इस प्रश्न के प्रति सजग है।

### पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोली चलाया जाना

1693. { श्री दी० च० शर्मा :
श्री विश्व नाथ पांडेय :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी राइफल्स ने 10 मार्च, 1965 को पूर्वी पाकिस्तान के धौलदंगा स्थान से ज़िला कूच-बिहार में समझौता लोतफेला गांव में पांच बार गोली चलाई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने रंगपुर सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, एक पठान टुकड़ी तैनात कर दी गयी है तथा लोतफेला गांव के सामने खाइयां खोदी गयी हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गोली चलने के कारण सीमावर्ती गांव लोतफेला में सनसनी फैल गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

### Detention of Goan Political Prisoners in Lisbon

1694. { **Shri Baswant :**
**Shri Kamble :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Goan political prisoners detained in the Lisbon jail by the Portugal; and

(b) whether Government have taken any action in this regard ?

**The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh)** : (*a*) Two.

(b) Government has been taking necessary action for the welfare and release of these prisoners.

### Hanging of an Indian Photographer by Congolese Rebels

1695. { **Shri Hukam Chand Kachhavayia :**
**Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Indian photographer of about 20 years of age was hanged to death by Congolese rebels at Nairobi ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

**The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh)** :(a) & (b). Government have no authentic information. However, one Mohinder Singh Marjara, a Kenyan citizen holding British passport, is reported to be missing for some time and rumours suggest his death in a motor accident or otherwise while in Congo'

### कोयला खान श्रम कल्याण निधि

1696. **श्री र० ना० रेड्डी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान श्रम कल्याण निधि, अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत उपकार की दर 50 पैसे से बढ़ा कर एक रुपया प्रति मीट्रिक टन करने संबंधी प्रस्ताव अब किस अवस्था में है ; और

(ख) इस संशोधन के कब तक पेश किये जाने की संभावना है ?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) :** (क) और (ख) . फिलहाल यह प्रस्ताव आस्थगित रखा गया है ।

### शिशिक्षु अधिनियम

1697. **श्री र० ना० रेड्डी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशिक्षु अधिनियम, 1961 को कोयला खनन उद्योग पर लागू करने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) :** (क) नहीं ।

(ख) शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत चलाई गई प्रशिक्षण योजना कोयला खनन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी ।

### I.A.F Plane Crash

1698. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an I.A.F. plane crashed near Kalai Kunda on the 16th March, 1965;

(b) whether it is also a fact that two Pilot Officers lost their lives in the said aircrash; and

(c) if so, the causes of the accident ?

**The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan)** : (a) The accident occurred near Kalaikunda on the 15th March, 1965 and involved two I.A.F. aircraft.

(b) Yes.

(c) A Court of Inquiry has been ordered to investigate the accident. Full details will be known when the report of the Court of Inquiry is received.

# अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
# CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

## पश्चिमी बंगाल सीमा पर पाकिस्तान राइफल्स गोलाबारी

**अध्यक्ष महोदय** : पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स द्वारा निरंतर गोलाबारी के सम्बन्ध में मेरे पास एक स्थगन प्रस्ताव और कई ध्यान दिलाने वाली सुचनायें आई हैं । श्री यशपाल सिंह मंत्री महोदय का ध्यान औपचारिक रूप से दिला सकते हैं ।

**Shri Yashpal Singh** (Kairana) : I beg to call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and I request him to make a statement thereon "Continued Firing by East Pakistan Rifles in Cooch-Bihar district of West Bengal".

**वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : मैं नवीनतम स्थिति का पता लगाने का प्रयत्न करूंगा, और यदि सदन के लिए और आपके लिए सुविधाजनक हो, तो मैं कल प्रश्न काल के उपरान्त वक्तव्य दूंगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : जी हां ।

**श्री बसुमतारी** (ग्वालपाड़ा) : क्या वक्तव्य में आसाम की स्थिति भी शामिल होगी, क्योंकि वहां भी गोलाबारी चल रही है ?

**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ मेरे सामने है, इसके बारे में सूचना एकत्र करने के लिये मैंने उनसे कहा है ।

---

# अल्प-सूचना-प्रश्न के बारे में (प्रश्न)
# Re. SHORT NOTICE QUESTION (QUERRY)

**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम) : मैंने एक अल्प सूचना प्रश्न दिया था ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह मेरे पास नहीं है । आपको सूचना मिल जायेगी ।

---

# सभा-पटल पर रखे गयें पत्र
# PAPERS LAID ON THE TABLE

## आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर की गई कार्यवाही

**संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं तीसरी लोक-सभा के विभिन्न अधिवेशनों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या 3 . . दसवां सत्र, 1964

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 5 नवां सत्र, 1964

(तीन) अनुरपूरक विवरण संख्या 5 . . आठवां सत्र, 1964

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 10 . सातवां सत्र, 1964

(पांच) अनुपूक विवरण संख्या 12 . छठा सत्र, 1963

(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 13 . . पांचवां सत्र, 1963

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या 16 . चौथा सत्र, 1963

**[सभा-पटल पर रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4077/4083 65]**

**कोयला खान मुखद्वार स्नानागार (संशोधन) नियम**

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया)** : मैं खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उपधारा (7) के अन्तर्गत, कोयला खान मुख-द्वार स्नानागार (शोधन) नियम, 1964 की एक प्रति जो दिनांक 2 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 69 में प्रकशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं ।

**[सभा पटल पर रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4084/65]**

---

## अनुदानों की मांगें

## DEMANDS FOR GRANTS

### सामाजिक सुरक्षा विभाग

### DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY

**अध्यक्ष महोदय** : अब सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधीन अनुदानों की मांग संख्या 107 और 108 पर चर्चा और मतदान होगा; इसके लिये 5 घंटे का समय दिया गया है । जो सदस्य कटौती प्रस्ताव रखना चाहते हों वे पन्द्रह मिनट के अन्दर अपनी पर्चियां भेज दें और यह बता दें कि वे कौन सा कटौती प्रस्ताव रखना चाहते हैं ।

**वर्ष 1965 के लिये**

**सामाजिक सुरक्षा विभाग की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें कटौती प्रस्तुत की गई:—**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| 107 | सामाजिक सुरक्षा विभाग . . | 13,59,000 |
| 108 | सामाजिक सुरक्षा विभाग का अन्य राजस्व व्यय . | 16,40,95,000 |

**श्री वारियर** (त्रिचूर) : इस विभाग के अन्तर्गत मांग संख्या 107 और 108 हैं । औद्योगिक श्रमिक क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में कई विभाग थे । अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों, महिला संगठनों, से संबंधित विभागों को भी इस विभाग में सम्मिलित कर दिया गया है । औद्योगिक श्रमिकों के सम्बन्ध में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कार्य श्रमिक विभाग कर रहा था ।

[ **उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ]
[ MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair* ]

औद्योगिक श्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा के बारे में विधान बनाने का कार्य नये विभाग की अपेक्षा श्रमिक विभाग को सौंप देना चाहिये । इसका कारण यह है कि भविष्य-निधि योजनाओं तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के प्रशासन से कुछ श्रमिक विवाद उठ खड़े होते हैं । यदि श्रमिक विभाग इन कार्यों को करे तो अच्छा होगा क्योंकि मालिकों और मजदूरों के सम्बन्ध की कठिन समस्याओं को यही विभाग सुलझा सकता है ।

सरकार संविधान में दी हुई अन्य बातों का तो ध्यान रखती है परन्तु सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में दिये हुये निदेशों को प्राय: भूल जाती है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बजाय यदि आदिम जातियों का कल्याण, महिला और बाल कल्याण, वृद्धावस्था पेंशन, अपंगों का ध्यान रखना जैसे विषयों को इस मंत्रालय को सौंप दिया जाता तो अधिक अच्छा होता ।

सामाजिक सुरक्षा की समस्या मूलत: आर्थिक समस्या है । क्योंकि जब तक लोगों की आय जीवन निर्वाह के लिये पर्याप्त नहीं होती तब तक सामाजिक सुरक्षा नहीं हो सकती । अत: सरकार को सबसे पहले इसी समस्या को सुलझाना चाहिये ।

भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों और मालिकों को बराबर बराबर हिस्सा देना पड़ता है । परन्तु मालिकों को अधिक हिस्सा देना चाहिये क्योंकि वह बहुत लाभ उठा रहे हैं । कई मालिक तो बराबर का भाग भी नहीं दे रहे हैं । कोयला खानों की भविष्य निधि में मालिकों की ओर करोड़ों रुपया शेष है । कई मालिक तो कर्मचारियों का भाग भी नहीं देते । जब बैंक-दर में वृद्धि हो गई है, तो क्यों न भविष्य निधि पर सूद की दर में वृद्धि की जाय जो इस समय 4.25 प्रतिशत है ।

अभी तक भविष्य निधि के धन का विनियोजन सरकारी ऋण पत्रों में किया जाता है । इससे धन सुरक्षित तो रहता है, परन्तु सूद बहुत कम मिलता है । अत: विनियोजन की नीति का पुनरीक्षण होना चाहिये । इस धन का विनियोजन सरकार के लाभकारी उपक्रमों में होना चाहिये, जिससे इसका लाभ उन लोगों को मिले जो भविष्य निधि में अपना धन लगाते हैं ।

दावों के फैसले में भी बहुत विलम्ब होता है । कोयला खानों की भविष्य निधि के 15.66 लाख अंशदायी हैं जबकि सेवा में नियोजित केवल 5 लाख कर्मचारी हैं । बाकी 10 लाख लेखे उन लोगों के हैं जो या तो नौकरी से निकाल दिये गये हैं या मर गये हैं । इससे स्पष्ट है कि इतने दावों का फैसला नहीं किया गया है और इतने लोगों को अभी तक अपना धन नहीं मिला । जब यह स्थिति केवल कोयला खानों में है जहां केवल 5 लाख कर्मचारी हैं तो सभी उद्योगों की मिली-जुली स्थिति का अन्दाज़ लगाया जा सकता है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना उन क्षेत्रों में लागू होती है जहां 500 से अधिक कर्मचारी होते हैं । परन्तु ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां लाखों कर्मचारी काम करते हैं और अभी तक यह योजना वहां लागू नहीं हुई है । कुछ समय से यद्यपि अस्पताल और औषधालय तो चालू हो गये हैं परन्तु उनमें डाक्टरों की कमी है । जहां कहीं भी यह योजना नहीं है अथवा उचित ढंग से नहीं चल रही है, वहां उत्पादन में कमी हो रही है । अत: इस योजना को औद्योगिक क्षेत्र में उचित ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिये ।

[श्री वारियर]

बीमारी और वृद्धावस्था बीमा योजना, यद्यपि कर्मचारियों के संकट के समय तो काम आ सकती है, फिर भी उनको उससे कोई अतिरिक्त लाभ नहीं हो सकता। प्रादेशिक मंडलों का कार्य भी संतोषप्रद नहीं है। मैंने सुना है कि पंजाब में अभी तक प्रादेशिक मंडलों की स्थापना भी नहीं हुई है।

भविष्य निधि योजना के विभाग का व्यय दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार को इस व्यय को कम करने का प्रयत्न करना चाहिये। सदस्यों को वार्षिक लेखा-विवरण भी नहीं मिलता जबकि वह इसके लिये धन देते हैं। इस विभाग में बहुत से कार्यों को मिला दिया गया है, जैसे हरिजन कल्याण योजना और पिछड़ी हुई जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन। जब कभी भी कोई हरिजन दंडित होता है तो उसे जेल में झाड़ू लगाने का कार्य दिया जाता है और यदि वह इस कार्य को करने से इनकार करता है तो उसको पीटा जाता है और उसे वह काम करने के लिये बाध्य किया जाता है। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिये।

जहां तक सरकारी नौकरियों में हरिजनों के रक्षण का सम्बन्ध है, मैं जानना चाहता हूं कि उनके लिये कित स्थानों का रक्षण है और वास्तव में कितने भरे जाते हैं।

आदिम जातियों के लिये सहकारी संस्थायें बनाई जा रही हैं। लेकिन इन सहकारी संस्थाओं से लाभ कौन उठा रहा है? आदिम जातियों के लोग वन-उत्पादों को इकट्ठा करके इन लोगों के हाथ में दे देते हैं जो उन सहकारी संस्थाओं को चला रहे हैं; यह लोग सारा माल लेकर उनको थोड़ा सा धन दे देते हैं जो कि वास्तविक मूल्य नहीं होता। अतः आदिम जाति के लोगों को इन सहकारी संस्थाओं से कोई लाभ नहीं पहुंचता। अभी भी केरल में उन लोगों पर सब प्रकार के अत्याचार किये जा रहे हैं। राज्य सरकारें हरिजनों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देतीं।

हरिजनों को छात्रवृत्तियां भी समय पर नहीं मिलती। उनको पाठ्य-पुस्तकें भी परीक्षा आरम्भ होने से एक महीने पहले दी जाती हैं। यदि इनको इन सब सुविधाओं से वंचित रखा गया तो वह कभी उस योग्य नहीं हो सकेंगे कि समाज के शिक्षित वर्ग से प्रतियोगिता कर सकें और उन पदों पर आ सकें जो उनके लिये रक्षित हैं।

आज खादी के सम्बन्ध में क्या स्थिति है? मैं पूछना चाहता हूं कि आज देश में कितने प्रतिशत अम्बर चर्खे हैं? मेरे विचार में 5 प्रतिशत से भी कम हैं। मैंने सुना है कि अम्बर चर्खे का उत्पादन बिरला द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि चाहे अम्बर चर्खा हो या कुटीर उद्योग, धन एक ही जगह जाता है।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अम्बर चर्खे से एक जुलाहे की औसत आय कितनी है? इस सम्बन्ध में मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है क्योंकि लोक-लेखा समिति के प्रतिवेदनों में सब कुछ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। आप कुटीर उद्योगों को ही लीजिये क्या यह मजाक नहीं है।

लोग सरकार से इन कुटीर उद्योगों के लिये पैसा ले लेते हैं, परन्तु वह उन्हें आरम्भ कभी नहीं करते और जो लोग वास्तव में उस कार्य में लगे होते हैं उनको नुक्सान उठाना पड़ता है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि सामाजिक सुरक्षा का विभाग बना दिया गया है, फिर भी अच्छा होता कि कुछ संगठित उद्योग श्रम मंत्रालय के पास ही रहते।

**Shri Uikey** (Mondla) : It has been our experience about the last two Plans that whenever there was shortage of funds, the cut was made in the Social Services Group, which ultimately affected the economic well-being of backward classes. Therefore, the department of Social Security should keep it in mind that in future the well-being of the backward classes should be kept apart from Social Services so that if a cut is made in the Grant allotted to Social Services, it should not affect the backward classes. For certain reasons the welfare of the Tribals could not be carried out properly during the Second and Third Five Year Plan. Now during the Fourth Five Year Plan, the Government have allotted a sum of Rs. 205 crores for the welfare of the Tribals. Many of the Tribals and Harijans have not been included in the Schedule. Perhaps the Department is appointing a Committee for the purpose and there may be an addition of few lakhs in the number of Harijans and Tribals. The amount of Rs. 205 crores has been allotted on the basis of old population and therefore, it should be increased according to increased population.

There are 66 lakhs tribals in Madhya Pradesh which contains one third of the population there and one fifth of the total tribal population of India. It is difficult for the state Government to meet 50% of the total cost of welfare schemes for tribals and Harijans. Therefore, it is my request to the Ministry that all the special programmes for the welfare of Harijans and Tribals should be the responsibility of the Centre entirely in the Fourth Five Year Plan. All the schemes for their uplift should be carried out keeping in view the special conditions of the place.

There are 3,000 such villages in the tribal areas, where even the drinking water is not available. It is therefore, the foremost duty of the Department of Social Security to provide drinking water in these villages so that the tribals may feel that the Government of Independent India has done something for them.

The first Co-operatives can never be successful till the forest policy is changed. The real benefit of the Co-operatives is taken away by one or two organisers and net by the tribals.

A tribal development block is set-up where the population is more than 25,000. As the state Governments are not paying much attention, the Centre should take this work in its hands.

The tribal villages are very small and it is difficult to have a village of population of 350 students. Therefore in a tribal area a primary school should be opened even with a population of 225 students. Once a student is declared tribal in a primary school, the same certificate should hold good for scholarships etc. till he completes his education. The Centre must also stop the misuse of the grant given by the Centre to the tribal development blocks. In order to spread education in the tribal areas, as many pre-primary schools should be opened as are possible.

**श्री बसूमतारी** (गोलपाड़ा) : सामाजिक सुरक्षा का विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसे देश की पिछड़ी हुई जातियों को उठाना है । पांच मंत्रालयों के विभाग इसमें मिलाये गये हैं । इस लिये मेरे विचार में इसे विभाग से बढ़ा कर मंत्रालय बना देना चाहिये ।

कुछ सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि हम "अपने अनिश्चयों के बन्दी हैं"। और कुछ सदस्यों ने तो यहां तक कहा है कि समाजवाद केवल एक नारा है । यह भी ठीक है क्योंकि सरकार पिछड़े हुए

[श्री बसुमतारी]

लोगों को उठाने की ओर उचित ध्यान नहीं दे रही है। अतः मेरी सरकार से पहली प्रार्थना यह है कि इस विभाग को मंत्रालय बना दिया जाय। मैं साम्यवादी सदस्यों तथा पूर्ववक्ताओं के प्रति अनुगृहीत हूं जिन्होंने आदिम जातियों तथा हरिजनों के विकास के लिये रचनात्मक सुझाव दिये।

आदिम जातियों के विकास के लिये सबसे आवश्यक चीजें हैं—शिक्षा और आर्थिक विकास। अतः मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि बजाय धन इधर उधर व्यय करने के, इसे आदिम जातियों को अच्छी शिक्षा देने और उनके आर्थिक विकास पर ही व्यय किया जाये।

चूंकि अनुसूचित जातियों में 99 प्रतिशत लोग किसान हैं, इसलिए उनको भूमि, अच्छे बीज, सिंचाई की सुविधायें दी जानी चाहियें। यद्यपि सरकार इन चीजों के लिये धन तो दे देती है, फिर भी उसका लाभ उन लोगों को नहीं मिलता। अतः सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि उस धन से इन लोगों को लाभ पहुंचे।

सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कई गैर-सरकारी संस्थायें हैं, जैसे भारत सेवक समाज, समाज कल्याण बोर्ड। परन्तु इन संस्थाओं द्वारा कोई भी उपयोगी कार्य नहीं किया जा रहा है।

जब 1953 में केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी तो ऐसी आशा थी कि यह बहुत रचनात्मक कार्य करेगा। परन्तु हमें इसके कार्य से निराशा ही हुई है। राज्यों में अच्छा कार्य नहीं हो रहा है। योजना आयोग द्वारा मंजूर की गई धनराशि का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया जाता। आदिम जाति सेवक समाज भी अब ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। आरम्भ में इसने अच्छा काम किया था।

इस विभाग ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के उम्मीदवारों के लिये दो प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं। यह काम बहुत सराहनीय है।

भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् बहुत प्रगति की है परन्तु पिछड़े वर्गों के लोगों ने उतनी प्रगति नहीं की जितनी होनी चाहिये थी। यह ठीक है कि सरकार इस कार्य के लिये बहुत अधिक धनराशि मंजूर करती है और आंकड़े भी प्रस्तुत करती है परन्तु वास्तव में जो कल्याण कार्य होता है वह बहुत कम होता है। माननीय मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वह स्वयं जाकर देखें और अधिकारियों की रिपोर्टों पर कम विश्वास करें। केवल तभी इन जातियों की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा।

**श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा** (आनन्द): मैं स्वयं लगभग 20 वर्ष से सामाजिक कार्य कर रहा हूं। इसलिये मैं इस मन्त्रालय को बहुत महत्व देता हूं। इस मन्त्रालय का गांवों से घनिष्ठ सम्बन्ध है और वहां पर औरतों और बच्चों की दशा बहुत दयनीय है। गांवों में आज छोटी छोटी उम्र के बच्चे धूम्रपान करते हैं। यह बहुत हानिकारक है। इस सम्बन्ध में सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये। इस कार्य में ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य कराया जा सकता है। हमारे देश में अनाथों की हालत भी बहुत खराब है। भीख मांगना बहुत अधिक बढ़ गया है। यह बड़ी शोचनीय बात है कि स्वतन्त्रता के इतने वर्षों के बाद भी हम इसे समाप्त नहीं कर सके हैं। जब विदेशी लोग यहां आकर इसे देखते हैं तो वे हमारे देश के बारे में कैसी धारणा बनाते होंगे। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में और धन व्यय करेगी और भीख मांगने वाले गरीबों की हालत सुधारने के लिये कदम उठायेगी। यह ठीक है कि हमने अन्य क्षेत्रों में काफी प्रगति की है परन्तु जब तक सभी क्षेत्रों में प्रगति के लाभ का अनुभव न हो तब तक वह प्रगति निरर्थक जान पड़ती है।

हमारे देश में गरीब स्त्रियों की दशा भी शोचनीय है। वैश्यावृत्ति आज भी चल रही है। इसका उन्मूलन केवल कानून बना देने से नहीं हो सकता। इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। वे सभी अभागी हमारी बहनें हैं। परिस्थितियों ने उनको इस कार्य के लिये विवश कर दिया है। किसी देश की सामाजिक प्रगति का अंदाज लगाने के लिये वहां की स्त्रियों की स्थिति देखी जाती है। हमें इस दिशा में ध्यान देना है और आवश्यक सुधार करना है।

ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में भी हमने वांछनीय प्रगति नहीं की है। मैंने विभिन्न क्षेत्रों में गांवों में स्वयं जाकर देखा है। गुजरात राज्य में विशेष रूप से कोई प्रगति नहीं है। जब तक गांवों में लघुउद्योग ।लू नहीं किये जाते, तब तक वहां की हालत सुधर नहीं सकती। गांवों में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। यदि वहां प्रगति होती है तो पूरे देश की प्रगति होगी। नगरों की प्रगति वास्तविक प्रगति नहीं है। भारत गांवों का देश है। अतः मेरा अनुरोध है कि गांवों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाये।

**श्री मं० रं० कृष्ण** (पेट्टपल्लि) : मैं प्रधान मन्त्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के विषय को महत्वपूर्ण समझ कर इस मन्त्रालय की स्थापना की है। पहले इस विषय पर कार्य बहुतसे विभागों में बंटा हुआ था। इस सम्बन्धमें बहुत से संगठन कार्य कर रहे थे। ऐसी स्थितिमें विभिन्न योजनाओं की कार्यान्विति ठीक प्रकार से नहीं हो पाती थी।अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा था। उन की दशा बहुत खराब थी : यह ठीक है कि विधान मण्डलों आदि में उनके लिये स्थान सुरक्षित हैं परन्तु इससे समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। अब एक विभाग उनके कल्याण कार्यों की देखभाल करने लगा है। यह बहुत अच्छी बात है। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि यह विभाग किस अभिकरण के द्वारा अपनी योजनाये कार्यान्वित करायेगा। पिछले 17 वर्षों में अन्य समुदायों के लोगों ने बहुत प्रगति की है परन्तु इन जातियों के लोगों की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को इस विषय पर ध्यान देना चाहिये। आंध्र प्रदेश में 90 प्रतिशत कृषक मजदूर हरिजन हैं। उस राज्य-सरकार ने इनके कल्याण-कार्यों के लिये बहुत थोड़ी धनराशि निर्धारित की है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को विशेष रूप से देखना होगा कि हरिजनों का उत्थान हो। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को इस विभाग के अधीन रखा गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अब यह आयोग निर्धन लोगों की सहायता अच्छी तरह से कर सकेगा। एक बार हमारे भूतपूर्व गृह-कार्य मन्त्री स्वर्गीय श्री पन्त ने कहा था हरिजनों के उत्थान के लिये अन्य विकास योजनाओं की धनराशि में से भी व्यय किया जाना चाहिये। पहले यह कहा जाता था कि राज्य सरकार योजनाओं को कार्यान्वित नहीं करती हैं। अब तो एसी बात नहीं है। अब यह विभाग सावधानी से यह देख सकता है कि कहां पर ढील आ गई है। वह प्रभावी रूप में योजनाओं को सफल करवा सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित तथा आदिम जातियों के लोगों के लिये प्रशासनिक सेवाओं में पदोन्नति के लिये स्थान रक्षित करने के लिये निर्णय दिया है। मेरा अनुरोध है कि अब इन जातियों के लोगों को उचित सुविधायें दी जायें। अनुसूचित जाति आयुक्त की रिपोर्ट पर प्रति वर्ष यहां चर्चा होती है। यह रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेरा सुझाव है कि इसमें जो सिफारिशें होती हैं उनकी कार्यान्विति के बारे में संसद्-कार्य मन्त्री को समय समय पर सदन को अवगत करते रहना चाहिये जैसा कि वह सरकार के आश्वासनों के बारे में करते हैं।

**Shrimati Subhadra Joshi** (Balrampur) : I welcome the creation of the Ministry of Social Security. It would effectively look after the welfare of scheduled castes and tribes people. It will prove a very useful Ministry. Late Shri Pant had said in 1956 that lists of scheduled castes would be revised,

[Shrimati Subhadra Joshi]

but it has not been done so far. I would request the hon. Minister to look into this matter and do the needful. The present Deputy Minister has also promised to include some more castes in that list. She has said that a Bill would be brought forward in this regard. I hope she would implement her promise at an early date.

The scheduled castes people complain that they are being exploited by other communities. Government should pay due attention to the complaints received from these people and redress their grievances. The Ministry should excercise a check on the working of Tribal Blocks when they are formed. I request that money should be spent with utmost care.

The women in our country are an oppressed lot. They are very much exploited. A woman goes astray when she finds herself in a helpless circumstances or when there is nobody to support her. She is compelled to adopt immoral persuits. At that time we find that police comes to her rescue. She is sent to some women home. If we take care that she is not compelled to take to immoral course, it would be very good. The legislation passed in this regard has not done any good. A suggestion was made that the Immoral Traffic in Women Act may be amended. I do not know about the reaction of Government in this regard. This Act can be useful if it is suitably amended.

I would request the Government to support those women who have nobody to support them. I learn that this new Ministry is sending its officials to foreign countries on study tours. They will see the working of its counterparts in other countries. I think these tours are unnecessary and we should not waste money on these things. We should take steps to bring about improvement in the lot of Harijans as quickly as possible.

**सामाजिक सुरक्षा विभाग की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये**

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 107 | 11 | श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को अब तक दी गई सुविधायें। | 100 रुपये |
| 108 | 14 | श्री कृष्णपाल सिंह | खादी ग्रामोद्योग में अनियमिततायें | 100 रुपये |
| 107 | 15 | श्री मौर्य . . | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सरकारी नौकरियों का रक्षित कोटा पूरा न करना। | 100 रुपये। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 16 | श्री वारियर | ठेके के मजदूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा कार्यों को कार्यान्वित करने में धीमी प्रगति । | 100 रुपये |
| 107 | 17 | श्री वारियर | ठेके के मजदूरों के लिये भविष्य निधि योजना लागू करने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 107 | 18 | श्री वारियर | भविष्य निधि राशियों के उचित विनियोजन की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 107 | 19 | श्री वारियर | मालिकों से भविष्य निधि की बकाया रकमें वसूल करने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 107 | 20 | श्री वारियर | आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के सहकारी समितियों का कार्य | 100 रुपये |
| 107 | 21 | श्री वारियर | आदिवासियों में शिक्षा का प्रसार करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 107 | 22 | श्री वारियर | अस्पृश्यता दूर करने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 107 | 23 | श्री वारियर | निराश्रित महिलाओं को अधिक आर्थिक संरक्षण देने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 107 | 24 | श्री वारियर | सभी राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 107 | 25 | श्री वारियर | जिन क्षेत्रों में आदिवासी और पहाड़ी आदिम जातियां रहती हैं वहां नई सड़कें चालू करने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 107 | 26 | श्री वारियर | बाल अपराधियों के लिये और अधिक सुधार स्कूल स्थापित करने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 107 | 27 | श्री वारियर | भविष्य निधि रकमों पर ब्याज की दर बढ़ाने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 107 | 28 | श्री वारियर | दावों को शीघ्र निबटाने के लिये भविष्य निधि योजना की कार्य प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता | 100 रुपये |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 29 | श्री वारियर | देश में भिक्षा-वृत्ति की समस्या हल करने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 107 | 30 | श्री वारियर | अपंग व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा का बर्ताव | 100 रुपये |
| 107 | 31 | श्री वारियर | बाल कल्याण की समस्या हल करने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 107 | 32 | श्री वारियर | दस या उससे अधिक कर्मचारियों वाली सभी संस्थाओं में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 107 | 33 | श्री वारियर | कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन और अधिक अस्पताल खोलने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 107 | 34 | श्री वारियर | कर्मचारियों के लिये क्षय-रोग आरोग्य-शालाओं में और अधिक शय्याएं रक्षित करने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 108 | 35 | श्री मौर्य | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में से बुद्ध धर्म-ग्राहियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में सम्मिलित करने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 108 | 36 | श्री मौर्य | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनैतिक उत्थान न करना | 100 रुपये |
| 108 | 37 | डा० मा० श्री अणे | 1964-65 में दी गई रकम का उपयोग न करना | 100 रुपये |
| 108 | 38 | डा० मा० श्री० अणे | विभाग के अधीन प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्रों की कार्य प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता | 100 रुपये |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 39 | डा० मा० श्री अणे | विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में सरकारी आर्डर वाले काम के लिये अधिक मजूरी देने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 108 | 40 | डा० मा० श्री अणे | अंधों की उचित शिक्षा की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 108 | 41 | डा० मा० श्री अणे | सेन्ट्रल ब्रेल प्रेस, देहरादून का कामकाज | 100 रुपये |
| 108 | 42 | डा० मा० श्री अणे | ब्रेल पुस्तकालयों में सुधार की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 108 | 43 | डा० मा० श्री अणे | कोयला खान भविष्य निधि योजनाओं सहित भविष्य निधि योजनाओं को कार्यान्वित करना | 100 रुपये |
| 107 | 44 | श्री सेझियान | अस्पृश्यता दूर करने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 107 | 45 | श्री सेझियान | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने में असफलता | 100 रुपये |
| 107 | 46 | श्री कोल्ला वैंकैया | यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि कुटीर उद्योगों सम्बन्धी अनुदान और ऋण उचित व्यक्तियों और संस्थाओं तक पहुंचे | 100 रुपये |
| 107 | 47 | श्री सेझियान | अस्पृश्यता के रूप और आधार की छानबीन करने और इसके निवारण के ठोस उपायों का सुझाव देने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 107 | 48 | श्री सेझियान | पिछड़े वर्गों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये प्रभावशाली कदम उठाने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 107 | 49 | श्री सेझियान | ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पृश्यता प्रथा पर और अधिक देख-रेख रखने की आवश्यकता | 100 रुपये |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 59 | श्री सेझियान | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की दशा सुधारने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 108 | 60 | श्री सेझियान | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सुविधायें देने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 108 | 61 | श्री सेझियान | और अधिक अनाथालय तथा बाल-कल्याण केन्द्र खोलने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 108 | 62 | श्री सेझियान | कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन कर्मचारियों को शीघ्र तथा सरल भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 108 | 63 | श्री सेझियान | खादी और दस्तकारी के विकास के लिये दी गई रकमों का अनुचित उपयोग और अनियमिततायें रोकने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 108 | 64 | श्री सेझियान | प्रत्येक राज्य में अन्धों के लिये और अधिक स्कूल खोलने की आवश्यकता | 100 रुपये |

**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

**Shri Yudhvir Singh** (Mahendragarh) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the House to the main duty of the Department of Social Security the annual report of which has been presented to this House. It is in regard to pressure on land. It has been stated in this House time and again with reference to food problem that we have got less cultivated land in proportion to the number of dependants on it whether they are agriculturists or agricultural labourers. It has, in this context, become imperative that we should lay more stress on the development of Khadi and village industries. A special responsibility is, therefore, cast on this Ministry that instead of putting more pressure on land, incentives should be given to small-cottage industries. Efforts should be made to see that those people in our society who are interested in small industries, are encouraged to develop these industries instead of going after land. So that their economic condition is improved and there is no room for complaint against the Government to the effect that the Government have failed to ameliorate the economic condition of these people during the last 17 years.

I think, if all our resources are spent only on agriculture, we would not be able to solve our food problem, it would rather cause the growth of small and uneconomic land-holdings and thus there would be less production. It is, therefore, the responsibility of this new Department to prepare an extensive programme for development of village and cottage industries so that the pressure of dependants on land is reduced and our food problem is solved. I would also like to submit that the responsibility of solving the food problem lies not only on the Ministry of Food and Agriculture but also on this new Department.

Now I would like to draw the attention of the Minister concerned to a news item published in the *Hindustan Times* of the 14th instant under the heading "Statutory status likely for the Social Welfare Board." This is a very alarming news. As the very name of the Board suggests and as it was expected that this body would carry on its social welfare work earnestly, this body has, on the contrary, been doing its work in a very objectionable manner as mentioned in the Public Accounts Committee's report and audit reports, a summary of which appeared in the said newspaper. Though this board is not a statutory body, yet the Government have been giving grants amounting to Rs. 2 crores to it every year. Had these amounts been spent, properly, nobody would have got any objection for granting that amount but the position is just the reverse. It has been pointed out in the audit reports that grants amounting to Rs. 2 crores per year are given to this body on which we have no control and these funds are kept outside the consolidated Fund of India. A number of instances of financial irregularities in the operations of the Board have been brought to light in the Report of the Public Accounts-Committee, but I would also like to bring to your notice as well as to the notice of this House a few such instances in brief. It has also been learnt that it is not a registered body and if the Parliament likes to take notice of its activities or any statutory body likes to check its accounts, there would arise a constitutional hurdle on account of its not being a statutory body. This Board has been spending the public money lavishly and extravagantly the instances of which are before you. This Board was entrusted with the execution of a programme for the provision of knitted woollen garments to the Jawans who are fighting for us and defending our country on the borders under very difficult conditions. It was able to collect woollen garments, pullovers and blankets of about 6 lakhs of rupees but the value of the garments actually handed over to the Ministry of Defence was only Rs. 1·27 lakhs. But nothing is known about the remaining garments of Rs. 4·73 lakhs. I hope the hon. Minister would throw some light as to what happened to the remaining garments. The Chairman and other members of the Board are well paid still this sort of bungling is going on in this operation. The Board incurred an expenditure of Rs. 4·40 lakhs on publication and sale of journals during three years ending March, 1964 against a revenue of Rs. 57,000 from sale and advertisements. What was the use of spending such a huge sum of money? The Board paid a grant amounting to Rs. 78·21 lakhs to Mahila Mandals for the uplift and welfare of women. It has been pointed out in the Public Accounts Committee's report and audit report that amount was spent by them in a very haphazard way without chalking out any definite programme for expenditure. This money had simply been wasted without achieving any results. In another intance, an amount of Rs. 1·04 crores was paid to them for creating an employment potential for 12,000 women up to 1967. This money was also spent by them very lavishly. A centre was opened at a cost of Rs. 3 to 4 thousands for imparting training to women. A sum of Rs. 3·11 lakhs was actually spent on that centre and

[Shri Yudhvir Singh]

only 25 women were trained. I would request the hon. Minister to explain as to how this money was spent and how it all happened. Another instance of bungling is this that the Board placed an order with the Director-General of Supplies and Disposals for 28 jeeps. Lakhs of rupees were spent on them in spite of the fact that 248 jeeps which were purchased by them earlier for a particular job, had become surplus on completion of that job. This is how the Board has wasted the public money. It is surprising that in spite of all these charges levelled against the Board, the services of the present Chairman of the Board have been extended for two years but I think, it has been done under political pressure. If such is the state of affairs, it is useless to continue this Board.

**श्री इलयापेरूमाल** (तिरुकोइलूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सामाजिक सुरक्षा विभाग ने अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण की ओर बहुत कम ध्यान दिया है। इस विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के बारे में सामाजिक सुरक्षा विभाग की गतिविधियों की बहुत कम जानकारी दी गई है। जब यह विभाग बना था उस समय यह आशा बंधी थी कि यह विभाग इन मामलों पर अधिक ध्यान देगा, परन्तु हमारी उस आशा पर पानी फिर गया है, जिस गति से उनके कल्याण तथा विकास सम्बन्धी गतिविधियां चल रही है उससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कोई आशा नहीं है कि उनका कल्याण हो सकेगा। यह रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि छुआछूत की समस्या बहुत गम्भीर समस्या है, यद्यपि हमारे संविधान के अनुसार छुआछूत खत्म कर दी गई है परन्तु यह न केवल ग्रामों में बल्कि शिक्षित समाज में भी तथा नेताओं और अन्य कार्यकर्ताओं में विद्यमान है। फिर भी इस बुराई को दूर करने के लिये वर्तमान अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये संशोधन नहीं किया गया, हालांकि इस सम्बन्ध में न केवल इस सदन में परन्तु बाहर भी बार बार निवेदन किया गया है। इस अधिनियम में जो अन्य त्रुटियां हैं उन्हें भी दूर किया जाना चाहिये। इस में सन्देह नहीं है कि अस्पृश्यता के प्रश्न पर विचार करने तथा अपने सुझाव देने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है। मैं भी इस समिति का सदस्य हूं तीसरी योजना में 950 लाख अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों जातियों के कल्याण के लिये 300 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई थी जोकि प्रति व्यक्ति एक रुपया प्रतिवर्ष से भी कम है। उनके आर्थिक विकास के लिये पिछले 17 वर्षों में कुछ नहीं किया गया जबतक वर्तमान नियमों में परिवर्तन नहीं किये जाते तब तक वे लोग कोई कारोबार नहीं कर सकेंगे और न ही आयात और निर्यात के लिये परमिट प्राप्त कर सकेंगे। अतः मंत्रालय को इस बारे में विचार करना चाहिये। इस विभाग की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि तीसरी योजना में 114 करोड़ रुपयों की तुलना में चौथी योजना में 205 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। 205 करोड़ रुपये की यह राशि चालू योजनाओं को जारी रखने तथा वर्तमान दर पर छात्रवृत्तियां देने के लिये अपर्याप्त होगी। नई योजनाएं चालू करने के लिये कोई राशि नहीं बचेगी। अतः इस राशि को बढ़ा कर 300 करोड़ रुपये कर दिया जाना चाहिये। आदिम जाति विकास खण्डों में काफी राशि व्यय की गई है परन्तु उनको इससे कोई लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि योजनाओं को उचित रूप से लागू करने के लिये विभाग के पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। जहां पर आदिम जातियों के लोग तीन से चार हज़ार तक हों वहां पर भी तदर्थ योजनाएं चालू की जानी चाहिये। अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के अधिकांश लोग कृषि-श्रमिक हैं, न्यूनतम मजूरी

अधिनियम को उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार को सभी राज्य सरकारों को हिदायतें देनी चाहिये कि वे इस अधिनियम को लागू करें। सरकार को अधिक परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र खोलने चाहिये और लोगों को सहायकों, अनुभाग अधिकारियों तथा स्टेनोग्राफरों की नौकरियों के लिये प्रशिक्षण देने के हेतु कुछ संस्थाएं खोलनी चाहियें। ग्रामों में हरिजनों को जूता पहनने नहीं दिया जाता, कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता और पंचायतों में कुर्सियों पर बैठने नहीं दिया जाता है। ये लोग इन सब बातों को न केवल पिछले 17 वर्षों से परन्तु हज़ारों वर्षों से सहन करते आ रहे हैं। जब सरकार लगभग छः करोड़ शरणार्थियों पर 800 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है तो इन बुराइयों को दूर करने के लिये अधिक राशि की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती। पद-दलित लोगों की दशा बहुत खराब है। सरकार ने इनको छात्रवृत्तियां दीं, परन्तु नियोजक जब भी किसी पद के लिये कोई विज्ञापन देते हैं तो वे तीन वर्ष से 10 वर्ष तक अनुभवी व्यक्ति चाहते हैं। यह अनुभव वह कैसे प्राप्त करें? सरकार को चाहिये कि उनके प्रशिक्षण के लिये कोई व्यवस्था करे ताकि वे कार्य करने के योग्य बन सकें और नौकरियों में अपने रक्षित कोटे को पूरा कर सकें। सरकार को उनको सहायता देने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये, अन्यथा समाज विरोधी तत्व उन्हें बहका कर सारे समाज में एक प्रकार की भ्रान्ति फैला देंगे।

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, अधिकांश लोग सामाजिक सुरक्षा के यथार्थ अर्थ से अवगत नहीं हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और उपाय वह उपाय हैं जो सरकार की देख-रेख में जनता की सुरक्षा के लिये किये जाते हैं। इसमें सामाजिक बीमा योजनाएं, सामाजिक कल्याण योजनाएं तथा सामाजिक सहायता योजनाएं शामिल हैं। पहले यह कार्य विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा था। परन्तु अब इसके लिये एक अलग विभाग खोला गया है जिससे इन सभी योजनाओं की क्रियान्विति की ओर अधिक ध्यान दिया जा सके। परन्तु हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था के कारण इन सभी योजनाओं को चालू करने के लिये हमारे साधन सीमित हैं। इस बारे में दो दृष्टिकोण हैं पहला यह है कि सामाजिक सुरक्षा की एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिये; अर्थव्यवस्था अपना ध्यान स्वयं रख सकती है। दूसरा यह है कि जब आर्थिक विकास हो जायेगा, तो जनता की सामाजिक सुरक्षा अपने आप हो जायेगी। मेरे विचार में यह दोनों दृष्टिकोण सही नहीं हैं। मैं तो बीच का रास्ता अपनाना चाहता हूं और कुछ योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहता हूं। इसीलिये सरकार यह देखने के लिये निरंतर प्रयत्नशील रही है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं को यथासम्भव अधिक व्यापक बनाया जाये। कर्मचारी भविष्य निधि योजना अब 97 उद्योगों पर लागू है और अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों की कुल संख्या 28,325 है तथा अंशदाताओं की कुल संख्या लगभग 41,30,000 है। उन उद्योगों की संख्या 30 है जिन्होंने अंशदान की दर $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत से बढ़ा कर 8 प्रतिशत कर दी है। मैं अपने माननीय मित्र श्री वारियर से इस बात में कुछ हद तक सहमत हूं कि भविष्य निधि सम्बन्धी बकाया रकमों में वृद्धि होती जा रही है परन्तु मैं उनको यह बता दूं कि जब भी विभाग अथवा मुख्य भविष्य निधि आयुक्त को इस बारे में सूचना मिलती है तो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को शेष राशि की वसूली के लिये हिदायतें दी जाती हैं कि वे शेष राशि को भू-राजस्व सम्बन्धी शेष राशि की तरह वसूली करें। लोक (मांग) वसूली अधिनियम तथा कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम और अधिक प्रभावशाली बनाये जा रहे हैं जिससे इस योजना के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों की सामान्य प्रवृत्तियों को कम किया जा सके। कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम

में यह भी व्यवस्था की जा रही है कि यदि कोई नियोजक इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाई गई योजना के अन्तर्गत एक बार दाण्डिक अपराधी सिद्ध होने के 2 वर्षों में पुनः कोई ऐसा ही अपराध करे तो दोषी सिद्ध होने पर उसे एक वर्ष तक के लिये कारावास का दण्ड अथवा 2,000 रुपये तक आर्थिक दण्ड सहित अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकें। अतः सरकार भविष्य निधि सम्बन्धी बकाया राशि से अच्छी तरह से अवगत है और जब भी सरकार को इसका पता लगता है, तो तुरंत कार्यवाही की जाती है।

ब्याज की दर के बारे में, श्री वारियर ने कहा कि भविष्य निधि की इस भारी राशि को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगाया जाना चाहिये। इस बारे में मैं बता दूं कि कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम में यह व्यवस्था है कि कोयला खान भविष्य निधि की सारी राशि भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 के खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में लगायी जाय। अतः इस अधिनियम में विहित ढंग से इस राशि का विनियोजन करना पड़ता है। जब हम अधिक ब्याज के बारे में सोचते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिये कि जहां से हमें अधिक ब्याज मिल सकता है वहां पर धन लगाना सुरक्षित भी है। 1965-66 के लिये ब्याज की दर 4।। प्रतिशत की जा रही है।

**श्री वारियर** : सरकार के पास ऐसी प्रतिभूतियां भी तो हैं जिनसे अधिक ब्याज मिल सकता है। उनमें इस धन को क्यों नहीं लगाया जाता ?

**श्री जगन्नाथ राव** : दावों के निपटारे के बारे में हिदायतें यह हैं कि सभी दावों पर 10 दिन में कार्यवाही की जानी चाहिये। कुछ मामलों में यदि आवेदन पत्र ही ठीक प्रकार से न भरे गये हों तो दावों के निपटारे में देरी हो जाना स्वाभाविक ही है। दिसम्बर, 1963 में मान्य दावों की कुल संख्या 21,121 थी जिनमें से 12,601 मामले निपटाये गये। इनमें से 11,634 मामले अथवा 92 प्रतिशत एक ही मास के अन्दर निपटाये गये और 967 मामले अथवा 8 प्रतिशत एक मास से अधिक समय में निपटाये गये। इसी प्रकार 1964 में 91 प्रतिशत मामले एक मास के अन्दर निपटाये गये और 8 प्रतिशत मामले एक महीने से अधिक समय में निपटाये गये। फिर भी दावों को शीघ्रता से निपटाने के लिये व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है और कुछ समय के पश्चात् इस बारे में शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लगभग 29.50 लाख व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं जिनमें 2.70 लाख ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अब सेवा से मुक्त हो गये हैं। इस कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम को पहले हम उन क्षेत्रों में लागू करना चाहते हैं जिनमें 500 अथवा इससे अधिक कर्मचारी काम करते हों। तत्पश्चात् उन कारखानों तथा संस्थानों पर लागू किया जायेगा जिनमें 20 से भी कम कर्मचारी हों। परन्तु ऐसा करना चिकित्सा सुविधाओं पर निर्भर करेगा। यद्यपि हम अधिक अस्पतालों का निर्माण करना चाहते हैं परन्तु सीमेंट और इस्पात की कमी के कारण हम अपने इरादों को मूर्तरूप नहीं दे सकते।

श्री महीडा ने बच्चों की ओर अधिक ध्यान देने की बात कही। इस बारे में मैं यह बता दूं कि 44 करोड़ की हमारी जनसंख्या में से 40 प्रतिशत 16 वर्ष की आयु से कम हैं। हमें इन बच्चों के पालन के सम्बन्ध में पूरा ध्यान देना होगा। हम ने सभी राज्यों को बाल अधिनियम, 1960 जो कि केन्द्रीय अधिनियम है, जैसा विधान बनाने के लिये सलाह दी है जिससे बच्चों की उचित रूप से देखरेख की जा सके। बाल अपराधों को केवल तभी रोका जा सकता है। बाल अपराध तथा बाल अवारापन को रोकने सम्बन्धी योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों

को 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता भी देती है। आसाम, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान को छोड़ कर बाकी सब राज्यों ने हमारी सलाह के अनुसार विधान बना लिया है। इस समय देश में 23 प्रति प्रेषण गृह, 12 प्रमाणित/स्वीकृत स्कूल, 3 बाल गृह और 1 बोरस्टल स्कूल हैं जिनमें बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इनमें से दिल्ली में बाल भवन देखने योग्य है जहां पर केवल कक्षाओं में ही नहीं परन्तु मनोरंजन द्वारा भी शिक्षा दी जाती है। प्रत्येक राज्य में एक एक बाल सग्रहालय खोलने का भी प्रस्ताव है। राज्य सरकारों को ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहिये जिन के लिये केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता देने के लिये तैयार है।

श्रीमती सुभद्रा जोशी और कुछ अन्य सदस्यों ने अनैतिक पण्य को रोकने का उल्लेख किया। इस बारे में मैं उनसे सहमत हूं कि इससे सम्बन्धित अधिनियम को प्रभावकारी तरीके से लागू नहीं किया गया। इसमें कुछ त्रुटियां बताई गई हैं और संशोधन भी सुझाये गये हैं जो कि सरकार के विचाराधीन हैं। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या विधान द्वारा नैतिकता लाई जा सकती है। जहां किसी विशेष वेश्यावृत्ति के मामले का विशेष पुलिस अधिकारी को पता चलता है तो निश्चय ही ऐसे कदम उठाये जाते हैं जिससे वेश्यागृह के स्वामी और सार्वजनिक स्थान पर बैठने वाली वेश्या के विरुद्ध धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सके। परन्तु यह एक बड़ी कठिन समस्या है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस समस्या को दूर करने के लिये प्रत्येक राज्य में स्वयंसेवी संगठन हैं। इस बारे में निराश होने की कोई आवश्यकता नीं है, अधिकांश पतित महिलायें अब इस व्यवसाय को तर्क कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त वास्तविक समस्या यह है कि 5,58,000 ग्रामों के लोगों के, जो हमारी कुल जनसंख्या के 83 प्रतिशत हैं और जो हमारी प्रजातंत्र के आधार हैं, नियोजन के लिये अवसर जुटाने हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-उद्योगों की स्थापना करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। योजना आयोग की ग्रामीण उद्योगीकरण समिति ने श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में इस प्रश्न पर सविस्तार विचार किया है और देश में 45 अग्रिम परियोजनाएं चालू की गई हैं। इसके लिये 1964–65 में 202 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। सरकार उद्योगों को शहरी क्षेत्रों में इकट्ठा होने की बजाये देहाती क्षेत्रों में स्थापित करना चाहती है, जिससे ग्रामीण लोगों को कृषि कार्य के अतिरिक्त पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक कार्य मिल सके।

जहां तक भीख मांगने का प्रश्न है, यह विषय भी राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। इस बारे में अधिनियम है और इसको लागू करना राज्य सरकारों का काम है। केन्द्रीय सरकार भीख मांगने वालों के कल्याण सम्बन्धी उन योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देती है जो योजना में शामिल की जाती हैं। तीसरी योजना में 156.8 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

श्री महीड़ा ने भीख मांगने तथा उसे समाप्त करने के बारे में कहा है। वैसे इसके विरोध के लिये एक अधिनियम भी है। परन्तु इसे कार्यान्वित करना राज्य सरकारों का काम है। वैसे केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को 50 प्रतिशत सहायता देती है यदि वे भिखारियों के निर्माण के कार्यों को अपनी योजना में गठन कर लें।

तीसरी योजना में इस कार्य के लिये 156.8 लाख रुपयों का नियोजन है। इसमें से 46 लाख रुपया तो किशोरों में भीख को समाप्त करना है।

एक ऐसी योजना भी बनाई गई है जिसके अन्तर्गत किशोर भिखारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य होगा । इसमें उनके लिये कुछ काम तथा मनोरंजन के कार्य भी होंगे । यह हैदराबाद में प्रारम्भ कर दी है तथा इसके द्वारा जो दूसरे नगर लिये जावेंगे वे हैं अहमदाबाद, मद्रास, कानपुर, कलकत्ता, दिल्ल ', बम्बई तथा बंगलौर ।

[**डा० सरोजनी महिषी** प ठास न हुई
DR. SAROJINI MAHISHI *in the chair*]

मेरे मित्र ने समाज कल्याण बोर्ड की त्रुटियों का उल्लेख किया । परन्तु इसका उल्लेख तो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में भ ं है । सरकार तथा लोक लेखा समिति इन बातों को जांच रही हैं ।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सेरामपुर) : इस बहस के बीच में उपमंत्री ने बताया कि किस कारण सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा को इस मंत्रालय के अधीन लिया ।

1962–63 में श्रम मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आश्वासन दिया था कि अस्पतालों के निर्माण में जल्दी की जावेगी । 8 अस्पताल इस प्रकार बने हैं । बंगाल के अस्पतालों के बारे में मुझे पता है कि वहां कुछ स्थान केवल बीमा कर्मचारियों के लिये सुरक्षित होती हैं जिससे वहां की जनता के अन्य रोगियों को स्थान नहीं मिल पाता है और उन्हें असुविधा होती है ।

वैसे मैं इस योजना को बढ़ाने के हक में हूं । परन्तु मैंने कह कि जब आप इसे हुगली जिले में बढ़ावें तो यह भी देखना कि तब तक आप न बढ़ावें जब तक आपके पास अच्छे अस्पतालों का इन्तजाम न हो ।

[**अध्यक्ष महोदय** प ठास न हुए
MR. SPEAKER *in the ahair*]

सरकार ने कहा है कि यह समाज सुरक्षा का कार्य है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप इसे निःशुल्क का क्यों नहीं बनाते ? यह कोई न्याय के विरुद्ध नहीं होगा । रेल कर्मचारी भी तो रेलवे प्रशासन से मुफ्त चिकित्सा प्राप्त करते हैं, फिर यही बात कारखाने के कर्मचारियों तथा कपड़ा मिलों के कर्मचारियों के लिये क्यों नहीं लागू करते ?

एक कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम था । यदि किसी कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जावे तो उसे इसके अन्तर्गत मुआवजा मिल जाता है ।

भविष्य निधि के बारे में मैं कहूंगा कि कुछ कारखाने ऐसे हैं जिन्होंने कर्मचारियों से रुपया जमा भी कर लिया है परन्तु अदायगी के समय बड़ी देर करते हैं । इसका कारण यह है कि सरकार कर्मचारियों तथा मालिकों के भाग वहां दिये नहीं गये । ऐसा भी हुआ है एक कारखाना किसी कारण बन्द हो गया और कर्मचारियों को अपनी भविष्य निधि से हाथ धोना पड़ा । ऐसा ही चन्द्रनगर बिजली संभरण में हुआ । मैंने इसके बारे में मंत्री महोदय को लिखा भी है कि कुछ किया जावे ।

पिछड़े वर्गों को उठाने के बारे में बहुत सी समितियां बनी जैसे कि ढेबर आयोग । उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट भी दीं । परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि उन सब का क्या बना ।

तिप्पाराह के आदिम जातियों ने सरकार के सामने एक प्रतिवेदन भेजा कि वहां के पुराने रहने वालों को वहां से बाहर भगाया जा रहा है। ऐसा और स्थानों पर भी हो रहा है। परन्तु इन जातियों का उत्थान तब होगा जब आप उनकी भूमि सम्बन्धी समस्य. दूर करेंगे।

मेरे पास पश्चिमी बंगाल से पत्र आये हैं कि वहां पीने के पानी का ठीक प्रबन्ध नहीं है। उनमें से एक मालदा जिले से आया है कि वहां जो ट्यूब वेल लगे थे और जो कार्य नहीं कर रहे हैं वे सुधारे नहीं गये और इस प्रकार वहां जनता को कष्ट उठाना पड़ रहा है।

मुझे पता नहीं है कि खादी बोर्ड को इसके अन्तर्गत क्यों लाया गया है। इसके बारे में इस बोर्ड में बड़ी धांधलेबाज़ी हो रही है। सरकार को इस ओर कुछ सोचना चाहिये।

**Shri P. L. Barupal** (Ganganagar): Mr. Speaker, I have stood up to support the demands for grants of the Social Security Department. Ours is a great country and many problems are before it such as of women, Harijans and prostitutes. But on the basis of my 13 years experience as a member of Parliament I can say that there is vast difference between what the people preach and what they practise.

In a bye-election to the Delhi Municipal Corporation once I went to ask for votes for a candidate. There a deputation of prostitutes met me and told me that many people go to them at the time of election and give the assurances which are never fulfilled. They posed a direct question before me whether the society is prepared to take them into its lap. They have got daughters and are the people prepared to marry them? So this is a problem which has got to be solved.

Then there is the problem of those who do not work at all. Their number is about 1 crore people. A sum of Rs. 720 is approximately spent on them annually. These people should be absorbed in constructive works.

In Rajasthan there are certain castes such as Nat Bhat, Gwaria, Bhat, Koochie, Kanjer, Sansi, Banjare etc., which have neither their own houses to live in or they have been given right tovote. Government should take measures to improve their lot.

About social security measures I want to say that even after 17 years of independence not much has been done to infront our condition. Aperson who becomes an M.P. or an M.L.A. becomes well off but so far other ordinary Harijans in the villages are concerned, their plight is very bad. In Rajasthan still there are Harijans who cannot put on turbans or put on shoes, ride on a camel or sit on a cot outside their houses. If they demand some rights, they face social boycott and are beaten and their houses got plundered. Even some of my own relatives were shot dead like this. Even some police men connive in such things and I have got a poster with me indicating such activities. I hope the minister would do something about it.

अध्यक्ष महोदय द्वारा बाद में आवश्यक अनुमति न दिये जाने के कारण पत्र सभा पटल पर नहीं रखा गया, समझा गया।

The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the paper was not treated as laid on the table.

Even some trained people are unemployed. Government should give thought to opening cottage industries to the handicap. I also want government to give some relief to the old people in villages who have none to support them.

Now I want to say somethinga bout Khadi. I was the first man in Rajasthan who answered Gandhiji's call in this field and propogated Khadi. I am pained when I find cases of corruption in this department. Subsidy is obtained on wrong grounds. I want that no subsidy should be given. The Government should only ensure the sale of cloth manufactured by Khadi workers.

Reverting back to the problem of prostitution I will say that it is not only prostitutes who are corrupt but the males who sustain this profession are also corrupt. But women are blamed and males go scot free. I want thatthe old system of permitting prostitution in separate bazars ofa city should be introduced. They should be given registers to them. Licence should be given not only to the prostitutes but to those males also who visit them. Only such a measure will deter people from going there.

**Shri Maurya** (Aligarh) : Mr. Speaker, it is very unfortunate that even after the independence of this country, there is no end to the exploitation of people by the society. Even Ravindra Nath Tagore wrote a poem about it in Gitanjali.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

Mr. Deputy Speaker, there is provision in our Constitution for upliftment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There are certain facilities given in the field of education and people who are called Scheduled Tribes have been benefited as a result of it. But it is far from adequate.

I want that the Scheduled Tribes students should be sent to foreign countries also for getting higher education. At present their number is very small.

Democracy cannot work if all sections of the society do not take part in the administration of the country. It is due to this fact under reservation in services has been granted to these classes as envisaged in articles 16 and 335 of the Constitution.

A reservation of 12·5 per cent for scheduled castes and 5 per cent seats for Scheduled Tribes has been given in the Constitution. In 1965 we have got a report on Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1962-63 which shows on its page 154 that in Class I services there are only 1.3 per cent persons belonging to the Scheduled castes and only 2.3 per cent in Class II services. The number of persons of Scheduled Tribes in the corresponding services is 0·15 per cent and 0·21 per cent. This is the case of permanent services. The plight of these people in temporary services is still worse.

In such a situation we generally observe that people belonging to the Scheduled Castes remain behind. During the interview people belonging to the high castes get preference at the hands of those who are on the Board. In this way the quotas that are fixed for the Scheduled Castes and Scheduled tribes in the Government Services have not been filled. Special facilities are not there by which the protection may be possible. I shall urge that special facilities should be provided to the candidates of these communities may get some fair deal. Their reservation should be increased to 1500 in case of Scheduled Castes and to 700 in case of Scheduled Tribes. As I have stated that candidates of these Communities are ousted in the interviews because of a feeling of hatred for them in the minds of the officers.

This is also very essential that there should be at least one member belonging to the Scheduled Castes, and one belonging to the Scheduled Tribes in the U.P.S.C. and in each of the State Public Service Commission. This will create some confidence in the minds of the people of these communities . Also in the matter of recruitment for the army no discrimination should be made on the basis of caste, creed or community. It is very essential that the formation of the regiments on the basis of communities should be totally stopped. If it is not possible then Chamar and Mehtar regiments should also be formed.

I also want to draw the attention of the House to this fact that in the services of the local bodies and Semi-Government organisations, the quotas of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be filled up. Most of the posts reserved for these castes are not filled up. I also feel that the political reservation which have been provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes don't benefit them at all. On the otherh and it has created factions among them. The political reservation should either be abolished or, if true representatives of these communities and tribes have to be got elected. I think it will be better if the provision of separate electorate is done for them.

Coming to the income side, I may state that the per capita income of the people of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is only ten naya paisa. Government should take concrete steps to raise the standard of the people of these communities. This should also be noted that two and a half crore acres of land is lying unutilised. My demand is that the land near the canals, the railways and the forest lands should be distributed among the landless labourers.

Rupees 205 crores have been allotted in the Fourth Plan for the upliftment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. My feeling is that his sum is not at all adequate. I should urge that this provision may be suitably increased. We see this fact every day that the Government are spending huge amounts in big cities, and that is all in the interests of the Capitalists and big industries. More and more attention should be paid to the depressed and the exploited sections of the people who are living in the rural areas in very miserable conditions.

We have also seen that and how regrettable it is that the persons living at a place for about 70 to 80 years are being evicted under slum clearance schemes. You just imagine how could the poor evictees come to their places of work from such long distances ? Government should build multi-storeyed building for them at these places from where they are being evicted. This should also be noted that persons living in juggies etc. at a place prior to 31st December, 1962 should not be evicted unless a plot of land is given to them.

Our leaders generally say that untouchability has come to an end. But this is not true. Untouchability is still alive in many spheres. If we want to end, we shall have to put in the gigantic efforts. Together with that I may state that the Minimum Wages Act should be applied to the agricultural labour. I am confident that if the condition of the poor people don't improve, a very dangerous situation may be created in the country. Country may have another revolution . You must know that a few people cannot safeguard the imdependence of the country. We have seen with great surprise, the Cabinet Ministers resigning on the issue of language, but nobody wants to safeguard the Democracy in this country.

**सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : आज जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, उन के प्रति मैं अपना आभार प्रदर्शित करती हूं ।जिस भी माननीय सदस्य ने विचार व्यक्त किये, उसका वास्तविक उद्देश्य पिछड़े वर्ग की दशा को सुधारनाथा । मुझे इस बात का हर्ष है कि पिछड़े वर्गों के लोगों की ओर अपेक्षित ध्यान दिया जा रहा है ।इस संदर्भ में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहती हूं केन्द्रीय और राज्य सरकारें इस दिशा में काफी सचेत हैं और पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्य के प्रति पूरा ध्यान दे रही है । पिछड़े वर्गों को विशेष लाभ प्राप्त होता रहा है । प्रथम योजना में इस कार्य के लिये 35 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया । दूसरी योजना में 91 करोड़ रुपया तथा तीसरी योजना में 114 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया जैसे कि वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है, हमें चौथी योजना के अन्तर्गत इन कार्यों के लिए 205 रुपया प्राप्त होगा ।

यह भी ठीक है कि पिछड़ी हुई जातियों के सम्बन्ध में कार्यक्रमों की पहली और दूसरी योजनाओं में कमी रही है परन्तु जहां तक तीसरी योजना का सम्बन्ध है स्थिति इतनी खराब नहीं है क्योंकि 78.70 करोड़ रुपये में से, जो तीसरी योजना के चार वर्षों के लिये रखा गया है, तीसरी योजना के चौथे वर्ष तक 72 03 करोड़ रुपये व्यय हो जायेंगे । पिछड़ी हुई जातियों के शिक्षा-सम्बन्धी, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिये बहुत सी कल्याण योजनायें हैं । मैट्रिक से पहले की और मैट्रिक के बाद की छात्रवृतियां की संख्या और धन की मात्रा बढ़ा दी गई है । अतः मेरा कहना है कि इस दिशा में जो कुछ भी संभव हो सकता है, करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

पिछड़ी हुई जातियों में छात्रवृत्तियों की रकम का शीघ्र वितरण किये जाने के उपाय किये गये हैं । छात्रवृत्तियां दिये जाने के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विद्यार्थियों को हो रही कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसे प्रमाणपत्र देने के लिये अधिकृत व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी गई है । मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को 5 से 20 रुपये प्रति मास तक छात्रवत्तियां दी जाती हैं । परीक्षा-शुल्क भी वापस कर दिया जाता है । योग्यता-तथा साधन छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं ।

श्रेणी 3 व श्रेणी 4 की नौकरियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की संख्या क्रमशः बढ़ रही हैं, स्थिति बहुत असन्तोषजनक है । उस परिस्थिति को सुधारने के कई उपाय किए गए हैं । भारतीय प्रशासन सेवा आदि की परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पूर्व-शिक्षा संस्थायें स्थापित की गई हैं ।

भारत प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में भी आरक्षित सीटे को भरने में सुधार हुआ है । सहायक, स्टेनोग्राफर और क्लर्क की परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति और पिछड़ी हुई जातियों के अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग देने का सरकार का प्रस्ताव है । यह कार्यक्रम शीघ्र चालू किया जायेगा । इस प्रयोजन के लिये विभिन्न राज्यों में आठ केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । इस प्रकार उस कमी को पूरा करने की आशा है जो इस समय द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के पदों में विद्यमान हैं ।

सरकार का तीसरी योजना में 450 आदिम जाति खण्ड चालू करने का विचार है । आशा की जाती है कि 450 की इस लक्षित संख्या से उन क्षेत्रों में विकास खण्ड बन जायेंगे जिन में आदिम जातियों की संख्या 66.2 प्रतिशत है । इसी क्षेत्र में 50 प्रतिशत आदिम जाति संख्या

वाले क्षेत्रों में आदिम जाति खण्ड बनाये जायेंगे और शीघ्र ही अधिक आदिम जाति खण्ड शुरू किये जायेंगे । उन आदिम जाति खण्डों से बाहर रहने वाले आदिम जातियों के लोगों के लाभ के लिए विशेष योजनाओं के लिए तदर्थ सहायता की योजना बनाई गई है ।

आदिम जाति विकास खण्डों के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता है । रांची में कार्य कर रहे आदिम जातियों के सुधार और अध्ययन केन्द्र के अतिरिक्त जबलपुर, उदयपुर और भवनेश्वर में ऐसे केन्द्र चालू कर दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त पशुपालन, सहकारिता, पंचायतों, ग्रामीण उद्योगों आदि में काम कर रहे कर्मचारियों और विस्तार अधिकारियों को कुछ विशेष प्रशिक्षण दिया जाना है ताकि उन्हें आदि जाति विकास खण्डों के काम को सफलतापूर्वक चलाने के योग्य बनाया जा सके । आदिम जातिम खण्डों में वण्य सहकारी समितियों का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है । तीसरी योजना के अन्तिम दो वर्षों में प्रगति की बढ़ी हुई रफ्तार से 3219 समितियों का योजना का लक्ष्य प्राप्त होने की सम्भावना है ।

यह शिकायतें की गई हैं कि इन समितियों में आदिम जातियों का शीषण किया जाता है । इस दिशा में कुछ कानूनी कार्यवाहियां की जा रही हैं । हमारे पास चालू योजनायें बहुत हैं और चौथी योजना में आवंटित पूरी राशि खर्च हो जायेगी । योजना में 297.55 लाख की व्यवस्था की गई है । 1965 में जो राशि खर्च की जायेगी वह 228.28 लाख है । बहुत अधिक अन्तर नहीं है । चौथी योजना के अन्तर्गत योजना आयोग ने 205 करोड़ इस कार्य के लिए देना स्वीकार कर लिया है । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह राशि थोड़ी है । यह ठीक है, हमारे पास योजनायें हैं हमारे पास व्यवस्था हो तो हम हजारों तक खर्च कर सकते हैं परन्तु जो व्यवस्था हो रही है उसे खर्च किया जा रहा है । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे पास कोई कार्यक्रम ही नहीं है । यह बात गलत है । राज्य सरकारें बहुत अच्छा कार्यक्रम इस दिशा में बना रही हैं । हम यह भी व्यवस्था कर रहें हैं कि कार्यान्वित करने के काम की पूरी निगरानी की जाय । शीघ्र ही पिछड़े वर्गों के विभागों के मंत्रियों का सम्मेलन होने जा रहा है, और आशा की जा रही है कि उसके बाद इस दिशा में उभरने वाली बहुत सी समस्यायें हल कर ली जायेंगी ।

**Shri Utiya** (Shahdol) : Great injustice is done to the people of backward classes. Their legitimate demands are also not met. The selfish people exploit them. Even the police officers do not pay due attention towards the atrocities upon them.

[**डा० सरोजनी महिषी पीठासीन** हुए
DR. SAROJINI MAHISHI *in the chair*]

We have received the report of Social Security Department, the philosophy of the Social Secruity has been explained very vividly. Nothing else is there which can be used for the betterment of the backward classes. It has come to my notice that police people instead of doing justice with these backward commit atrocities on them. As far as land is concerned they don't get justice from the Patwaries.

I am strongly of the opinion that a separate cell be created in the Department of Social Security, which may receive complaints from Adivasis, Harijans and the other backward class people. We should also see that legislation is enacted to give special facilities and protection to the people of backward classes in the matter of employment and land distributions

The education of these classes is also very badly neglected.

I shall urge upon the Central Government that they should take the responsibility of increasing the number of schools and colleges in the areas in which these backward classes people live in sufficient number. In these areas means of communication should also be adequately looked after. Roads etc. should be constructed. A Bill should be brought to give pension to old people and also to help the helpless women and children.

**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम)** : मैं श्री मौर्य की इस बात से सहमत हूं कि हरिजनों से बहुत अन्याय हो रहा है । इसी कारण गांधी जी सदैव उन के उत्थान के बारे में सोचा करते थे । पिछड़े वर्गों के बारे में आयोग की रिपोर्ट में स्त्रियां भी एक पिछड़ा वर्ग है । श्री नेहरू ने भी कहा था कि यदि हमें प्रगति करनी है तो स्त्रियों की दशा सुधारनी होगी और गांवों का उत्थान करना होगा ।

मुझे हर्ष है कि इस नये विभाग में एक स्त्री भी मंत्री है । हमें आशा करनी चाहिये कि अब स्त्रियों तथा हरिजनों का सुधार होगा । 1969 में गांधी जी की जन्म शताब्दी मनायी जा रही है हमें यह उस वर्ष तक देश से छुआछूत समाप्त करने की क़सम लेनी चाहिये । एक माननीय सदस्य ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की आलोचना की है । यह ठीक नहीं है । मैं वहां की स्थिति को अच्छी तरह जानती हूं । लोक लेखा समिति ने इसके बारे में कुछ बातें कही है । शायद ऊनी कपड़ों के सम्भरण के बारे में कुछ ग़लतफहमी हो गई है । इस बोर्ड ने आपात काल में बहुत सराहनीय कार्य किया है । यह काम सभी राज्यों में हुआ है । और सेना के लिये ऊनी वस्तुएं उपलब्ध की गई हैं। बोर्ड द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं की भी आलोचना की गई है परन्तु यह सब निराधार है । इन पत्रिकाओं का स्तर बहुत अच्छा है और वे बहुत उपयोगी हैं : बोर्ड के पास जो जीपें थी वे पंचायतो तथा राज्यों को दे दी गई हैं। योजना आयोग की सिफारिश पर 1953 में इस की स्थापना की गई थी और तब से ही यह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है । इस की अध्यक्षा पहले श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थी और अब श्रीमती मथाई हैं। इन दोनों महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है । हमें इस पर गर्व है । हमें बिना किसी कारण के आरोप नहीं लगाने चाहियें । 1953 में इस की स्थापना के समय श्री नेहरू ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को इस के बारे में एक पत्र लिखा था । और इस के कार्य के बारे में उन को अवगत कराया था ।

अब बोर्ड को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । इस को स्वायत्तता के अधिकार मिलने चाहियें । अब इस को अपना कार्य करने में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है और छोटी छोटी बातों के लिये मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती है । योजना आयोग के एक अध्ययन दल ने भी ऐसी सिफ़ारिश की है । 1960 में राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन ने भी इसी प्रकार करने को कहा था । परन्तु खेद की बात है कि इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र कानून बनाया जाये और बोर्ड को और अधिकार दिये जायें । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आदिम जाति के लोगों की दशा बहुत शोचनीय है । उन को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं की गई है । सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा ।

**श्री कृष्णपाल सिंह** (जलेसर): सामाजिक सुरक्षा की समस्या मुख्य रूप से आर्थिक समस्या है । यदि लोगों की आर्थिक दशा में सुधार हो जाये तो सामाजिक सुरक्षा की समस्या ही नहीं रहेगी । पहले सभी काम हाथ से हुआ करते थे । अब मशीन का युग है । इससे गांवों के कारीगरों को बहुत हानि हुई है । उन की हालत सुधारने के लिये हमें ग्रामीण उद्योग चालू करने चाहियें । हमें उन के लिये गांवों में ही कार्य उपलब्ध करना होगा ।

हथकरघा उद्योग का कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है । आगरा के पत्र में छपा है कि उत्तर प्रदेश के एक भूतपूर्व मंत्री ने एक करोड़ रुपये का गोलमाल किया है । इसके बारे में केन्द्रीय सरकार को भी रिपोर्ट भेजी गई है । इस प्रकार के ग़बन के बहुत से मामले हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई जांच करायी गयी है । यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है । सरकार ने कुछ ऐसी योजनायें चालू की हैं कि जिन पर काफ़ी रुपया व्यय हो रहा है परन्तु जिनमें संतोषजनक काम नहीं हो रहा । अम्बर चरखा पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है परन्तु उस से कोई लाभ नहीं हुआ है । अब बिरला की एक फर्म को चरखे में सुधार करने को कहा गया है । इसी प्रकार और भी कई योजनायें हैं जिनमें संतोषजनक कार्य नहीं हो रहा है । दिल्ली के खादी तथा ग्रामोद्योग भवन के विरुद्ध आरोप थे । उस बारे में जांच भी हुई थी ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

परन्तु इस बीच में उन अधिकारियों की जिनके विरुद्ध आरोप थे पदोन्नति कर दी गई है ।

मैंने देखा है अधिकारी लोग यात्रा भत्ता बहुत लेने लगे हैं । कई ऐसे भी हैं कि जिन का इस भत्ते का बिल प्रतिमास 6,000 रुपये तक होता है और वैसे वे अवैतनिक कार्यकर्ता होते हैं । इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

**श्री रामचन्द्र मलिक** (जाजपुर): हमारे महान नेता गांधी जी हरिजनों के उत्थान का बहुत ध्यान करते थे । हरिजनों का सुधार देश का सुधार है । इस कारण वह इस को बहुत महत्व देते थे । हरिजन लोग आज सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं । आर्थिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अर्थात सभी में उनकी दशा बहुत खराब है । उनके सुधार के लिये बहुत कुछ करने की आवश्यकता है । उनको मकान बनाने के लिये आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए । बड़े खेद की बात है कि सुधार कार्य में लगे अधिकारी अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं ऐसी स्थिति में इन कार्यों पर वही लोग लगाये जाने चाहियें कि जो इसमें रुचि रखते हैं । अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये पर्याप्त कार्य नहीं हुआ है । यह ठीक है कि कुछ काम हुआ है । परन्तु आज भी हरीजनों को मन्दिरों आदि में जाने की अनुमति नहीं है ।

उड़ीसा में द्वितीय योजना काल में कुछ चिकित्सालय खोले गये थे । इसमें आधी सहायता केन्द्रीय सरकार ने दी थी । हम इसके लिये सरकार के आभारी हैं । परन्तु तृतीय योजना काल में इस बारे में कुछ नहीं किया गया है । उड़ीसा एक ग़रीब राज्य है । वहां का स्वास्थ्य विभाग इस योग्य नहीं कि और चिकित्सालय खोल सकें । परन्तु

वहां के आदि जाति क्षेत्रों में चिकित्सालयों की बहुत आवश्यकता है । मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार इस कार्य में आर्थिक सहायता दे ।

केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की विद्यार्थी लड़कियों के लिये होस्टल निर्माण के लिये धनराशि दी है । इस बारे में सरकार को राज्य सरकार को हिदायत करनी चाहिये कि इस धन का उचित प्रकार से प्रयोग किया जाये ।

उड़ीसा में अनुसूचित तथा आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों के लिये दी जाने वाली धनराशि अपर्याप्त होती है । विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है । इस को देखते हुए केन्द्रीय सरकार को अपने भाग की राशि को बढ़ाना चाहिये । राज्य सरकार के संसाधन सीमित हैं । मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह उड़ीसा को इस प्रयोजन के लिये और सहायता दे ।

हरीजनों को रोज़गार के क्षेत्र में और अधिक सुविधायें दीं जानी चाहियें । उनके लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहियें । उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले के टाकटपुर नाम के स्थान पर एक दिशेष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोली गयी है । यहां पर आदिम जातियों के 260 लड़के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । राज्य सरकार ने 6 और ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र चालू करने की मांग की है । इन में से एक 1965-66 में खोले जाने का प्रस्ताव है । इस के खर्चे के बारे में अनुमान केन्द्रीय सरकार को भेज दिये गये हैं । मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार की इस बारे में मांगें स्वीकार कर ली जायें और आवश्यक सहायता दी जाये । इन प्रशिक्षण केन्द्रों में निकटवर्ती राज्यों के लोग भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं । इस प्रकार इनसे उड़ीसा के अतिरिक्त अन्य राज्यों को भी लाभ हो सकता है ।

**श्री शिवशंकरन** (श्रीपेरुमबुदूर) : राष्ट्रपति के आदेश से यह विभाग बनाया गया है । हमारे संविधान में यह कार्य विदेशी सिद्धान्तों के अन्तर्गत आता है । हमने उन सिद्धान्तों की पूर्ति में संतोषजनक प्रगति नहीं की है । छुआछूत के उन्मूलन के बारे में कानून पास कर दिया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है । यह अभी समस्त भारत में प्रचलित है । ग्रामीण क्षेत्रों में छुआछूत अभी भी बहुत है । हमारे संविधान के बनाने वालों ने तो अपना कार्य ठीक प्रकार से कर दिया था परन्तु हमारी सरकार संविधान के उपबन्धों को कार्यरूप देने में पूरी तरह से सफल नहीं हुई है । छूआछूत समाप्त करने के लिये बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है । केवल काग़ज़ी कार्यवाही से काम नहीं चलेगा । अमरीका में नीगरो लोग अपने अधिकारों के लिये लड़ रहे हैं । हमारे यहां भी उनके लिये बहुत सहानुभूति व्यक्त की जाती है । दक्षिणी अफ्रीका सरकार की वर्णभेद की नीति के हम बहुत अधिक विरुद्ध हैं । परन्तु हमारे अपने ही देश में लगभग 6 1।2 करोड़ हरीजन भाई है । उनके विरुद्ध भी तो भेदभाव चल रहा है । यह जनसंख्या एक बड़ी संख्या है । इसकी भलाई में भी तो हमें रुचि लेना चाहिये । हमारी सरकार का रवैया बिल्कुल प्रतिकुल है । और तो और अनुसूचित जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट को छापने में सरकारी मुद्रणालय में कई महीने लग जाते हैं । इसको अधिक महत्व की चीज़ नहीं समझा जाता । राज्य सरकारें भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण रखती है । इन लोगों की समाधान करने के लिये सख्त प्रयत्नों की आवश्यकता है । केवल कानून बनाने से या भाषण देने से कार्य नहीं होगा । अनुसूचित जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट में पूरी जानकारी होती नहीं । क्योंकि बहुत से विषय तो उसकी जानकारी में लाये ही नहीं जाते ।

कई बार ऐसे होता है कि अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार की सहायता योजनाओं का पता ही नहीं चलता है और इस बारे में धन बिना उपयोग किये ही पड़ा रहता है। सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिये कि निर्धारित धन का ठीक प्रकार तथा उचित उपयोग करायें जिससे हरिजनों का उत्थान कार्य हो सके। सरकार को एक समिति गठित करनी चाहिये जो हरिजनों की सभी समस्याओं पर विचार करे और उनके हल सुझाये।

नियुक्तियों के बारे में अनुसूचित जाति आयुक्त ने अपनी 1961-62 की रिपोर्ट में कहा है कि इन जातियों के लोग लिखित परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं परन्तु इन्टरव्यू अथवा मौखिक परीक्षाओं में असफल कर दिया जाता है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

गन्दी बस्तियों के हटाये जाने के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। गंदी बस्तियां एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर बना दी जाती हैं। मद्रास में इनकी संख्या में वृद्धि हो गई है। हमें वहां पर रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करना होगा और गांव के लोगों को गांवों में ही जीविका उपार्जन के साधन उपलब्ध करने होंगे। गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिये मकान बनाकर उनको किस्तों पर दिये जाने चाहियें

**श्री सुबोध हंसदा** (झाड़ग्राम) : श्रीमान्, यद्यपि पद-दलित लोगों के स्तर को ऊंचा करने के लिये कई योजनायें चालू की गई हैं फिर भी जैसा कि उपमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है, इतनी प्रगति नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि आदिम जाति के लोगों को समान अधिकार तथा अवसर प्रदान नहीं किये गये हैं और इसलिये वे निरंतर प्रगति नहीं कर सके हैं। भारत में अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की जनसंख्या 300 लाख है। भारत सरकार ने 1965-66 में केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के लिये 820·40 लाख की राशि नियत की जिसमें से छात्रवृत्तियां देने, अनुसन्धान करने, प्रशिक्षण देने तथा सहकारिता के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार को 8·20 लाख रुपये दिये गये, हालांकि पश्चिमी बंगाल में आदिम जाति के लोगों की जनसंख्या देश में आदिम जाति के लोगों की कुल जनसंख्या के 8 प्रतिशत से भी अधिक है, परन्तु पश्चिमी बंगाल के आदिम जाति के लोगों के लिये नियत की गई राशि कुल राशि का एक प्रतिशत भी नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से जहां उनके लिये 70 लाख से भी अधिक की राशि नियत की जानी चाहिये थी, वहां केवल 8.20 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है। यह कहां तक न्यायसंगत है, जबकि पश्चिमी बंगाल में आदिम जातियां उतनी ही पिछड़ी हुई हैं जितनी कि देश के अन्य भागों में। 820·40 लाख रुपयों की इस राशि का 85 प्रतिशत आदिम जाति विकास खण्डों के लिये रखी गई है। चौथी योजना के अन्त तक सरकार 500 ऐसे खण्ड स्थापित करना चाहती है। जिनसे केवल 78 लाख लोग लाभ उठा सकेंगे जबकि लगभग 220 लाख लोग इन योजनाओं से लाभ उठाने से वंचित रह जायेंगे। आदिम जातियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया है, इसका पता नहीं लगा। इन खण्डों में राज्य सरकारें योजनाएं बनाती हैं जिनके लिये भारत सरकार वित्त की व्यवस्था करती है। हालांकि इन विकास खण्डों में प्रति व्यक्ति खर्च 12 रुपयों से भी अधिक है, परन्तु पश्चिमी बंगाल में यह केवल 2 से 3 रुपये तक है। इन खण्डों विशेषतया बहुप्रयोजनी खण्डों में संतोषजनक कार्य नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि आदिम जाति के लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि वे इन खण्डों से कोई लाभ नहीं

उठा रहे हैं। यह सच है कि इनसे केवल समाज के उन्नत वर्ग इनसे लाभ उठा रहे हैं। ऐसी अवस्था में ऐसे अधि खण्डों को आरम्भ करने की बजाये सरकार को राज्यों में कुछ चुनी हुई योजनाएं चलानी चाहिये जिससे आदिम जाति के लोग इनसे अधिकतम लाभ उठा सकें।

देश में लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है। शिक्षा संस्थायें बहुत कम हैं। छात्रावासों की कमी है। तीसरी योजना में सरकार ने आदिम जाति क्षेत्रों में छात्रावासों के निर्माण के लिये 9 लाख रुपयों की राशि मंजूर की थी परन्तु आपातकाल की दृष्टि से उसे खर्च नहीं किया गया था। आशा है इस राशि की पुनः मंजूरी दे दी गई होगी। मेरा यह सुझाव है कि उन क्षेत्रों में जहां आदिम जाति के अधिक लोग रहते हैं वहां पर छात्रावासों का निर्माण किया जाना चाहिये जिससे आदिम जाति की लड़कियों को शिक्षा संस्थाओं में दाखिला मिल सके। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जो इस मामले में विचार करेंगे जिससे इन छात्रावासों का जल्दी निर्माण हो सके।

**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, मेरे विचार में यह जो विधि विभाग तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग को इकट्ठा रखा गया है यह बहुत अच्छा प्रबन्ध है। लोगों की सुरक्षा के लिये हमें प्रबन्ध करना पड़ता है जिससे कुछ लोगों में, जिनको प्राकृतिक रूप से अथवा समाज द्वारा बनाई गई कृत्रिम व्यवस्था के कारण हानि उठानी पड़ रही है, असंतोष पैदा न हो। हमारे देश में ऐसे लोगों की भारी संख्या होने के कारण यह एक गम्भीर समस्या है जिस पर विचार किया जाना चाहिये। इस मामले को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। सरकार के लिये यह सम्भव तो नहीं है कि सारा धन इन मामलों पर लगा दे परन्तु मुझे खेद से कहना पड़ता है कि जितनी राशि इस कार्य के लिये उपलब्ध की जाती है उसका उचित प्रकार से व्यय नहीं हुआ और कहीं-कहीं तो बिल्कुल नहीं हुआ। 1964-65 के आयव्ययक में निराश्रित बच्चों के लिये एक स्कूल चलाने के लिये 5,100 रुपयों की व्यवस्था की गई थी, परन्तु पुनरीक्षित प्राक्कलन में इसका कोई उल्लेख ही नहीं है। स्पष्ट है कि कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। इस मद के अन्तर्गत कुल राशि 84,000 रुपये की दिखाई गई थी परन्तु कुछ भी खर्च नहीं किया गया। यह तो बहुत अच्छा है कि इस वर्ष इस मद के लिये काफी राशि की व्यवस्था की गई है परन्तु कहीं ऐसा न हो कि पिछले वर्ष की तरह इसका व्यय ही न किया जाये। सभा द्वारा स्वीकार की गई राशि का उपयोग करना चाहिये और सम्बन्धित लोगों के लाभ के लिये कुछ किया जाना चाहिये। एक अन्य मद सामाजिक शिक्षा तथा कल्याण के अधीन मनोविकल बच्चों के लिये स्कूल खोलने के लिये 1964-65 में 88,000 रुपयों की व्यवस्था की गई थी मुझे आशा है कि यह राशि वास्तव में खर्च कर दी गई है। परन्तु आगामी वर्ष में मनोविकल बच्चों के लिये क्यों कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसी प्रकार एक और मद "विकलांग व्यक्तियों के लिये पुनर्वास केन्द्र" के लिये आयव्ययक में एक लाख रुपयों की राशि की व्यवस्था की गई थी परन्तु पुनरीक्षित प्राक्कलनों में इसका नाम ही नहीं था और न ही 1965-66 में इसके लिये कोई व्यवस्था की गई है। क्या इससे यह समझा जाये कि उनके लिये कुछ और करना बाकी हो नहीं है। एक अन्य मद "श्रमिक तथा नियोजन" के अधीन शीर्षक "श्रमिकों की शिक्षा" के लिये 1964-65 में 35 लाख रुपयों की मंजूरी दी गई परन्तु इस बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया और इस वर्ष में इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि वे क्या करना चाहते थे जो उन्होंने बाद में नहीं किया। स्वयंसेवी संगठनों तथा स्थानीय निकायों जैसी संस्थाओं को भुगतान के लिये 1964-65 में एक लाख रुपयों की मंजूरी दी गई

जिसमें से केवल 25,000 रुपयों का ही भुगतान किया गया और इस वर्ष के लिये भी एक लाख की व्यवस्था की गई है। मेरा यह सब कहने का यह आशय है कि हमें इन मामलों में अधिक रूचि लेनी चाहिये जिससे उन लोगों में विश्वास उत्पन्न हो। यह अधिक अच्छा होगा कि राशि की व्यवस्था भले ही कम की जाये परन्तु काम अच्छा करके दिखाना चाहिये। मुझे आशा है इस बात का भविष्य में ध्यान रखा जायेगा। दया पर आधारित सामाजिक न्याय से हमें ऐसी शक्ति मिलेगी जिससे हम विदेशी आक्रमण तथा आन्तरिक समस्याओं का मुकाबला कर सकेंगे।

**श्री सुब्बरामन** (मदुरै) : अध्यक्ष महोदय, जैसे सुदृढ़ कड़ियों से श्रृंखला मज़बूत बनती है उसी प्रकार स्वस्थ् तथा उन्नत व्यक्तियों से समाज शक्तिशाली बनता है। अतः सरकार ने असमर्थ लोगों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये विशेष उपाय करने तथा सामाजिक सुरक्षा उपायों को अत्यधिक महत्व दे कर ठीक ही किया है। अस्पृश्यता हमारे समाज के माथे पर एक कलंक है और जब तक इसको दूर नहीं किया जाता तब तक हमारी प्रगति बड़ी धीमी चाल से होगी। सरकार हरीजनों का उत्थान करने के लिये काफी खर्च कर रही है, परन्तु लोग पहले बराबरी तथा आत्म-सम्मान चाहते हैं। हरीजन इससे असंतुष्ट हैं कि अस्पृश्यता का अन्त नहीं किया गया। ग्रामों में अब भी यह बुराई वैसी की वैसी बनी हुई है। जहां सरकार ने इस समस्या की गम्भीरता को समझा हैं वहां देश तथा राष्ट्र ने समूचे रूप से इस समस्या की गम्भीरता को महसूस नहीं किया। यदि हम उन कारणों की जांच करें कि पाकिस्तान क्यों बना तो पता चलेगा कि इस का मूल कारण अस्पृश्यता और जातिभेद ही था अतः सरकार को इस बुराई को जड़ से उखाड़ देना चाहिये। महात्मा गांधी शताब्दी को मनाने से पहले अस्पृश्यता का अन्त होना चाहिये।

यह बहुत अच्छा है कि पिछड़ी हुई जातियों विशेषतया हरीजनों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में कई सामाजिक सेवा संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। परन्तु ऐसे लोग यदि उनमें फूट अथवा आपसी शत्रुता के बीज डालते हैं तो वे कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार कुछ विदेशी प्रचारक भी इन लोगों में कार्य कर रहे हैं। यह अच्छा है क्योंकि इनकी सेवाओं से अनुसूचित आदिम जातियों ने उन्नति की हैं। परन्तु इस बारे में मैं माननीय मंत्री का ध्यान 27 तारीख के हिन्दुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। जब आदरणीय मिकाइल स्काट से यह पूछा गया कि क्या नागासंघर्ष एक राजनैतिक संघर्ष है तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि यह संघर्ष केवल राजनैतिक ही नहीं है परन्तु यह संघर्ष कुछ अन्य बातों जैसे धार्मिक स्वतंत्रता के लिये भी किया जा रहा है। इससे एसा प्रतीत होता है जैसे सरकार ने लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता ही नहीं दे रखी है। मेरी समझ में नहीं आया कि शान्ति मिशन का एक सदस्य इस प्रकार के वक्तव्य कैसे दे सकता है और इससे समस्या को हल करने में कैसे सहायता मिल सकती है। अस्पृश्यता को दूर करने के लिये सरकार ने शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के लिये जो उपाय किये हैं उससे काफी अच्छे परिणाम निकल रहे हैं और इनके फलस्वरूप वे बहुत प्रगति कर रहे हैं।

हरिजनों और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों के लिये निवास बस्तियां बनाई जा रही हैं। यह बहुत अच्छी बात है। परन्तु इनके निर्माण पर बहुत लागत आयेगी जिससे 9 करोड़ लोगों के लिये इतना धन नहीं जुटा पायेंगे। कूप, शौचगृह, सार्वजनिक खेल के मैदान तथा स्कूल के लिये भवन आदि बना कर उन्हें यदि हम प्लाट दे देंगे तो लागत कम आयेगी और इस प्रकार सबको बराबर लाभ पहुंचेगा और समस्या भी हल हो जायेगी। जब हम हरिजनों तथा अनुसूचित आदिम

जातियों के लोगों में कार्य करें तो हमें उनमें आत्म विश्वास पैदा करना चाहिये। अन्यथा सब प्रयत्न बेकार जायेंगे और कोई लाभ नहीं होगा।

जो हमारे पास अब अम्बर चर्खे हैं वे संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः इसमें और अनुसन्धान किया जाना चाहिये ताकि इसमें अग्रेतर सुधार किया जा सके। जब खादी भण्डारों में हम जाते हैं तो आकर्षक डिज़ाइन देखने को नहीं मिलते। हमें ऐसे विशेषज्ञ रखने चाहिये जो आकर्षक डिजाइन बना सकें। हथकरघा उद्योग में करोड़ों लोग लगे हुए हैं। जब हम होटलों सम्बन्धी परियोजनाओं और अन्य बड़े उद्योगों के लिये करोड़ों रुपयों के माल का आयात कर सकते हैं तो हथकरघा उद्योग के लिये कृत्रिम सिल्क का आयात करने मे बुरा क्यों मनाते हैं। कुटीर उद्योग के लिये कदम उठाते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिये।

**Shrimati Savitri Nigam** (Banda) : Mr. Speaker, Sir, I would like to give my full support to the Demands for Grants of the Ministry of Social Security but while doing so, I would like to point out that the amount of grant asked for is not sufficient in view of a large number of handicapped persons in the country. This amount works out to be less than 4 annas per handicapped person. I would urge upon the hon. Minister to formulate schemes for the rehabilitation of the handicapped, crippled and disabled persons generously. I hope that if any new tax is levied for the rehabilitation of handicapped persons, the religious, charitable and kind people of our country would be very glad to pay such a tax. As the hon. Minister is aware that nothing has so far been spent from the funds demarcated for social rehabilitation out of the PL 480 funds, he should have asked for more money. There has been all-round progress in the country during the last 17 years but this Section of Society has totally been neglected and nothing has been done for these people. I would, therefore, like to appeal to the country and the Government through you that these persons should not be neglected. Though they are handicapped ones, but their soul, desires and aspiration are not different than those of ours. They also do not lack self-respect and self esteem, but as a result of our negligence, they have to beg from door to door and have to depend upon others for their livelihood. In fact they do not beg for our mercy but for their rights. In view of the experiments done in the county, each and every handicapped person can be rehabilitated and can become a productive member of the Society if we stop neglecting them. For instance an handicapped person wrote an article in which he said "give us the tools and the chance to work. We do not want your money or your alms." Leaving aside the humanitarian grounds, even purely on economic basis so long as they are not rehabilitated, these handicapped and crippled people whose estimated population is about 2 crores, would remain dead-weight on our economy. After all for how long our economy could sustain them? The question of their rehabilitation should, therefore, be given priority. Sometimes some people plead that when they were not able to provide for the education of their normal children then how could they provide for the education of crippled ones? My answer to them is this that the normal children even if they are not educated can earn their livelihood but the crippled children would not be able to earn their livelihood and thus remain a burden on the parents concerned throughout their life if they would not be educated. Preference should, therefore, be given to the crippled children over the normal ones as far as making of

arrangements for their education are concerned. The previous Ministry that was responsible for the welfare of these unfortunate children has been giving step-motherly treatment to these children and I hope that this new Ministry under the guidance of an able, experienced and philanthropist Minister would pay more attention towards these children and remove the complaint of being negligent. It is regretted that even the unanimous recommendations made by the National Advisory Council for the handicapped are not accepted in full by the Government. Only officers have been appointed to serve on the Council. It would be better if efforts are made to avail of the services of those who are serving the handicapped with missionary zeal and at the same time the recommendations made by the Council should be accepted by the Government in toto. Unless we know the number of such people how can we prepare a plan for their rehabilitation, It is, therefore, suggested that the census work should be entrusted to those institutions that are functioning for their welfare etc., so that proper schemes could be formulated for their rehabilitation. It has, in this connection, been stated in the report of UNESCO in respect of developing countries that 20 per cent people are mentally deficient in one form or the other. I want to know as to what is being done for such people in our country? I would request the Minister of Finance to abolish sales-tax on hearing-aids and the tools used by crippled persons. Those institutions which are doing some work in connection with the rehabilitation of handicapped persons are experiencing a lot of difficulty in getting grants. The Government should, therefore, make some arrangements to this effect that they have not to face any difficulty in this regard. An insurance scheme should be started for disabled children. An Artificial Limbs Centre has been started in the South but an institution which is working in the North has not been given recognition. Artificial limbs should be made available at cheap rates. Employment should be provided to trained crippled and handicapped persons. Five per cent posts should be reserved in the private as well as public industries for them. It has been proved that these people do their work more efficiently, earnestly and sincerely. I have received such reports from their employers. There are a large number of people who are hard of hearing and as such they are in need of hearing-aids but they cannot afford to purchase them as hearing-aids are very dear. A Scheme should be introduced for providing subsidy to their industry and protection should be given to the indigenous production so that cheap hearing-aids could be available. A committee should be appointed to go into this matter and to give its recommendations as to how cheap hearing-aids can be made available to them. Artificial limbs should also be subsidised.

An autonomous body of experts in this line should be appointed to go into the question of the rehabilitation of handicapped and crippled persons, so that a well planned programme could be chalked out for their rehabilitation. These people have been neglected and nothing has so far been done for them.

Sir, you would be surprised to note that slavery system is still going on among black *Adivasis* of my constituency. They are being exploited there. I would request that these *Adivasis* should be included in the schedule.

Lastly I would like to point out that the Social Welfare Board is functioning very satisfactorily and as such maximum aid should be given to it.

**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, पिछड़े हुए लोगों की दुखद आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक दशा पर सारे देश में असन्तोष फैला हुआ है । डा० मा० श्री० अणे ने भी हमें एक प्रकार की चेतावनी दी है कि इन लोगों में आत्म-विश्वास की भावना कम होती जा रही है और इसलिये हमें उनके लिये कुछ करना चाहिये । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस मामले के बारे में



653(Ai)LS—7.

आश्वासन देंगे कि इन लोगों की दशा को सुधारने के लिये कोई ठोस कदम उठायेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि माननीय मंत्री जी को इन लोगों से बहुत सहानुभूति है परंतु मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस बारे में और गम्भीरता से काम लिया जाये। पश्चिमी तथा पूर्वी देशों में आर्थिक उन्नति का कारण यह है कि वहां पर सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी उपाय बहुत अच्छे हैं। इस दृष्टि से मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन लोगों के कष्टों का निवारण करने के लिये विशेष उपाय करेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण, प्रतिरक्षा, खाद्य संकट की दृष्टि से यदि ये 16 करोड़ लोग इस आपात काल में देश के कल्याण के लिये किये जाने वाले उपायों में सहयोग नहीं दे सकेंगे तो इस देश की क्या दशा होगी? पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब हमने इस बारे में इतना खर्च किया है तो इस रिपोर्ट पर चर्चा क्यों नहीं की जाती। पिछड़े वर्गों तथा ऐसी आदिम जातियों के नाम को जो अनुसूचित नहीं हैं, अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के नाम पर, मिटाने का जो प्रयत्न किया गया है यह संविधान में ध्वनित भावना के विरुद्ध है। इसलिये इन लोगों में फैल रही असन्तोष की लहर को शान्त करने के लिये उनकी दशा को सुधारना चाहिये।

**Shri D. S. Patil** (Yeotmal) : This department of Social Security was constituted in 1964. Adivasis are neither benefited by this department or by the plans. Their difficulties are due to the fact that scheduled and non Scheduled areas have been created in the same State. People who belong to the Scheduled areas get all facilities. But if any of their family members lives out of that Scheduled area, those facilities are not given to him. This is a strange process.

I may also state that the Dhebar Commission have recommended that the injustice has been done to the adivasis in Vidharbha. Some remedy for that should be found out. It is really very sad that nothing has been done so far in this connection. I may also inform the House that a deputation of the Vidharbha Adivasis has also met the President at Nagpur. But no useful result has yet been achieved. Now, the situation has taken very serious turn. The adivasis have started their agitation. I may urge upon the Government that the efforts should be made to tackle the problem at the earliest. They have given a warning that if their demands are not accepted by the 10 April 1965 they will start their movement. The Honourable the Minister for Social Security may give serious thought to it.

**श्री कांशी नाथ पांडे** (हाता) : समय बहुत ही थोड़ा है, अतः मैं अपनी बात कुछ बातों तक सीमित ही रखने का प्रयत्न करूंगा। सबसे प्रथम मैं कर्मचारी भविष्य निधि की बातों का उल्लेख करूंगा। कर्मचारी राज्य बीमा योजना का भी उल्लेख करना चाहता हूं। ये दोनों योजनायें ऐसी हैं जिसके लिए श्रमिकों को लाभ प्राप्त करने के लिये अंशदान देना पड़ता है। इससे पूर्व इन दोनों विषयों का प्रशासन श्रम मन्त्रालय के पास था, और प्रायः इन बातों की चर्चा भारतीय श्रम सम्मेलन तथा श्रम स्थायी समिति में भी प्रायः हो जाया करती थी। परन्तु कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजनाओं को श्रम मन्त्रालय के नियन्त्रण से हटा कर सामाजिक सुरक्षा विभाग को सौंपे जाने के बाद कर्मचारियों और नियोजकों की शिकायतों को सुनने के लिए कोई उचित स्थान नहीं रह गया है। इस योजना के चलाने के लिये पृथक बोर्ड की आवश्यकता है क्योंकि यह एक ऐसी किस्म की योजना है जहां कर्मचारियों के अंशदानों द्वारा इकट्ठी की गई राशि में से व्यय होता है और सरकार के राजस्व में से नहीं।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उसे सरकारी प्रतिभूतियों में जमा की गई राशि पर अधिक से अधिक व्याज मिले ताकि निवृत्ति वेतन योजना चलाने के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध हो सके । सरकार को भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक कर्मचारियों को लाना चाहिये । दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी भविष्य निधि योजना लागू की जानी चाहिये । जिन क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की गई है वहां, इससे पूर्व की यह योजना अधिक क्षेत्रों में लागू की जाये, अधिक सुविधायें दी जानी चाहियें । बेकारी बीमा योजना लागू करने के लिये ठोस कदम उठाये जाने चाहियें क्योंकि इस देश में बेकार लोगों की संख्या अधिक है । 1950 में जर्मनी की तबाही के समय इस प्रकार की योजना से वहां के श्रमिकों को काफी लाभ रहा । हमारे विशाल देश में जहां कि औद्योगिकरण का विकास हो रहा है, इस प्रकार की योजना अन्ततोगत्वा लाभदायक रहेगी ।

**विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी पक्षों की ओर से दिये गये भाषणों के बाद मुझे इस बात का सन्तोष है कि सदन के सभी वर्गों में इस सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यों के बारे में एक मत है । सभी ने इसकी सराहना की है । मेरा इस दिशा में मत यह है कि हमने जनता के एक बड़े भाग को और अयोग्य अकर्मण्य बना कर सारे समाज को ही अकर्मण्य बना दिया है । वैसे भी समाज के एक वर्ग को कम सुविधायें देना न्याय की बात नहीं हो सकती, आज सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न हमें संविधान के अन्तर्गत प्राप्त हुए कर्तव्य पालन के कृत्य का एक रूप है अर्थात यह प्रश्न ऐसा नहीं कि केवल अस्पृश्यता पर प्रतिबन्ध लगा कर उसे समाप्त नहीं किया जा सकता । उसे किसी भी रूप में चलाने के लिये अवैध घोषित कर देने का भी प्रश्न नहीं है । प्रश्न तो यह है कि हम इस दलित वर्गों का सामाजिक उत्थान कर उनकी आर्थिक दशा का सुधार करना है । इस प्रकारसे कि वे सब हमारे स्तर पर आ जायें । यह बात भी हमें समझ लेनी चाहियें कि यह काम इतना सरल नहीं कि जितना हमने समझ लिया है । यह पांच अथवा दस वर्ष में नहीं हो सकेगा । इस प्रश्न का सम्बन्ध उन करोड़ों मनुष्यों से है जो इस विशाल व्यापक देश के लाखों गांवों में बसे हैं । उनमें बहुत सी जातियों तथा उपजातियां है । बहुत ही गम्भीर और कठिन कार्य है जो कि हमने करना है ।

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Deputy Speaker** *in the Chair*]

यह भी ठीक है कि इन वर्गों का अतीत में आर्थिक शोषण हुआ है । परन्तु इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि हमें इन लोगों को केवल धन देकर ही इनका स्तर ऊंचा करना है । कई मामलों में धन देना फजूलखर्ची के समान होता है । केवल उनकी आर्थिक दशा के सुधार देने से भी कुछ नहीं होने का, हमें तो उन्हें अधिक उत्पादन करने और अच्छी आय कमाने के योग्य बनाना है । हम उन्हें अच्छे बीज तथा अच्छी जमीन देकर अच्छे कृषक बनाना चाहते हैं । वे अच्छे कारीगर बन कर अधिक कुशलता से काम करें यह हमारी कामना है ।

इस स्थिति में मेरा निवेदन यह है कि हमें परस्तर एकता के लिये निरन्तर परिश्रम करना है और इसे एक राजनैतिक समस्या नहीं बनाना है । यह एक राष्ट्रीय समस्या है । किसी व्यक्ति के लिये कोई स्थान आरक्षित नहीं होगे परन्तु सबके साथ समान वर्ताव किया जायेगा । परन्तु यदि इस समान वर्ताव के लिये किसी के साथ इस लिये विशेष व्यवहार करना हो कि पहले उसको उसका उचित हक नहीं दिया गया था तो उसके साथ विशेष व्यवहार किया जायेगा । इसके लिये एक योजना बनानी होगी और साधन जुटाने होंगे ताकि ठीक परिणाम निकल सकें ।

छात्रवृत्तियों, विशेष स्कूलों के रूप में हर सम्भव सहायता दी जानी चाहिये और अन्य प्रोत्साहन भी दिये जाने चाहियें । ग्राम शिक्षा के साथ साथ उन्हें अच्छे कारीगर और अच्छे प्रवीण कर्मकर और अच्छे कृषक बनाया जाना चाहिये। उन्हें विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिये, प्रौद्योगिक शिक्षा दी जानी चाहिये और दूसरी कलायें सिखायी जानी चाहियें । आर्थिक विकास की समस्या का हल केवल एक मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि समूचे रूप में सरकार द्वारा किया जाना चाहिये । हमारे कार्य के एक बहुत बड़े भाग का सम्बन्ध सामुदायिक विकास योजनाओं से है । निश्चय ही वित्त मंत्रालय का सम्बन्ध प्रत्येक मंत्रालय से होता है, यह मंत्रालय हमें कार्य करने के लिये संसाधन उपलब्ध करता है ।

विभिन्न राज्यों के गृह-कार्य विभागों को हमें बार बार यह कहना पड़ता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि हमारे अस्पृश्यता कानून कड़ी तरह लागू हो। कई क्षेत्रों में लोग अभी भी अस्पृश्यता चलाते हैं इसलिये हमें कानून को और भी कड़ा करना होगा। न केवल अस्पृश्यता कानून को ही बल्कि सभी कानूनों को कड़े रूप में लागू करने की आवश्यकता है। देश के बहुत बड़े भागों में अस्पृश्यता पहले ही कानूनी तौर पर समाप्त हो चुकी है । इस समय भी पुराने सिद्धान्तों में विश्वास रखने वाले छोटे छोटे राजा तथा सरदार हैं जो अपने वैध अधिकारों की मांग करने वाले हरिजनों की नाक और कान काटने में संकोच नहीं करते । ऐसे लोगों को दण्ड देने के लिये हमें अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करना होगा। स्वयं समाज के ही उत्थान की आवश्यकता है क्योंकि समाज का शेष भाग बहुत अच्छी दशा में नहीं है । औसत व्यक्ति अभी भी भूख और गरीबी से मुक्त नहीं है। वह अभी भी रोगग्रस्त है और अनक्षर है और समृद्धि से कोसों दूर है ।

हमने देखा है कि काम बहुत से मामलों में निश्चित तथ्यों की तुलना में बहुत कम हुआ है यह एक समस्या है जिसका प्रत्येक मंत्रालय तथा प्रत्येक राज्य और प्रत्येक विभाग को सामना करना है । एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की जाने वाली है जिससे संसद् सदस्य और पिछड़े वर्गों वाले क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण के काम में व्यस्त व्यक्ति लिए जायेंगे । वे लोग हमें बताएंगे कि हमारे कार्य में क्या क्या त्रुटियां हैं । हम राज्य मंत्रालयों, अधिकारियों तथा विशेषज्ञों से पूर्ण चर्चा करने का विचार कर रहे हैं जिससे हम सभी स्तरों पर कई कार्यक्रमों की अभिपूर्ति के लिए उचित प्रकार से व्यवस्था कर सकें । उस प्रकार की मिशनरी भावना जिससे समस्त अड़चनों का सामना किया जा सके, हमारे अन्दर पहले से आ चुकी है तथा हमारे काम में वह हमें प्रेरित कर रही है ।

यह जिक्र किया गया था कि भविष्य निधि कार्य तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना सम्बन्धी काम हमारे द्वारा अच्छी प्रकार से किया जा सकता है । इस बारे में प्रधान मंत्री जी ने निर्णय कर दिया है तथा हम अपने भरसक प्रयत्न करेंगे । इस मामले में कोई श्रमिक विवादों का सवाल नहीं उठता । प्रत्येक देश में सामाजिक सुरक्षा उपाय उन मंत्रालयों द्वारा किये जाते हैं जो सामाजिक सुरक्षा का काम करते हैं हमने भविष्य निधि योजना को बहुत से कार्यालयों आदि पर लागू किया है यहां तक कि न्याय-वादियों और न्यायाधिवक्ताओं के कार्यालयों पर भी उसे लागू कर दिया गया है ।

अपंग बच्चों का सवाल भी राज्यों के लिए कार्यवाही का विषय है । उस काम में ऐच्छिक सामाजिक कर्मचारियों की तथा समाज के समृद्ध भागों की सहायता की आवश्यकता है । एक महिला सदस्या ने कहा है कि हमारी महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं, परन्तु उन्होंने अपने संसद् तथा बाहर काम से यह जाहिर कर दिया है कि हमारी महिलाएं इतनी पिछड़ी हुई नहीं हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या कोई माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव को क्रमागत से रखे जाने पर आग्रह करते हैं ।

**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 11 के लिए आग्रह करता हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 11 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।**

**Cut motion No. 11 was put and negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।**

**All the other cut motion were put and negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सामाजिक सुरक्षा विभाग की निम्न लिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुई :—**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| 107 | सामाजिक सुरक्षा विभाग . | 13,59,000 |
| 108 | सामाजिक सुरक्षा विभाग का अन्य राजस्व व्यय . | 16,40,95,000 |

## प्रतिरक्षा मंत्रालय

## Ministry of Defence

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों को लेंगे ।

**वर्ष 1965-66 के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| 10 | प्रतिरक्षा मंत्रालय . . | 56,90,000 |
| 11 | रक्षा सेवायें, सक्रिय-स्थल सेना . | 4,88,97,75,000 |
| 12 | रक्षा सेवायें, सक्रिय-नौसेना . . | 20,92,30,000 |
| 13 | रक्षा सेवायें, सक्रिय-वायुसेना . | 1,31,15,00,000 |
| 14 | रक्षा सेवायें—निष्क्रिय | 17,89,27,000 |
| 117 | रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय . . . | 1,08,79,17,000 |

**Shri Lahri Singh** (Rohtak) : Whenever there was an attack on our country from outside we have always been defeated. Our soldier is very brave and sturdy; but still we are defeated. There are two reasons: either we did not have modern weapons or our Generals failed in war strategy. The English came here and raised the army here and with the help of that army they conquered the world. The reason was that they equipped our army with modern weapons.

You have published this big volume, stating that we have so many workshops and that we have obtained weapons from America and Russia as gift. But it cannot satisfy a layman. We have to face two enemies—China and Pakistan. Today only that nation can be successful which has a strong Air Force and nuclear weapons. It is our misfortune that although we do not have modern weapons, still we do not want to seek alliance with any country. The reasons advance for it are ridiculous. China has got a far stronger Air Force than us. It is also preparing atomic weapons. But we say that we will request America and Britain that they should ask China not to use nuclear weapons against us. Our Prime Minister says that production of nuclear weapons will be a unnecessary burden on our poor nation. I want to inform him that Britain won the First and the Second world war with the help of America and other countries. It had to seek alliance despite the big empire it had under its control. We don't want to prepare nuclear weapons because we are poor; we do not want to seek alliance because it is against our policy. Then how do we propose to ace China? You say you are neutral, but in case of war you beg arms from America.

If we lose our independence to China because of this policy of neutrality then what is its use. It will go down in the history that after the English left, there came a government which could not defend its frontiers and you will not be forgiven for this lapse.

There are two groups with whom we can have military alliance. On the one hand there are two Communist powers, Russia and China and on the other hand there are the democratic powers America and England. Since we also have a democratic set up, we can have alliance with the Democratic Countries. It is wrong to think that we will incur the wrath of Russia, if we seek this alliance. You want us to face China; but how? I warn you that if you won't seek alliance with America or England and if there is any attack on us, then this will go down in history as a dark period of our country.

China wants to replace the present Government in our country by a Communist Government. It wants to spread Communism throughout Asia. For this purpose they want to create internal disturbances in the country so that the Government may become financially weak and collapse. China knows that unless and until India collapses, Communism cannot be spread. China gave us a crushing defeat at the NEFA front as a consequence of which our financial position became very weak . Unless and until we strengthen our Air Force and procure nuclear weapons, we will not be able to face China. You always say we are very strong and brave. But even a layman knows that without modern weapons no war can be fought. Secondly, if at all we have any weapons, we give full publicity on radio and in press and show it to foreigners that we possess such and such weapons.

We were not defeated at the NEFA from the Chinese because they had more army but because their strategy was more advanced than us. Therefore, we must recruit all the best brains of the universities compulsory in the army.

30 to 40 per cent of the posts should be reserved for these people. Brain should be given preference over brawn. They must develop our strategy. Roivell, with the help of a small army defeated the British army.

We must recruit the jawans from the martial races. We should not try to experiment with people from non-martial races.

We must take positive steps for resettling the ex-soldiers. We are not showing even one-tenth of the respect shown by the Britishers. The soldier is disgruntled; we must try to please them.

**रक्षा मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में विम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये**

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | श्री यशपाल सिंह | . नेफा में भारतीय सेना के विध्वंस के संबंध में लेफ्टिनेंटजनरल हेन्डरसन का प्रतिवदन प्रकाशित न करना | 100 रुपये |
| 10 | 2 | श्री यशपाल सिंह | . चीन और पाकिस्तान के आक्रमण से सीमाओं की रक्षा न करना | 100 रुपये |
| 10 | 3 | श्री यशपाल सिंह | . भारतीय सेना और वायुसेना को पराध्वनिक और परमाणु अस्त्रों से सज्जित न करना | 100 रुपये |
| 10 | 4 | श्री यशपाल सिंह | . भारतीय नौसेना को सुदृढ़ न करना | 100 रुपये |
| 10 | 5 | श्री यशपाल सिंह | . जवानों और अन्य श्रणियों के कर्मचारियों (अदर रैंक्स) के सेवा का शर्तों में सुधार न करना | 100 रुपये |
| 10 | 6 | श्री यशपाल सिंह | . सेना आयुध कारखानों के कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी | 100 रुपये |
| 10 | 17 | श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा | . चीनी आक्रमण के अनुभव और वर्तमान प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये स्थल-सेना को पूरी तरह से पुनर्गठित करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा | . रक्षा-सेनाओं के पदाधिकारियों अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों में अनुशासन और मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 10 | 19 | श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा | . विभिन्न दिशाओं में रक्षा-सेनाओं को पुनः सुसज्जित करने के कार्य को तेज़ी से करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 10 | 20 | श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा | . प्रशासनिक, वित्तीय और लेखा-परीक्षा संबंधी नियंत्रण के सम्बन्ध में नियमों विनियमों और प्रक्रियाओं को नया रूप देने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 11 | 21 | श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा | . विभिन्न प्रकार के टैंकों का बाहुल्य कम करके सशस्त्र सेनादल को और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता | 100 रुपये |
| 13 | 30 | श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा | . विमानों का बाहुल्य कम करके वायु सेना को और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता । | 100 रुपये |

**श्री जोकिम आल्लवा** (कनारा) : मैं माननीय रक्षा मंत्री को संतुलित लेख प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूं । हम सेना के उन जवानों के ऋणी हैं जो लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों पर और नेफा के दूर दराज़ क्षेत्रों में हमारी स्वाधीनता की रक्षा के लिये लड़ रहे हैं । इस युद्ध में वायुसेना ने सबसे अधिक बलिदान दिया । मुझे विशेष रूप से प्रसन्नता है कि उप रक्षा मंत्री ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था और वह मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं ।

चीन से दोबारा आक्रमण के संकट की ओर हम उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं । दक्षिण-पूर्व एशिया के देश एक हार में पिरोये हुए मोतियों की तरह हैं । अब वह हार टूट गया है और उसके मोती बिखर गये हैं । हमें अब आत्म-निर्भर होना चाहिये । आणविक छत्र छाया हमारी रक्षा नहीं कर सकती । हमें पंडित नेहरू के विचारों को जागृत करना चाहिये । अंग्रेजों ने चर्चिल की मृत्यु के उपरान्त एक बहुत अच्छा चल चित्र बनाया है । हमें इसे

देश के प्रत्यक बच्चे को दिखाना चाहिये। चर्चिल ने जो सबसे महान चीज़ कही है वह यह है कि "हम अंग्रज़ों में बहुत त्रुटियां हैं परन्य हमें किसी चीज़ का भय नहीं।" हमें इसी भावना को फैलाना चाहिये। हमें पर्याप्त हथियार भी प्राप्त करने चाहिये। अभी तक जितने भी आक्रमण हुये, हमारा देश कभी भी नष्ट नहीं हुआ। परन्तु यदि हमने आणविक हथियार से सेना को लैस किया, तो निश्चय ही हमारा देश नष्ट हो जायगा।

चीन हमें नीचा दिखाना चाहता है, क्योंकि हम समृद्ध हैं। परन्तु मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि वह कभी भी अणु बम का हमारे विरुद्ध प्रयोग नहीं करेगा। इसको जानते हुए हमें अणु बम बनाने के लियें धन बरबाद नहीं करना चाहिय। अमरीका का रक्षा व्यय हमारी तीनों योजनाओं से अधिक है। हमें अणु बम बनाने का विचार त्याग देना चाहिये। आणविक हथियारों को बनाने के लिये जो व्यक्ति कह रहे हैं उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम युद्ध में एक भी खरोंच नहीं खाई।

पिछले सप्ताह मैंने श्री एच० एम० पटेल भूतपूर्व रक्षा सचिव का भाषण सुना। उनका भाषण सुनकर जो निष्कर्ष मैं निकाल सका वह यह था कि सेवा-निवृत्त असैनिक अधिकारी अणु बम बनाने के पक्ष में हैं। यह वह लोग हैं जिन्होंने जीवन के तीस वर्ष बड़े मजे में गुज़ारे। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि क्योंकि 40 प्रकार के विमान खरीदे हुये हैं इसलिये हमें अपने विमान नहीं बनाने चाहियें। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमें अणु अस्त्र बनाने चाहियें। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें ऐसे विमान बनाने चाहियें जिनके पुर्जे हमारे यहां बनते हों। रक्षा मंत्री के प्रयासों के फलस्वरूप हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट ने एक बहुत ही उत्तम विमान तैयार किया है; उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत सफलता पाई है। जब हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट ने नये विमान बनाने का सामर्थय दिखाया है तो हमें इसके कार्य में और विस्तार करना चाहिये जिससे यह एक परिपूर्ण विमान बना सके। हमें दूसरे देशों से तभी आदर मिलेगा जब हम आत्म-निर्भर होंगे। पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनाज मंगवा कर हम पहले ही भिखारी प्रतीत होते हैं। अब हमें हथियारों के लिये भिखारी नहीं बनना चाहिये। हमें अपने हथियार अपने 24 आर्डनेन्स कारखानों में बनाने चाहियें। बर्फीले पहाड़ों और बहुत ऊंचाई पर सर्दी बर्दाश्त करनें के लिये हमें जवानों के लिये आधुनिकतम कपड़े बनाने चाहिये। मैं श्री रवीन्द्र वर्मा और श्री महावीर त्यागी के साथ नेफा और लद्दाख के मोर्चे पर गया था। मैं इस सभा में प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों के चालकों का वेतन तिगुना होना चाहिये जिससे मांस और शराब पी सकें। हमें इन लोगों की सभी स्वास्थ्य आवश्यकताऐं पूरी करनी चाहियें। हमें इनकी सभी आवश्यकताऐं पूरी करना चाहिये। परन्तु धन का अपव्यय नहीं होना चाहिये। हमें अपने वायु सेना को सब से अधिक महत्व देना चाहिये।

एक विदेशी संवाददाता के शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उन्होंने 1950 में "औबज़र्वर" समाचार पत्र में लिखा था कि चीनी सेना का अनुशासन बहुत अच्छा है और उनकी अच्छी प्रकार देख भाल की जाती है। उन्होंने यह भी लिखा कि यह सेना बहुत ही साहसी और लोकप्रिय है। इसी प्रकार रूस की सेना में भी बहुत अनुशासन है और उनको भी खाने की और कपड़ा पहनने की कमी नहीं है।

हमारी सेना ने भी एक बार रोमेल से टक्कर ली थी । हमें इन्हें सभी आवश्यक हथियार देने चाहियें । हमें अपनी सेना को सभी प्रकार के अभावों से दूर रखना चाहिये, जसे बारूद, कपड़ा, सैनिक आदि । हमें महिलाओं को भी सेना में भरती करना चाहिये। हमें उन्हें उपचारिका का प्रशिक्षण देना चाहिये ।

जिन विद्यार्थियों के अंक 45 प्रतिशत से कम होते हैं उनको डाक्टर बनने के लिये प्रवेश नहीं मिलता । हमें ऐसे लोगों को सेना में भरती करना चाहिये और उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिये। हमें इनको 25 प्रतिशत अधिक भत्ता भी देना चाहिये, जैसा की डाक्टरों को स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मिलता है ।

मुझे एक जेट पायलट से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । जब मैंने उससे पूछा कि वह विवाहित है तो उसने बताया यदि वह विवाह कर लेगा तो उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा ? हमें अपने जवानों को इतना वेतन देना चाहिये कि उनको अपनी पत्नी और बच्चों की चिन्ता नहीं होनी चाहिये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा कल के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

**इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, 30 मार्च, 1965/9 चैत्र, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।**

**The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, March 30, 1965/Chaitra 9, 1887 (Saka).**

---

GMGIPND—LS III—653 (Ai) L. S.—15-7-65—500.